राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] आठवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार

दिनांक 21 मार्च 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

अधिसूचना

विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल की अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सचिव द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचना ।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री प्रीतम आधारसिन्हा): महोदय विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय की अधिसूचना पढ़ कर सुनाता हूं, जो निम्न प्रकार है:—

अधिसूचना संख्या प. 1 (1) संसद/85 दिनांक 20 मार्च, 1985—'दिनांक 11 मार्च, 1985 के आदेश जिसके द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह को और दिनांक 13 मार्च 1985 के आदेश जिसके द्वारा श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, श्रीमती विद्या पाठक और श्री दामोदर दास को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष अष्टम राजस्थान विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं ओ. पी. मेहरा, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :

1. राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष,

2. राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष, और

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों—को इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष अष्टम् राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा ।

ओ. पी मेहरा,
राज्यपाल, राजस्थान

शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है वे शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे ।

श्री सचिव : श्री भैरों सिंह शेखावत ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल शर्मा : अस्वस्थ हैं यह, साहब ।

श्री सचिव : श्री देवी सिंह भाटी ।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : बाहर हैं ।

श्री सचिव : श्री मोटा राम ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह रोज काहे के लिए नाम बोलते हैं । आप बेकार नाम बोलते हैं । वे यहां हैं नहीं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है —

(1) सर्व श्री यदुनाथसिंह, नत्थीसिंह, सम्पतसिंह, लालचन्द, जगतसिंह दायमा, जगमालसिंह यादव, नाथूसिंह, जगन्नाथ वर्मा, प्रतापसिंह सिंघवी, नवरंगसिंह, हरजीराम बुरडक, हंसराज, घनश्याम तिवाड़ी, मोतीलाल, महेन्द्र शास्त्री, भंवरलाल शर्मा (हवामहल) और मानिकचन्द सुराना 21-2-85 को डीग कस्बे में पुलिस फायरिंग से राजा मानसिंह व दो व्यक्तियों की मृत्यु व 23-2-85 को भरतपुर व डीग में 6 व्यक्तियों की पुलिस द्वारा फायरिंग से मृत्यु के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार की ओर से दिनांक 22-3-85 को इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जायेगा।

(2) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा-सिरपोई जिला झालावाड़ के माध्यमिक विद्यालय के क्रमोन्नति के आदेश को निरस्त करने से हड़ताल के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा–रामगंजमण्डी शहर में पीलिया व खसरा रोग के सम्बन्ध में।

(4) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा भाखड़ा व राजस्थान नहर की लगातार लम्बी बन्दियों के कारण रबी फसल को नुकसान के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामचन्द्र, सदस्य, विधान सभा–दीगोद कस्बे में दो सम्प्रदायों के बीच तनाव, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में।

(6) श्री डूंगर राम, सदस्य, विधान सभा–भाखड़ा तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में रबी फसल को नुकसान के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री जयनारायण पूनिया और श्री चुन्नीलाल मेघवाल–चूरु जिले में पेयजल का अभाव और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा–वेटरनरी डाक्टरों को वेतन न दिये जाने से असंतोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री बिरदमल, सदस्य, विधान सभा–ग्राम लोरडी पंडितान में ओरी बीमारी का फैलाव तथा 22 बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा–विद्युत मंडल के कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण की मांग स्वीकार न होने से हड़ताल के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कब तक साहब ?

श्री अध्यक्ष : (1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा-झालावाड़ निवासी श्री लालचन्द के पेट में आपरेशन के समय लापरवाही से कैंची छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, जयपुर शहर में पेयजल का एक समय वितरण करने से समस्या।

(3) श्री हीरालाल आर्य सदस्य, विधान सभा–पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल संकट निवारण हेतु हैंड पम्प खोदने व मरम्मत कराने बावत।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था मैंने अभी यहां पर दी है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने अभी अस्वीकार किया है, अनुमति नहीं दी है उनके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने का अवसर दूंगा। कृपया माननीय सदस्य समय का जरूर उसमें ध्यान रखेंगे।

जिन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी चाही गयी है, उनकी जानकारी आने पर जब निर्णय दिया जायेगा उस समय उन माननीय सदस्यों के बोलने की आवश्यकता हुई तो मैं अवसर दूंगा।

इसी प्रकार जिनके ऊपर मैंने राज्य सरकार से वक्तव्य देना चाहा है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार जब वक्तव्य देगी उस समय मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा कि वे अपनी बात कह सकें। माननीय सदस्य, मैं समझता हूं निश्चित रूप से इसमें आसन का सहयोग करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

राजा मानसिंह की हत्या के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : व्यवस्था का प्रश्न है। राजा मानसिंहजी की हत्या को लेकर हमने जो स्थगन प्रस्ताव का हवाला दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं सुनता हूं आपकी बात। मैं सुनूंगा आपकी बात। माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिये। उतावलापन क्यों रखते हैं?

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था के प्रश्न पर....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट बैठिये।

(व्यवधान)

उतावलापन क्यों रखते हैं।

मैं हर माननीय सदस्य को उनकी बात कहने के लिए अवसर देना चाहता हूं लेकिन सभी माननीय सदस्य एक साथ कोई बात करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं किसको मौका दूं या न दूं। उस समय एक अव्यवस्था के स्वरूप हो जायेगा और हाउस का समय भी जायेगा। कृपया एक-एक करके बोलें तो मुझे भी समय मिल जायेगा और मैं कुछ निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकूंगा।

(6)

श्री नाथू सिंह : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

ग्रापका ध्यान मैं रूल 50 की तरफ दिलाना चाहूंगा। हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है। राजा मानसिंह की हत्या के सम्बन्ध में। जो एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है उस एडजोर्नमेन्ट मोशन को एक्सेप्ट करने की दो शर्तें हैं। मैं ग्रापको थोड़ा सुनाना चाहूंगा—

"Subject to the provisions of these Rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

The matter should be definite. First condition. Second condition—"or urgent public importance."

जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है वह यह दोनों शर्तें पूरी करता है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पर राज्य सरकार की ग्रोर से वक्तव्य दिलाने के लिए 22 तारीख कल का दिन नियत किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एडजोर्नमेन्ट मोशन का मौका इसीलिये है कि सदन में चलने वाली कोई भी कार्यवाही उस समय स्थगित करके जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजा मानसिंहजी की हत्या से पूरा राजस्थान उद्वेलित है, राजस्थान की जनता में रोष है। सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतन्त्र की हत्या वहां पर किस तरह से की गयी। एक विधायक का चुनाव विधान सभा के लिए...

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राज ही वक्तव्य दिलाया जाना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने मना नहीं किया है। मैंने कहा है कि कल ही वक्तव्य होगा।

श्री नाथूसिंह : ग्राज ही वक्तव्य होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ग्राज ही वक्तव्य होना चाहिए। एडजोर्नमेन्ट मोशन पर ग्राज ही कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह की हत्या हुई उसके बाद हमारे वहां 23 तारीख को पांच ग्रादमी ग्रौर मारे गये हैं। ग्रौर भी ग्रनेकों लोग मरे हैं। इस सब में एक महीना गुजर चुका है। राज्य सरकार के पास पूर्ण सूचना है, सारी बात मालूम है। सारे ग्रखबारों में ग्रा चुकी है। तीन-तीन मुख्य मंत्री बदल गये हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई है। हम तो चाहते थे कि कल ही यह बात राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण के समय सदन के सामने ग्राती। तब भी नहीं ग्राई। इसीलिये हमने उस समय बहिष्कार किया। ग्राज जब सदन बैठ गया है, मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रासन इस बात में हमारे ग्रधिकारों की सुरक्षा करे।

(श्री नत्थी सिंह)

इतनी बड़ी घटना हुई, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य की हत्या हुई, उसके साथ सात आदमी और मारे गये, पचासों घायल हुए हैं। भारी बर्बरता के साथ वहाँ पर दमन का चक्र चलाया गया है। उस पर भी राज्य सरकार यह कहे कि वह कल वक्तव्य देगी। इसका मतलब यह है कि इस मामले को राज्य सरकार कतई गम्भीरता से नहीं लेना चाहती। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कतई जिक्र नहीं है। आज भी कल के लिए इसको टालना चाहती हैं। हम इस बात को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सारा काम रोक कर आज ही इस पर बहस प्रारम्भ की जावे। इसके बाद में और कोई काम हो। आप इसको स्वीकार करें और अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था तब सम्पूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार किया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। किस कारण से किया....

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : हसते हो, शर्म आनी चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप हंसते हो, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ××× भी इसी तरह से गोली से मार देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अफसोस की बात है। आप में से कौन सुरक्षित है, देखिये। आप हंस रहे हो इतने बड़े मामले में। अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : पुलिस किसी की सगी नहीं है। ××× भी मार देगी। यह हंसने की बात नहीं है, ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जोशी, बैठे-बैठे नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : थोड़ा ट्रेनिंग दो इन माननीय सदस्यों को।

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयालजी, आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अनट्रेंड लोग आकर बैठ गए हैं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषा पर संयम रखें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसका कारण यह था कि राजा मानसिंह की हत्या के बारे में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बारे में यहां पर असंतोष प्रकट करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए हमने कार्यवाही की। फिर कल जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी तब जिन माननीय सदस्यों ने, नेतागण ने यहां विचार रखे उन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही के नहीं किये जाने को आपत्तिजनक मान कर सीमित शब्दों में अपना रोष प्रकट किया। वैसे तो घटना इतने महत्व की है कि जिसमें हमारे कई मुख्य मंत्री मारे गए, चले गए, हट गए। उसके बाद यह सरकार का दायित्व था कि आज स्वयं सरकार आती। कल ही आती और यह कहती कि इन परिस्थितियों में यह घटना घटी है कौन दोषी है। अर्थात् सरकार का जो कथन था वह सदन के सामने आना चाहिए था। यह कोई नयी घटना नहीं कि सरकार को मालूम नहीं था। यकायक घटित हुई घटना नहीं थी कि सरकार को मालूम नहीं था। सरकार इसकी गम्भीरता को समझ रही थी। सरकार के सामने कई तरह से यह बात लायी गयी थी। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि सरकार को स्वयं इस मामले में स्टेटमेंट देना चाहिए था अपने आप। उसके बाद जब माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे तब तो यह बहुत जरूरी हो गया था, बहुत उचित हो गया था कि सरकार आज यहां आकर कहती कि अच्छा, आपने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है, हम हमारा स्पष्टीकरण या जो भी स्टेटमेंट है वह देना चाहते हैं। आज भी स्टेटमेंट देने की तैयारी न करना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज भी राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं रहे तो सरकार की लापरवाही बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रजातंत्र की रक्षा के लिए यहां बैठे हैं। किस बात का समय देना चाहते हैं आखिर इनको ? क्यों समय ग्रांट कर रहे हैं ? क्या तैयारी नहीं है ? इनको जानकारी नहीं है ? क्या सरकार अब तक जितने सारे तथ्य उपलब्ध करने चाहिए थे वह नहीं कर पायी है ? अगर नहीं कर पायी है तो मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मंत्री सहित सभी लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक यह सारे तथ्य इकट्ठे नहीं कर पाये हैं तो they should quit. वह अन्तर-आत्मा एक की ही जागी है। एक की अन्तर-आत्मा तो जाग गयी थी रात को, मैं समझता हूं कि इनकी दिन में जागेगी। यह सब इस्तीफा देकर चले जावें अगर यह आज तक तथ्य इकट्ठे नहीं कर पाये हैं। तथ्य इकट्ठे कर लिए गये हैं तो उसके बाद आज स्टेटमेंट देने में इनको क्या दिक्कत है ? मैं आपसे यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको टालना चाहती है। सरकार इस मामले को किसी न किसी बहाने से आगे खिसकाना चाहती है। आप तो पार्टी न बनें। you should not be party to it

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भंवरलाल शर्मा : आज ही स्टेटमेंट दिलाया जावे।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आप इस पर पुर्नविचार करें उससे पहले हमको कहने का मौका दें। तब आप निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं।

श्री नवरंगसिंह : (नवलगढ़) : पहले हमको मौका दीजिए। पहले हमको अपनी बात कहने का मौका दीजिए उसके बाद आप पुर्नविचार कीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप हमारी बात सुनने के बाद निर्णय करें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। आप सुनिये मेरी बात।

(व्यवधान)

मैं खड़ा हुआ हूं तो क्या निर्णय देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं ?

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए मैंने यह फैसला किया कि राज्य सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। उस वक्तव्य की तारीख मैंने कल की निश्चित की है। मैंने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि इस स्थगन प्रस्ताव को कोई महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैंने नहीं लिया है। महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव मानते हुए ही मैंने कोई जानकारी की बात नही कही है, न कोई और बात कही है। सीधे सीधे कहा है कि राज्य सरकार इस पर वक्तव्य देगी। जो प्रस्ताव आज मेरे सामने आया है, जिस पर आज मुझे निर्णय लेना है तो स्वाभाविक था कि उसके लिए राज्य सरकार को इतना तो मौका दूं कि मेरे यहां से चिट्ठी जावे। कल उस पर स्टेटमेंट हो जावे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी य' नहीं चाहूंगा कि इस विषय पर माननीय सदस्यों के जो उद्गार हैं या विचार हैं वह सदन के सामने न आवें। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य सदन के सामने लायें। कई प्रक्रियायें, कई तरीके इसके लिए हैं। जो स्थगन प्रस्ताव आया है उस पर मैंने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में किसी प्रकार से आप यह न सोचें कि इस स्थगन प्रस्ताव के महत्व को नहीं समझा गया है। उस हिसाब से कोई टालने की दृष्टि से नहीं

(श्री अध्यक्ष)

लिया गया है। जितना जल्दी से जल्दी सम्भव हो सकता था, मैंने इसके अन्दर समय निश्चित किया है, तारीख निश्चित की है। यह भी नहीं कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से, इच्छानुसार वक्तव्य दे। तारीख निश्चित कर दी कल की। आज जो मैं कह रहा हूं उससे नेक्स्ट डे की तारीख निश्चित की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कृपया इसमें सहयोग करें और इस बात को चलने दें, सदन को चलाने में सहयोग दें।

(व्यवधान)

एक एक करके माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज कौन सी परिस्थिति है ? आज ही वक्तव्य दिलाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। माननीय प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, यह एडजोर्नमेंट मोशन एक ऐसे इश्यू से सम्बन्ध रखता है, जिसकी अहमियत इस बात की है कि आज स्टेटमेंट दिया जावे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि सरकार तैयार नहीं है, वैसे तो सुओमोटो ही ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री केदारनाथ शर्मा : सरकार को सुओमोटो ही स्टेटमेंट देना चाहिए पहला उत्तरदायित्व इनका यह था। जो इन्स्टांस हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है वह 21 तारीख या 20 तारीख को हुआ है। इनको एक महीने का टाईम मिल गया और हमें आज फर्स्ट अपारचूनिटी मिली है। अपोजीशन के मैम्बर्स ने उस फर्स्ट अपारचूनिटी को अवेल किया है। इनका जो एडजोर्नमेंट मोशन है धारा 52 में, वह बिल्कुल साफ है। आप यह नहीं कह सकते कि हमको जानकारी नहीं है। इसके पहले ही आपको निवेदन कर दिया कि चूंकि हमको आज ही मौका मिला है, इस हाउस में पहली अपारचूनिटी मिली है उसको हमको पहले अवेल करने दिया जाय—नम्बर वन। एक ही सब्जेक्ट है, जिसकी अहमियत इस बात से है कि मुख्य मंत्री का स्टेप डाउन हुआ। इलेक्शन सिस्टम से इसका रिलेशन होना, पालीटिकल लाइफ से इसका मेल होना चाहिये और सारे राजस्थान की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन से इसका एलीमीनेट होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, जो केसेज चल रहे हैं उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। आज सरकार आपको यह निवेदन करे कि हमने इसको सी. बी. आई. को दे दिया है, मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, सी. बी. आई. को देने के बाद क्या हम यहां बोल नहीं सकते ? एक वर्शन दिया है सरकार का केवल पुलिस डिपार्टमेंट का एक वर्शन उनके सामने गया हैं। पब्लिक की ओर से पार्टीज की ओर से अपना कोई वर्शन आज तक पेश ही नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि सी. बी. आई. निष्पक्षता से इसकी जांच करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां पर नहीं बोलने देने का प्रश्न नहीं है। आप नहीं बोल सकेंगे, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा : इसलिए धारा 50, 51 और 52 जो प्रि-रिक्वीजिट्स हैं एडजोर्नमेंट मोशन के लिये जो आपसे निवेदन किया, उस पर चर्चा एडजोर्न कर दीजिये आधा घन्टे के लिये। अपने स्टेटमेंट साथ आ जाय और उस स्टेटमेंट पर बहस हो जाय, यही हमारा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

मैंने पुकार लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जिस प्रकार की घटना है इस घटना में आपने वक्तव्य देने की बात तो कही है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यह है कि वक्तव्य की बजाय स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और स्थगन प्रस्ताव पर बहस करायी जाय। उस बहस का सरकार जवाब दे। हम इस घटना के बारे में राज्य सरकार को सेंसर करना चाहते हैं और सेंसर करने का सबसे बढ़िया मोशन अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सात बार जो व्यक्ति विधायक रहा, जो हमारे सबसे पूज्य व्यक्ति थे, माननीय व्यक्ति थे, उनकी इस प्रकार से निर्मम हत्या हो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसी विषय पर अपने आपको सीमित रखें। मेरा मतलब समय का सवाल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, समय का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : और कोई सवाल नहीं है। इस पर अपने आपको सीमित रखें, बहस के ऊपर अभी जायेंगे तो वही बात हो जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इसी पर कह रहा हूं। इसलिये मैं कह रहा हूं, इससे बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं हो सकती जिस पर सदन का काम रोक कर बहस की जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं, पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राज्य सरकार को सेंसर करने के लिए सदन की कार्यवाही को रोका जाय और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। स्थगन प्रस्ताव पर आज बहस हो और सरकार बहस का जवाब दे। उस समय इस पर विचार होगा कि काम रोको प्रस्ताव को सदन स्वीकार करता है कि अस्वीकार करता है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि आपने कल का दिन वक्तव्य का नियत किया है। हम चाहते हैं कि इस पर सदन की आज की कार्यवाही रोकी जाय। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय और उस पर बहस करायी जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र जाट....

(व्यवधान)

मैंने पुकार लिया।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय

(श्री रामचन्द्र जाट)

अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह नियम 50 के तहत पेश किया है। संसद में भी वह नियम 50 के तहत पेश किया है। संसद में भी यह परम्परा रही है कि अगर कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, सरकार उस पर, मान लो, तैयार नहीं है चर्चा कराने के लिये तो दूसरे दिन के लिए जो हमारी संसद के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके उसको चर्चा के लिए दूसरे दिन भी रखा जा सकता है। हमारा यही निवेदन है, हम नहीं चाहते कि रूल 290 के अनुसार कोई वक्तव्य दिया जाय। हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारा जो प्रस्ताव है वह स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल नियमों के अन्तर्गत है. पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, बहुत तात्कालिक महत्व का प्रश्न है। अगर सरकार उस पर चर्चा के लिये आज तैयार नहीं है तो उस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और चर्चा के लिए कल रखा जाय। लेकिन वक्तव्य देने के रूल 290 के आधार पर हम नहीं चाहते कि इस पर वक्तव्य दे करके चर्चा समाप्त कर दी जाय। स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। हमारा तो यही आग्रह है, यही निवेदन है कि इस पर चर्चा आज की जाय। अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए आज तैयार नहीं है तो कल की तारीख तय की जाय लेकिन स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि स्थगन प्रस्ताव का जो मूल उद्देश्य है, नियम 50 का जो उद्देश्य है उस पर आपका ध्यान कम जा रहा है। आखिर यह स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था क्यों रखी गयी है? इस व्यवस्था में यह मामला, जो स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके सामने आया है, यदि चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है तो आप आसानी से इसको खारिज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो कुछ कहा है उस पर आपकी आत्मा भी इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि स्थगन प्रस्ताव का विषय वाकई में स्थगन प्रस्ताव की आत्मा को सपोर्ट करने वाला है। जब यह बात तय है तो फिर इसको आगे पीछे करने का सवाल पैदा नहीं होता। या तो आप इस विचार के हैं कि स्थगन प्रस्ताव का जो विषय है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर कुछ विचार किया जाय। आप जब इस बात को मन में मान रहे हैं, शब्दों में आपने प्रकट नहीं किया कि वाकई में विषय तो चर्चा के उपयुक्त ही है तो फिर इसमें आज और कल करने का कोई सवाल नहीं है। स्थगन प्रस्ताव के लिये जो नियम बनाये गये हैं उन नियमों की जो मूल भावनाएं हैं, उन भावनाओं को देखते हुए और स्थगन प्रस्ताव के विषय के महत्व को देखते हुए इसे आज ही स्वीकार किया जाना चाहिए या जैसा मेरे सहयोगी ने सुझाव दिया है कि उसको आज स्वीकार करके बहस कल करवा लें। यह एक नीति की बात लगती है। लेकिन इसको स्वीकार करने में कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं, आप इस बात में मेरे से सहमत होंगे।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष

(श्री नवरंगसिंह)

महोदय, मामला जो है, बहुत संगीन है। माननीय राजा मानसिंह जी, इस सदन के लगातार सात बार सदस्य रहे हैं। जो मामला सामने आया है उससे निश्चित तौर पर लगता है कि इसमें सरकार के मुखिया निलिप्त हैं, नीचे के पुलिस अधिकारी निलिप्त हैं और केन्द्र के राज्य मंत्री इसमें निलिप्त हैं क्योंकि पहली बार हमको....

अनेक माननीय सदस्य : लिप्त हैं, लिप्त हैं।

श्री नवरंग सिंह : लिप्त हैं। लिप्त बोल रहा हूं। पहली बार सदन में विपक्ष को यह अवसर मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आसन से, चूंकि महत्वपूर्ण मामला है इसको किसी भी सूरत में टाला नहीं जाना चाहिए। आज ही इस पर बहस होनी चाहिए और सरकार से इस पर आज ही वक्तव्य दिलाना चाहिए। यदि कहीं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करने की बात आये तो उस पर आप विचार कर सकते हैं लेकिन इस मामले, जिसमें 3–3 मुख्य मंत्री बदल चुके हैं राजस्थान की जनता के सामने प्रश्न लगा हुआ है, को टाला जायेगा तो यह माना जायगा कि सरकार इस मामले को आपके माध्यम से टालना चाहती है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही इस मामले को लिया जाय, बहस के लिए। सरकार को इसके लिए बाध्य किया जाय कि वह आज ही वक्तव्य दे। सारी चर्चा इस पर हो।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगर राम पंवार।

श्री डूंगर राम पंवार (टीबी.) : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न को टाला जाता है तो मैं समझूंगा कि डेमोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है जो सरकार पर हावी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 21 तारीख की घटना है, एक मास गुजर गया, आपने भी इसकी इम्पार्टेंस समझी और इम्पार्टेंस समझने के कारण सरकार को कल वक्तव्य देने के लिए कहा। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य सीकर से आने वाले ने जो प्रस्ताव रखा है, आपने इम्पार्टेंस समझी कि कल वक्तव्य दिया जाय, मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। काम रोको प्रस्ताव के नाते इसको स्वीकार किया जाय और बहस की जाय। प्रश्न इतना सा ही है। आपने इम्पार्टेंस समझी और समझ कर कल वक्तव्य देने की बात सरकार को कही। आपके मन में भी बहुत इम्पार्टेंस है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्य मंत्री पर उनकी आत्मा की, अन्तर आत्मा की आवाज के कारण रात्रि को ही इस घटना के कारण इतना असर हुआ, कारण और रहे होंगे उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, कि उनको इस सदन के नेता पद से, मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके मन में भी इम्पार्टेंस है। राजस्थान की जनता समझ रही है कि आज पहला अवसर है, पहला दिन है, जिस दिन इतना भीषण हत्याकाण्ड जो राजस्थान में हुआ है उस विषय पर यह सर्वोच्च सदन निश्चित रूप से बात करेगा, विचार करेगा और विचार-विमर्श करने के पश्चात् कुछ निष्कर्ष उसमें से निकालेगा। आज की बात टाल कर कल पर छोड़ देना, केवल वक्तव्य के नाते उसको टालना मेरा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर पुर्नविचार करें। केवल कल वक्तव्य की बात न करके इसको काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें, बहस का अवसर दें। बहस के पश्चात् राजस्थान की सरकार अपना उत्तर दे। पूरी प्रक्रिया अपनाई जाय। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि इस घटना से पूरे राजस्थान में और देश में भी जिस तरह की हलचल हुई है उस नाते से भी यह आवश्यक है।

इससे अधिक इम्पार्टेंस का विषय इस सत्र के लिए दूसरा हो नहीं सकता इसलिए मेरी फिर आपसे अपील है कि आप अपनी रूलिंग पर पुर्नविचार करके काम रोको प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रूल 54 कोट किया गया है इस घटना की....

श्री अध्यक्ष : रूल 50 कोट किया है।

श्री सी. पी. जोशी : जो रूल 50 कोट किया गया है स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, इस रूल 50 को आपको रूल 53 की लाइट में इन्टरप्रेट करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना का हमको भी दुःख है लेकिन इस घटना में पिछले एक महीने से विरोधी पक्ष राज्य सरकार को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में नहीं बोलें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना से पिछले एक महीने से राजस्थान सरकार को डार्क में डाल कर पोलिटीकल फायदा उठाने का विरोधी पक्ष का रवैया रहा है। एक तरफ यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार इसमें इन्वोल्व है। राजस्थान सरकार ने इसमें जज अपाइन्ट किया है, इसकी इन्क्वायरी हो रही है इसलिए इस स्टेज पर सदन में डिस्कस करने पर यह मैटर इन्फ्लुअंस हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना का हमें दुःख है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जा रहा है, राज्य के किसी मंत्री को पक्षकार बनाया जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस घटना की सही जांच हो। जब तक न्यायाधीश कोई इस पर निर्णय नहीं ले तब तक सदन में इस पर चर्चा न की जाय अन्यथा यह मैटर इन्फ्लुअंस होने का डर है।

श्री अध्यक्ष : हाउस के सदन के नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : सरकार की यह मन्शा नहीं है कि इस पर वक्तव्य नहीं दिया जाय। सरकार चाहती है माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करना। आपने आदेश दिया है कल वक्तव्य देने का, इसलिए सरकार कल वक्तव्य दे देगी। इस पर कहीं कोई एतराज नहीं है कि इसके ऊपर चर्चा न हो। जहां तक माननीय सदस्यों की भावना का प्रश्न है, राजा

(श्री हरिदेव जोशी)

मानसिंह के बारे में कल भी मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करते समय कहा था, आज भी कहता हूं, फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कभी यह मंशा नहीं रही है कि सरकार के सामने जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं किया जाय। आपका आदेश है कल देने का, कल वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल आज का है। जिसकी हत्या हुई वह व्यक्ति कौन था ? सवाल है यह कौन व्यक्ति था ?

श्री यदुनाथ सिंह : काम रोको प्रस्ताव मन्जूर करने का था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री हरीश शर्मा : जिले में उसका कितना प्रभाव था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों की पालना करें। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानते हुए सोचता हूं कि जो विरोधी दल के नेतागण हैं और सदन के नेता महोदय हैं, स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के बाद जब हमारी रेगूलर कार्यवाही प्रारम्भ हो जाय उस समय अपने चैम्बर में इस सम्बन्ध में बात करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपकी भावनाओं को....

श्री नत्थी सिंह : स्थगन प्रस्ताव है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

एक माननीय सदस्य : सवाल भावना का है इस पर व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मजबूर नहीं करें। नियमों का पालन करें।

श्री हरीश शर्मा : नियमों की पालना सरकार जो कर रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, अभी तो आपको आसन के नियमों की पालना के लिए कह रहा हूं, सरकार के नियमों की पालना के लिए नहीं कह रहा हूं। कृपया सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहयोग कीजिये। मैंने इस विषय पर जब गम्भीरता से सोचा, मैं समझता हूं कि आप लोगों से बातचीत करके किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके वह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है।

(व्यवधान)....

(श्री अध्यक्ष)

मैं आज की बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य, इस विषय को कृपया बन्द कीजिये। कृपया इस विषय को क्लोज कीजिये। कृपया, माननीय सदस्य, क्लोज कीजिये। एकमात्र रास्ता निकालने की दृष्टि से कोई बात हो सके इसलिए मैंने बात कही है। माननीय सदस्य, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सहयोग आप आसन के साथ करेंगे, ऐसा मान कर चल सकता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आज ही बात करने के लिए कहा है कि आज ही बात करके....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : आप भी विपक्ष के साथ सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : एक विपक्षी, जिसकी हत्या कर दी गयी....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : यह नहीं हो सकता। जवाब आज ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष : जवाब कब आयेगा, कब नहीं आयेगा इस पर बात करने की दृष्टि से ही तो आपके साथ बैठ कर बात करने की चेष्टा कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जवाब नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन में चर्चा करने के लिए कहीं पर भी ना नहीं कहा है न ही आसन की तरफ से ना कहा गया है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी कर लीजिये बात स्थगित करके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें। न आसन की तरफ से ना कहा गया है और न सदन के नेता महोदय की तरफ से ना कहा गया है। इसकी जो भी सदन में चर्चा करनी है चर्चा होगी। वह स्पष्ट बात हो चुकी है, इसमें कहीं आपको संकोच और शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से....

श्री हरीश शर्मा : कितना समय हो गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें सहयोग करें। विभिन्न दलों के नेतागण और सदन के माननीय नेता महोदय के साथ बैठ कर चर्चा कर लूंगा। जैसा भी निर्णय आप लोग बैठ कर तय करेंगे उसी आधार पर इस सदन में कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में।

श्री नत्थी सिंह : मानीय अध्यक्ष महोदय, सदन की बैठक को अभी स्थगित कर दीजिये, 15 मिनट, 20 मिनट के लिये और अपने

(श्री नत्थी सिंह)

चैम्बर में चर्चा कर लीजिये, व्यवस्था कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होगा, बैठिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा हूं । आप इसके लिए, अध्यक्ष महोदय तैयार हैं । सरकार को कोई आपत्ति नहीं है वक्तव्य देने में । मैं इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहता । मेरा निवेदन तो केवल इतना है, हम वक्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं । सरकार के पास पूरी जानकारी है, सरकार तैयार है । आपने कहा कि मैंने सरकार को पत्र लिखा है कि वह कल वक्तव्य दे । इसमें आपको पत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार सदन में मौजूद है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, जब आप तैयार हैं, सरकार तैयार है, तो हम काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करवाना चाहते हैं । इसमें वक्तव्य का सवाल ही नहीं है । हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है, उसको आप स्वीकार करें । उसके ऊपर चैम्बर में जाकर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी । माननीय सदस्य, मैं समझता हूं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक अड़चन आयेगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक कानूनी अड़चन आयेगी बाद में । यह एडजोर्नमेंट मोशन है....

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर चल रहा है माननीय सदस्य पाइन्ट ऑफ आर्डर के ऊपर पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होगा ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो आपकी व्यवस्था पर है । आप देखिये, रूल 54 इस सम्बन्ध में बहुत साफ है—

"Mode of asking for leave to move adjournment motion–(1) The Speaker, if he gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the Questions

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

and before the list of business is entered upon, call the member concerned —"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एप्लाई नहीं होता है। मैंने कन्सेन्ट नहीं दी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : You have given the consent.

श्री अध्यक्ष : No, No, माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम नहीं दी है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव पेश किया है। कोई सूचना नहीं चाहिये। हमने काम रोको प्रस्ताव पेश किया है. उसके लिये कोई सूचना नहीं चाहिये। काम रोको प्रस्ताव पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने सूचना की बात नहीं कही है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : सदन की बैठक को स्थगित करके अभी बात कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। आपकी भावनाओं को देख कर मैंने व्यवस्था दी है। मैं समझता था कि, माननीय सदस्य मेरे साथ को-आपरेट करेंगे। मुझे दुःख है इस बात का कि आप को-आपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं फिर दरख्वास्त करता हूं....

श्री हरीश शर्मा : उनकी हत्या हुई है इस चुनाव में, सवाल गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। इस गम्भीर मसले को....

श्री हरीश शर्मा : सवाल गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : इस मसले को आप गम्भीर मान कर चलते हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि इस गम्भीर मसले की आपकी इस बात से गम्भीरता खतम होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री हरीश शर्मा : गम्भीर मामला है, जवाब चाहिये। यह हमारा अधिकार है।

It is our right.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं। बार-बार रिपीट नहीं करें। आसन पांवों पर हो तो कृपया नियमों का पालन करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हू। आप पुराने सदस्य हैं इस सदन के। तो मैं यह निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके साथ प्रस्ताव में कानूनी अड़चन आ जायेगी। आपने जो अभी प्रस्ताव किया था, आपने जो प्रस्ताव दिया है उसमें उसके मायने में कानूनी अड़चन आ जायेगी। एडजोर्नमेंट मोशन है। अगर एक बार विधान सभा की कार्यवाही चालू हो जाये —

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी एडजोर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था हो चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको स्वीकार कर लीजिये। इतनी सी तो बात है। आप इसको स्वीकार करके आज ही चर्चा की बात कर लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप तीन-तीन खड़े हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट सुनलें, साहब। यह एडजोर्नमेंट मोशन है। इसका अर्थ यही है कि इस विधान सभा की कार्यवाही रोक दी जाय। आप कहते हैं कि अभी कार्यवाही चालू कर देंगे और फिर बीच में बहस करेंगे। तो वह एडजोर्नमेंट नहीं होगा, वह सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा। Then you will have to suspend the Proceeding.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप खुद को मालूम है परम्परा इस सदन की। आप खुद ही यह बात कर रहे हैं। आप इस सदन में कोई नये सदस्य नहीं हैं। दोनों पक्षों में बैठ चुके हैं। आपको स्वयं मालूम है परम्परा इस सदन की। कई बार राज्य सरकार से वक्तव्य बीच में कार्यवाही को रोक कर दिलाये गये हैं या सदन में हुए हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई सवाल नहीं है। मैं स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे चुका हूं। इस दृष्टि से जब आपकी भावनाएं देखी तो मैंने कहा चर्चा करेंगे, फिर कभी बात होगी, बात की जा सकती हो तो करने की कोशिश मैं करूंगा।

(व्यवधान)

यह मैंने कहा है माननीय सदस्य, जब आसन की ओर से इतना को-आपरेशन मिल रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप निश्चित रूप से को-आपरेट करेंगे, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, कोई भी मोशन, कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव के आने के बाद जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसको बोलने का हक होता है। He has a right to begin. उसको पहले कहने का हक होता है। इस कारण जब एडजोर्नमेंट मोशन आया उसके बाद में यह आवश्यक नहीं है कि जवाब दे ही। वह यह सरकार की मर्जी की बात है। आपने व्यवस्था दी है, दें। परन्तु मोशन आने के बाद बोलने का हक विरोधी पक्ष को है, जिसने भी मोशन रखा है उसको है। अभी मालूम ही नहीं है, मोशन में क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं, उस पर सरकार क्या जवाब देगी? हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वह बतायेंगे, क्या आरोप हैं, क्यों हम उठाना चाहते हैं। इसके बिना सरकार का जवाब होगा वह अधूरा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मोशन रखा गया है पहले उस पर चर्चा की जाय। Right to begin हमारा है। मैं कहना चाहूंगा कि फिर मालूम होगा कि इन चीजों पर जवाब देना है। उसका उत्तर देओ और इसके बाद सरकार उसका उत्तर देने के लिये समय ले सकती है। आपसे निवेदन करके समय मांग सकते हैं—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : तो जिसने मोशन रखा है, नियमों में है, कहीं भी देखें, जो मूल भावना नियमों की है उसमें है, कि जो भी मोशन रखता है किसी भी नियम में किसी भी कानून में उसको राइट आफ दी बिगन है।

श्री अध्यक्ष : आप आगे की बात कर रहे हैं। जब मोशन स्वीकार कर लिया जाय....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह सवाल तब आता है जब मैं एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लूं और उसको पहले बोलने का हक न दूं। सवाल यह नहीं है। मैंने इस मोशन को स्वीकार नहीं किया है इसलिये आपकी यह दलील उचित प्रतीत नहीं होती है।

माननीय यदुनाथ सिंह।

श्री बिरदमल सिंघवी : मोशन क्यों स्वीकार करें, हम आपको उसके बारे में बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय यदुनाथ-सिंहजी को पुकारा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सम्मान से कहना चाहती हूं कि बहुत देर से आपके इशारे की तरफ देख रही हूं, हर बार मैं बैठ गयी हूं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। यह एक बहुत मार्मिक प्रसंग आया है, इसको इस तरह मत टालिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपने नम्बर पर बोल लें। मैंने यदुनाथ-सिंहजी को पुकारा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे इसके बाद अवसर दे दें।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री यदुनाथ सिंह : आप भी आ जाइये।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकार लिया है उसके बाद तो मत पूछिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है आपसे जो आपने व्यवस्था दी है उस पर पुनर्विचार करने का। वह इस आधार पर है, आपने कहा कि सरकार को हम ने वक्तव्य देने के लिये कहा, सरकार वक्तव्य देने के लिये स्वयं नहीं आयी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था आसन को कि सरकार इस मामले में वक्तव्य देना चाहती है. इसी से जाहिर होता है कि सरकार इस ममले को कितनी गम्भीरता से लेती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भावना को जानते हुए बहुत उचित होगा कि आज आप इस काम रोको प्रस्ताव का मंजूर करें ताकि सदन में तनाव न बने। यह मसला हमारी

(श्री यदुनाथ सिंह)

भावनाओं से जुड़ा हुआ है, यह मसला सदन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, यह मसला राजस्थान के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथ सहयोग करें। कोई कार्यवाही चलने नहीं दी जायेगी जब तक कि आप इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करके चर्चा नहीं करवायेंगे। हम नहीं चाहते सरकार से वक्तव्य। सरकार वक्तव्य देती तो स्वयं आती सामने हमें हमारे काम रोको प्रस्ताव पर व्यवस्था चाहिए। आप इसमें हमारा सहयोग कीजिये नहीं तो काम हम को स्वयं रोकना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस मामले में बहुत टची है, बहुत सेन्टीमेन्टल हैं इसलिये काम रोको प्रस्ताव मंजूर करें। एक सीधी-सादी विपक्ष की मांग है कि हम इस काम रोको प्रस्ताव को मंजूर करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जस्ट ए मिनट।

सदन के नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : कहीं कोई गलतफहमी मालूम पड़ती है, अध्यक्ष महोदय। गलतफहमी यह मालूम पड़ती है कि सरकार कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती है। सदन से बाहर की बातचीत को सदन में रेफर करना ठीक नहीं है। मैंने जिम्मेदार लोगों से बात की है और अपनी ओर से कोई इन्सेन्टिव लेना भी चाहा था। अलबत्ता मेरी जानकारी में कल तक या परसों तक यह नहीं आया था कि कोई एडजोर्नमेंट मोशन आया है अथवा कुछ है। मगर मैं समझता था कि यह प्रश्न सदन के समक्ष आयेगा। गवर्नमेंट इसको टालना नहीं चाहती है। अरलिएस्ट इसे लेना चाहती है। आपने, क्योंकि आपके अधिकार में था, अपना निर्णय दिया। उस निर्णय को यह कहना कि ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। माननीय सदस्य जैसा ठीक समझें, कहें। जहां तक सरकार का सवाल है, आपने कल वक्तव्य देने के लिये कहा, सरकार ने उसको भी शिरोधार्य किया। अगर सदन की ऐसी इच्छा है कि आज दिया जाय तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मेरी मंशा कभी इस मसले को टालने की नहीं रही, बल्कि इस सिचुएशन को सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहता था और लाना चाहता हूं। इसके बारे में चाहे आप चैम्बर में बातचीत करें, जैसा आपने अभी कहा है, मेरी ओर से एक क्षण भी इसमें देर करने की कहीं कोई मंशा नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आज ही वक्तव्य दिया जाय तो मैं शाम को वक्तव्य दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : बेकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया....

(१०)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल वक्तव्य का नहीं है। सवाल हमने जो यहां पर प्रस्ताव दिया है उसका है। हम काम रोको प्रस्ताव पर बहस करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

मैं माननीय सदस्यों से कई बार निवेदन कर चुका हूं कि एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात का वजन रहेगा और उस बात को समझा जा सकेगा। आप सब एक साथ बोल लेते हैं। यह जो अपनी आदत पड़ी हुई है कृपया उसको बदलने की कोशिश करें, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव आया उस पर मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, यह स्पष्ट है। मैंने राज्य सरकार से इस पर वक्तव्य देने की बात कही है। आप सब, माननीय सदस्य, जानते हैं कि जब किसी विषय पर राज्य सरकार का वक्तव्य इस सदन में आया है तो माननीय सदस्यों ने बहस की तरह से उस वक्तव्य पर चर्चा की है। इस सदन में इस पर आप बहस करना चाहते है तो कोई मुमानियत नहीं है। जब वक्तव्य आता है तो माननीय सदस्यों को, खास तौर से उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, उनको तो अपना अधिकार मिलता ही है लेकिन इस सदन में कुछ माननीय सदस्य दूसरे भी हैं उनको भी अगर आवश्यकता होती है तो मौका दिया जाता रहा है, यह आप, माननीय सदस्यों की जानकारी में है। इसलिये इसको उलझायें नहीं जब यह हो गया है तो। मैं यह निश्चित करता हूं कि आज शाम को अपराह्न 3–'0 बजे इस विषय पर वक्तव्य होगा और सदन में इस पर चर्चा होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने में कठिनाई क्या है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय —

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को मजबूर न करें।

श्री नवरंग सिंह : स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने में आसन को क्या कठिनाई है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री शोपत सिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्यगण इतनी बात के बाद भी उसी तरह से उद्वेलित हैं। मैंने हरेक की बात सुनी है, नहीं सुनने की बात नहीं और उसके आधार पर निर्णय को बदलने की जरूरत पड़ी है तो मैंने बदला भी है। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्य निश्चित रूप से इसमें मेरा सहयोग करेंगे। जहां तक चर्चा करने का सवाल है, उसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाया जाय। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें। गम्भीर मसला अगर आप मानते हैं तो इसको गम्भीरता से लें। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने में मेरी अपनी मजबूरी है। मैं स्वीकार नहीं कर सकता मेरा अपना लाजिक है, मेरा अपना तर्क है इसके पीछे जो स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस सदन में चर्चा होती वह चर्चा आप सब जानते हैं कि उसी रूप में होती है। प्रस्ताव स्वीकार किया जाय या न किया जाय, इससे कोई भेद नहीं होता है। आप सब को मालूम है कि इस मामले पर जूडिशियल कमीशन बैठा हुआ है, इन्क्वायरी इसकी होगी। इन्क्वायरी होगी इसके साथ-साथ सी. बी. आई. के पास अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। इन स्थितियों में आप स्वयं पढ़ेंगे इसको, यह है....

एक माननीय सदस्य : रूल 53.

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं। लेकिन वह नहीं चाहते। मैं निवेदन करता हूं आपसे....

"Motion for discussion on matters before tribunals, commissions etc.—No motion, which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved;

माननीय सदस्यगण....

(व्यवधान)

प्लीज।

"Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

इन प्रोविजो को ध्यान में रखते हुए मैंने सदन को इजाजत दी है कि इस पर चर्चा होगी। मैंने इस प्रोविजो को पढ़ा है। Don't think that I have not read it.

श्री नाथू सिंह : You can accept the adjournment motion.

श्री अध्यक्ष : It is my discretion which I use judicially. यह मेरा डिस्क्रिशन है जिसको मुझे सिद्धांततः देखकर एक्सेप्ट करना है। तो मैं अपने डिस्क्रिशन को कैसे काम में लूं, यह मुझे सोचना होगा और इन रूल्स के आधार पर सोचना होगा। उसी आधार पर मैंने यह निर्णय दिया कि मैं एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार करने में असमर्थ हूं। फिर भी चर्चा की दृष्टि से मैंने कहा है, रास्ता निकाला है कि स्टेटमेंट होगा इस पर और सदन में इस पर चर्चा होगी। मैंने आपसे कहा कि उस चर्चा में आप स्वयं जानते हैं, यह जो चर्चा होती है It is not a censure motion—जिसके ऊपर आप कोई वोट दिला करके, कोई फैसला करके सरकार को गिरवा देंगे। उस स्थिति का मोशन नहीं है। तो इसमें फर्क कहां रह गया ? इसलिये माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो डिसीजन हुआ है उसको माननीय सदस्य स्वीकार करें और सदन की कार्यवाही को आगे चलाने में सहयोग दें। माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : आपने जो व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सहयोग के लिये मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूं। इम्पार्टेन्ट आपने समझा, कल वक्तव्य की बात कह दी। आज और इम्पार्टेन्ट समझा, तीन बजे इस पर चर्चा होने की बात कह दी। प्रश्न इतना सा ही है कि इम्पॉर्टेन्स कितनी है ? यह बात सच है कि आपने डिस्क्रिशन से अलाउ कर दिया इसलिये इस सोविजो....

(व्यवधान)

Let me complete, Sir.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप उसी बात को....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट मिनट केवल। इसका महत्व इस परिमाण में तो आपने समझ लिया। तीन बजे इस पर चर्चा हो जाय। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि यह जो निर्णय आपने दिया, इस पर पुनर्विचार इस नाते से करें कि जितनी इम्पार्टेन्स समझी है कल वक्तव्य दिलाने की, फिर आज तीन बजे दिलाने की, शायद यह इतना महत्व का प्रश्न है। इस सदन में परम्परा भी रही है मुझे ध्यान है कि एडजोर्नमेंट मोशन एक बार यहां स्वीकार किया गया उस पर बहस सदन में हुई। इसलिये एसा नहीं कि ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है। इतना इम्पॉर्टेन्स का विषय, आपने इम्पॉर्टेन्स थोड़ी एक डिग्री कम रखी है कि तीन बजे इस पर चर्चा हो जाय। हमारा निवेदन केवल इतना सा ही है, जितनी इम्पॉर्टेन्स का महत्व का विषय है इस नाते से राजस्थान की जनता जानना चाहती है। इतनी बड़ी घटना हो गयी, मुख्य मंत्रीजी का इस्तीफा आ गया। इसलिये मेरी विनम्र अपील है कि आपने जो किया है तीन बजे, उसकी बजाय इस समय ही एडजार्नमेंट मोशन पर विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जाय। सरकार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अपना जवाब दे दें और पूरी बहस हो जाय। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इसको स्वीकार करने में मेरी मजबूरी है। मैंने अपना निर्णय दे दिया। पहले का निर्णय था उसके ऊपर काफी चर्चा होने के बाद, आपसे विचार-विमर्श....

एक माननीय सदस्य : ऐसे में विपक्ष सदन में रहना कठिन है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : सदन से वाक आउट करके अपना

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे में हमारे दल को सदन से बहिर्गमन करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम वक्तव्य नहीं चाहते, सरकार का भाषण नहीं चाहते।

(विपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में सिर्फ समय के परिवर्तन की मांग है। आपने व्यवस्था दी कल की। मुख्य मंत्रीजी ने उससे भी अधिक महत्त्व समझा इस बात का और इस बात को स्वीकार किया कि वह आज तीन बजे ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने समय बदलने की बात थी वह भी कर दी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि सरकार का वक्तव्य तैयार है तो फिर डिले करने का कोई कारण नहीं है। यदि सरकार का वक्तव्य तैयार नहीं है तो प्रश्न दूसरा है। मुख्य मंत्रीजी को कोई सूचना नहीं मंगानी है। उनका वक्तव्य तैयार है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि यह प्रेस्टीज का क्वेश्चन है कि हम अभी नहीं देंगे, तीन बजे देंगे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं देखा, खुशी के मौके पर लोग तालियाँ बजाते हैं, खुशी के मौके पर लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं, यहां मृत्यु के उपरांत पूरे का पूरा दल हृदयहीनता से तालियाँ बजा रहा है। मृत्यु जैसा मार्मिक प्रसंग हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस के लोग अपना हृदय घर छोड़ आये हैं। घरवालों की मृत्यु पर इनको दुख हो सकता है, इस सदन का एक माननीय सदस्य जिसको यह कहा गया कि भय रहित चुनाव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : भय रहित चुनाव करवाया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके निर्णय के बाद सरकार जब तीन बजे आ गयी स्टेटमेंट देने के लिये, सरकार की ओर से यह जवाब आ गया तो विरोधी पक्ष को इस बात को एक ताकत के रूप में समझना चाहिए था। हमको सरकार का स्टेटमेंट मालूम हो जाता कि इन परिस्थितियों में क्या कहने जा रही है तो यह बहस ज्यादा अच्छे ढंग से होती मैं इस पक्ष में हूं कि जब आपकी तरफ से निर्णय दे दिया गया, तीन बजे सरकार अपने जवाब के लिये आ रही है तो विरोधी पार्टी के लोगों को सुनना चाहिये था। उसके बाद बहस ज्यादा अच्छी होती। यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग सिर्फ बहस के लिए ही बहस करना चाहते हैं। यह मैं उचित नहीं समझता हूं। जब सरकार दो घन्टे बाद में स्टेटमेंट देने जा रही है तो कौन सा सवाल आता है। केवल इसीलिये मैं आपकी रूलिंग से सहमत हूं। विरोधी पार्टी के लोगों को भी जिम्मेदारी के साथ सदन की कार्यवाही को चलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है और जिन को इस पर दो मिनट बोलने की मैंने इजाजत दी है मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ। श्री दाऊदयाल जोशी।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्न को राज्य सरकार के पास न भेज कर आपने मुझे जो बोलने की अनुमति दी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात कहने के बाद इसको राज्य सरकार के पास अवश्यमेव भेजा जाय। इसकी महत्ता मेरी बात सुनने के बाद आपको भी महसूस होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक दिन में 10 सड़क दुर्घटनाएं हुई। यह राजस्थान में एक कीर्तिमान है। राजस्थान के पुलिस का ट्रैफिक विभाग भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि नित्य-प्रति समाचार-पत्र को खोलने के साथ ही हमको दुर्घटनाओं की खबर मिलती है। कल की तारीख में, एक दिन के अन्दर ही दस व्यक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटना में मारे गये हैं। यह जो केस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसी से संबंधित है। लालचन्द नामक व्यक्ति झालावाड़ में रोड के किनारे जा रहा था, पीछे से एक ट्रक वाले ने उसके टक्कर मारी, टक्कर लगने के साथ ही उसके पेट से आंतें बाहर निकल आयीं। अध्यक्ष महोदय, पेट से आंतें निकलने के बाद झालावाड़ के अन्दर उसका ऑपरेशन हुआ, आज से चार माह पूर्व। दस दिन बाद उसके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने उसका उपचार किया। ऑपरेशन किया तब उनको ध्यान नहीं आया और पेट के अन्दर पांच इंच लम्बी कैंची पड़ी रह गयी। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन बाद फिर ऑपरेशन हुआ। तब भी डॉक्टरों को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पता नहीं लगा कि पेट के अन्दर पांच इंच लम्बी कैंची डॉक्टरों ने छोड़ दी है। फिर उसका आठ दिन बाद ऑपरेशन हुआ। चार ऑपरेशन होने के बाद भी जब उस गरीब का चार महिने में कोई उपचार नहीं हो सका तो वह गरीब अपनी भयंकर दरिद्रता की अवस्था में पैसे जुटाकर जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आज से आठ दिन पहले आया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आने पर उसका एक्सरे लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिये भी कह रहा हूँ कि झालावाड़ के अन्दर एक्सरे मशीन खराब हुई पड़ी है आठ महिने से, मरीज से कहा जाता है बाहर जाकर एक्सरे करा कर लाओ। सरकार की एक्सरे मशीन लगी हुई है झालावाड़ के अन्दर लेकिन वह काम में नहीं आती क्योंकि डॉक्टरों से दलाली बंधी हुई है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना है कि चार बार ऑपरेशन होने के बाद वह गरीब पैसे की व्यवस्था करके अगर जयपुर तक नहीं जाता तो उस गरीब को अपने प्राणों से हाथ धोना ही पड़ता। वह पांच इंच लम्बी कैंची उस गरीब के प्राणों को हर लेती।

(12.00 मध्यान्ह)

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को जो आपने अस्वीकार किया है, इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को लिखिये, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास भेजिये, इसकी जांच करवाई जाय कि वह कौन × × × डॉक्टर है जिसने इस गरीब के साथ मखौल किया है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अनपार्लियामैण्टरी है, यह मुझे भी मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य हैं, आपको ज्ञात है कि यह अनपार्लियामैण्टरी है फिर भी आप काम में ले रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो लायक है वह × × × नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो शब्द बोला गया उसको एक्सपंज करा दिया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × × शब्द तो नहीं कहता हूँ लेकिन....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वह व्यक्ति उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसकी उचित व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करे-पहली मांग। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि लालचन्द नामक व्यक्ति के समुचित इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार अपने खर्चे पर करे और ऐसे

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

डॉक्टर, जिसने उसका ऑपरेशन किया है, को तुरन्त निलम्बित किया जाकर दण्डित किया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूँ, मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में। माननीय नाथूसिंह जी और हम चार विधायकों ने एक स्थगन प्रस्ताव अकाल के सम्बन्ध में दिया था उसका उल्लेख बिलकुल नहीं हुआ है, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जितने भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं मेरे पास, उन सब का उल्लेख इसमें किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल ही दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास जितने भी आये हैं उसमें कोई ऐसी बात रह गयी है तो आप मुझ से आकर चर्चा कर लें, मैं देख लूंगा।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं, आपका स्थगन प्रस्ताव ?

श्री रामचन्द्र जाट : मैंने एक अलग विषय पर दिया था अकाल सहायता के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है। आप स्वयं इस चेयर पर बैठ चुके हैं। आप मुझ से इस बात को क्यों पूछ रहे हैं ? इनका नाम है क्या इसमें ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, है साहब। पहली बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नाम है तो मैं अलाउ करूंगा।

माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत दे दूंगा लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने एक ही दिन में दो स्थगन प्रस्तावों पर दस्तख्त किये हैं। नये आये हैं इसीलिए मुझे बताने की आवश्यकता है आपको। एक ही स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है। इसमें एक काट दिया गया दूसरे पर आपका नाम जोड़ दिया गया।

श्री जगन्नाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब लालचन्द के पेट में 5 महीने से कैंची पड़ी हुई थी। उस डाक्टर का नाम महावीर प्रसाद पाण्डे है, उसको तत्काल निलम्बित किया जाय। उसके खिलाफ न्यायालय में केस चलाया जाय। डाक्टर जान देता है, डाक्टर जान लेता नहीं है। ऐसे डाक्टरों को सबक मिलना चाहिए ताकि भविष्य में वह ऐसे काण्ड न कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गिरधारी लालजी जिस बात को रख रहे हैं उसमें मुझे निवेदन यह करना है कि कई माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्ताव दिये हैं पेयजल के बारे में। चूरू से भी आया है और अन्य स्थानों से भी आया है। जहां से नहीं आया है उसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पेयजल का संकट नहीं है। यह आज

(श्री भंवर लाल शर्मा)

राजस्थान के अन्दर बहुत व्यापक समस्या है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर एक जनरल स्टेटमेण्ट सरकार की आ जाय ताकि यह तो पता लगे कि आने वाले दिनों में कैसे फेस करेंगे इस प्राब्लम को यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसीलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के अन्तर्गत उठा लीजिये, आसन से व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनको डायरेक्शन दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप नियमानुसार प्रश्न को उठाइये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे लोक महत्त्व के जिस प्रश्न को अस्वीकार किया है, मैं समझता हूँ, इससे बढ़कर कोई प्रश्न इस समय हो नहीं सकता। जयपुर शहर में इस समय एक टाइम जो जल वितरण किया जा रहा है वह भी निर्धारित समय में पूरे प्रेशर से नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण से परकोटे के भीतर की जनता और जयपुर शहर की 225 कच्ची बस्तियों की जनता ग्रसित है। लोगों में त्राहि-त्राहि इस समय मची हुई है। मेरा निवेदन करना है इस सम्बन्ध में, जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जयपुर पधारी थीं उस समय हमने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से खाली मटका प्रदर्शन किया था। उसके बाद राज्य सरकार ने कई घोषणायें कीं पर आज तक उनमें से एक भी घोषणा की पूर्ति नहीं हुई। मेरा निवेदन करना यह है कि उस समय कहा गया था, नलकूप बनायेंगे, कुओं की सफाई करेंगे, हैण्ड पम्प लगायेंगे और रामगढ़ बांध की वर्तमान में जो 55 फीट की क्षमता है उसको 60 फीट किया जायेगा। न तो वह काम किया गया है। उस समय कहा गया था कि 60 फीट क्षमता कर देने के बाद 120 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिलेगा। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि रामगढ़ से लेकर लक्ष्मण डूंगरी तक दूसरी लाइन डाली जायेगी। न यह व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन करना यह है कि बांडी नदी, जहां से पानी लाने की व्यवस्था थी, का काम भी नहीं किया गया है। कानोता से जयपुर पानी लाने की व्यवस्था करने के लिये कहा गया था न वह काम किया गया है। 114 नये नलकूप और बनाये जायेंगे। आपकी जानकारी के लिये निवेदन, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, एक भी नलकूप नहीं बनाया गया है। 25 नलकूप जो हैं, उनकी क्षमता बढ़ायी जायेगी। यह भी नहीं किया गया है। खातीपुरा, वैशाली मालवीया नगर में अलग से पानी की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हुई।

मेरा निवेदन करना यह है कि विश्व बैंक से 14 करोड़ 38 लाख रुपये इस संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त हुए। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

है। निवेदन मेरा करना है कि जयपुर शहर में पेयजल की स्थायी व्यवस्था हो जाये। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया ने किशनगढ़, अजमेर और जयपुर में सिंचाई के लिए पानी और जयपुर शहर की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए बनास योजना को क्रियान्वित करने के लिए कुछ काम भी प्रारम्भ कर दिया था, अब वह काम ड्राप कर दिया गया। 70 करोड़ की बनास की जो योजना है वह जयपुर शहर के लिये स्थायी योजना है।

मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना यह है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है, कल मैंने यहां पर आपके सामने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखने का प्रयास किया, स्थगन प्रस्ताव भी रखा। सत्र जिस समय चल रहा था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि जयपुर नगर में 335 हैण्ड पम्प लगायेंगे। मैं समझता हूँ, चलते हुए सत्र में इस प्रकार की घोषणा करना एक ब्रीच आफ प्रिविलेज है। आप भी अध्यक्ष पद पर हैं, मेरा निवेदन करना यह है कि यह जयपुर शहर की विकट समस्या है। माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं चाहे बाड़मेर से आये हों, चाहे जैसलमेर से आये हों, चाहे बीकानेर से आये हों, यहां सब प्यासे मरेंगे। इनके गले सूख जायेंगे। मैं समझता हूं, यह विधान सभा में बोल नहीं सकेंगे। यह जनहितकारी प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी कि जयपुर नगर की पेयजल की जो व्यवस्था है, 335 वाली बात तो मत कहिये, शिवराम जी मिल लिये और उन्होंने अखबार में छपा दिया, यह कहिये कि यह होगा कि नहीं होगा या 15 दिन में हो जायेगा। सरकार ने आज से 4 महिने पहले घोषणा करी वह तो क्रियान्वित हुई नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत अहमियत का प्रश्न है, लोकहित का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी जिनके पास यह विभाग है, से आप इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिलवायेंगे। यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से सम्बन्धित प्रश्न है, हम भी जयपुर को रिप्रजेण्ट करते हैं, अनुमति दे दें। खासकर माननीय कालीचरण जी, जो हमारे नये सदस्य आये हैं, को तो दो मिनट का

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं नहीं बोलूंगा, इनको बोलने दें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भार्गव साहब ने जिस समस्या को उठाया, मैंने चुनाव के बाद पूरी कान्स्टीट्युएन्सी का दौरा किया तो यह देखने में आया कि कई जगह तो इतनी भीषण समस्या है कि लोग वहां रात को घड़े लाइन में लगा देते हैं उसके बाद भी उनको पानी नहीं मिलता। कहीं आधा घण्टा पानी आता है, कहीं पर घण्टा भर पानी आता है। मुख्य मंत्रीजी ने जो यह घोषणा की है कि 335 हैण्ड पम्प जयपुर शहर में लगाये जायेंगे, यह घोषणा निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। परन्तु हम यह चाहेंगे, यह जो 335 हैण्ड पम्प गवर्नमैण्ट लगा रही है वह राजनीतिक आधार पर नहीं लगायें, मनमाने तरीके से

(श्री कालीचरण सराफ)

नहीं लगायें। जो जन-प्रतिनिधि जयपुर शहर से चुन कर आये है उनको पूछ कर उनके क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प की आवश्यकता है उसके आधार पर यह हैण्ड पम्प लगायें तो निश्चित रूप से जनता को इसका अधिक फायदा मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र है। अनुसूचित जाति के लोगों को यह सरकार जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं वह प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायेगी, इस तरह की थोथी घोषणायें तो करती है लेकिन पीने के पानी जैसी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करने में भी यह सरकार असमर्थ रही है। सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है, यह इससे साफ लगता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीपल्दा क्षेत्र में करीब 100 गांव ऐसे है जिनमें पीने के पानी का अभाव है। पीने के पानी की समस्या से जो गांव ग्रस्त हैं उन समस्याग्रस्त गांवों की आपके विभाग ने एक सूची बनायी है। कई गांवों में पीने के पानी का अभाव है। जो समस्या ग्रस्त गांव हैं उन समस्याग्रस्त गांवों में आज से दो साल पहले ही हैण्ड पम्प लग जाने चाहिये थे। सरकार की योजना के बावजूद समस्याग्रस्त गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं जो एक आश्चर्यजनक बात है, लज्जाजनक बात है। कुछ गांव समस्याग्रस्त तो हैं लेकिन समस्याग्रस्त गांवों की सूची में नहीं हैं। पूर्व में जो डी. पी. सी. की मीटिंग होती थी उसमें हमने कई बार यह प्रश्न रखा कि सरकार की जो समस्याग्रस्त गांवों की सूची है उसमें ऐसे गांव छोड़ दिये गये हैं जिनमें कि पीने के पानी का अभाव है, उन गांवों को भी सरकार की समस्याग्रस्त गांवों की जो सूची है उसमें लिया जाय लेकिन अब तक उन गांवों का पता-ठिकाना नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हैण्डपम्प तो लग गये हैं लेकिन उनमें से कई खराब पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब हैं। गांव वालों के बार-बार कहने के बावजूद भी ठीक नहीं कराया जाना भी आश्चर्यजनक बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पके के पानी की जिन गांवों में समस्या है जहां हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं, केवल विभाग की लापरवाही की वजह से वहां हैण्ड पम्प नहीं लग रहे हैं। जिला परिषद अपनी मनमानी के आधार पर, क्योंकि मैं वहां से विधायक चुनकर आया हूं इसलिये भेद-भाव बरतकर वहां हैण्ड पम्प नहीं लगाना चाहती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग को आज ही आदेश जारी करें कि जिन समस्याग्रस्त गांवों में हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं वहां हैण्ड पम्प तुरन्त खोदे जायें। जिन गावों को समस्याग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जो वास्तव में समस्याग्रस्त हैं उनको समस्याग्रस्त गांवों की सूची में लिया जाय। जिन गांवों के हैण्ड पम्प खराब हैं उनके हैण्ड पम्प अविलम्ब ठीक कराये जायें। गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी गदराने से पानी का संकट

(श्री हीरालाल आर्य)

भी गदराया हुआ है। किसान और किसानों के पशुओं दोनों के लिये पीने का पानी उपलब्ध होने में बड़ी असुविधा हो रही है, इससे क्षेत्र में भयंकर आतंक की स्थिति बनी हुई है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को प्राथयिकता से निपटायें।

जय हिन्द।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव बिजली कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखा था। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने उन पर जानकारी चाही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी चाही है वह जानकारी मंगा लें। उस पर स्टेटमेंट दिलावें। 24 हजार कर्मचारी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जानकारी आवेगी तब फैसला करूंगा कि स्टेटमेंट दिलाना है या नहीं दिलाना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट बिराजें। 24 हजार कर्मचारी शोषण के शिकार हो रहे हैं।

श्री शोपतसिंह : इनको जानकारी नहीं चाहिये, भाषण देना चाहती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 24 हजार कर्मचारियों ने 1982 में औद्योगिक विवाद नियमों के आधार पर हड़ताल की घोषणा की, आज वह फिर हड़ताल पर जाने वाले हैं।

श्री शोपतसिंह : यह हो क्या रहा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा आप सुनिये मेरी बात।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी बात कह दूं। एक मिनट में कह रही हूं। दो मिनट भी नहीं लगाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं दुबारा मौका नहीं दूंगा।

श्री शोपतसिंह : आप इसको रिजेक्ट कर दें। जानकारी नहीं चाहती हैं, बोलना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जब स्थगन-प्रस्ताव पर जानकारी आवेगी तब मैं फिर दुबारा मौका नहीं दूंगा। अगर आप नहीं चाहती हैं वह जानकारी लेना तो मैं खारिज कर दूं स्थगन-प्रस्ताव को ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा आपसे आग्रह है कि....

श्री अध्यक्ष : आप नहीं चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा मुझे बोलने दिया जाय। मैं तो आपसे एक आग्रह करूंगी कि 24 हजार कर्मचारी जहां दुःखी हो तो उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसके लिये सरकार से स्टेटमेंट दिलावें। उनको पूरी जानकारी मिल जाये इस बारे में स्टेटमेंट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अस्वीकृत कर दूं ?, पूरी जानकारी मिल जावे इस बारे में कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे मत बोलने देना दुबारा। आप जानकारी तो मंगा लेंगे, स्टेटमेंट हो जायेगा उनका ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, फिर जानकारी मंगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप बोल लेतीं हैं तो मैं आपका स्थगन-प्रस्ताव खारिज कर देता हूं, अस्वीकृत कर देता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको यह लगे कि मेरी बात में कोई तथ्य नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मुझे आपके स्थगन-प्रस्ताव को देख करके यह लगा कि इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी चाहिये। निर्णय लेना चाहिये तो फिर विश्वास करिये न कि मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं आपने ऐसा किया। लेकिन जैसा मेरा अनुभव रहा है, दो-दो महीने तक सरकार से जानकारी आती नहीं है। बहुत छोटा सत्र है, अध्यक्ष महोदय, जानकारी जल्दी आ जावे और वह स्टेटमेंट दे दें। इसलिये मैं बोल लेती हूं। मेरी बात आप सुन लें जरा सा। बहुत संक्षेप में बोलूंगी।

श्री शोपतसिंह : यह तो बोलना चाहती हैं, जानकारी-वानकारी से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप तो गहराई से घुसे नहीं है, तिकत तो यह है। आप कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपनी बात कह लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 1-4-1979 को यह तय हुआ था कि 6 महीने में पंच फैसला हो जायेगा। जो वेतन निर्धारण किया जाये बिजली कर्मचारियों का उसके लिये एक कमेटी बनी 1980 में और आज हो गया 1985, आज तक पंच फैसला नहीं हुआ। बिजली कर्मचारी आज सभी कर्मचारियों से पीछे हैं। उनका वेतन आज तक निर्धारित नहीं किया गया है। इस मांग को लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 1982 में हड़ताल शुरू की 57 दिन तक हड़ताल चली। 57 दिन की पकी हुई हड़ताल को तत्कालीन मुख्य मंत्री के कहने से कि हम आपकी मांगें मानेंगे, आप हड़ताल वापस ले लो, उन लोगों ने हड़ताल वापिस ले ली। सरकार ने उनका वेतन निर्धारित नहीं किया। 57 दिन का उनका वेतन काट लिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट। 57 दिन का वेतन काट लिया। अन्याय की भी हद होती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों को हड़ताल का वेतन दिया गया, हरिजनों को हड़ताल का वेतन दिया गया; यह उदाहरण है। उनका वेतन शीघ्र निर्धारित किया जाय। उन पर जो अन्याय किया गया है, 57 दिन की हड़ताल के दौरान का उनका पैसा काटा गया है वह काम करेंगे। यह नहीं है कि वह काम नहीं करेंगे। उनसे काम लिया जाय और उनको वेतन दिया जाय।

दूसरा, जो विद्युत विभाग की गिरती हुई छवि है उसको पुनः ठीक किया जाय, यह मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा फिर आपसे एक बार आग्रह है कि आप इसे सरकार को कार्यवाही करने के लिये जरूर भेजेंगे और यहां पर स्टेटमेंट दिलायेंगे कि सरकार अन्याय क्यों कर रही है। और कब इसको सुधारेगी।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : मुझे कुछ सूचना देनी है ...

एक माननीय सदस्य : सिंचाई के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे सदन को कुछ सूचना देनी है—

घोषणा

सभापति तालिका

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :—

(1) श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी।

(2) श्रीमती विद्या पाठक।

(3) श्री दामोदर आचार्य।

(4) श्री मोहनलाल छंगाणी।

समिति का गठन

कार्य सलाहकार समिति का

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 212 के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति के लिये निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया गया है—

(1) श्री गुलाबसिंह शक्तावत — सदस्य

(2) श्रीमती कमला — सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामपाल उपाध्याय सदस्य

(4) श्री बुलाकीदास कल्ला सदस्य

(5) श्री रामसिंह विश्नोई सदस्य

(6) श्री सी. पी. जोशी सदस्य

(7) श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी सदस्य

(8) श्री भैरोंसिंह शेखावत सदस्य

(9) श्री कल्याणसिंह कालवी सदस्य

(10) श्री नाथूराम मिर्धा सदस्य

(11) श्री मोहन छंगाणी सदस्य

(12) श्री इकबाल अहमद सदस्य

मुझे समिति के सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि समिति की बैठक आज दिनांक 21 मार्च, 1985 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे मेरे चेम्बर में होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिला सदस्या एक भी नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : कमला जी हैं ना।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान एक छोटे से बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव आज आपको मिले हैं। एक रामगंज मण्डी से आये हुये माननीय सदस्य का, दूसरा जोधपुर से आये हुये माननीय सदस्य का। जो बीमारी राजस्थान में फैल रही है, उन्होंने अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रस्ताव दिये हैं। मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि ओरी माताजी की बीमारी के कारण राजस्थान में हजारों बच्चों की मौत हो गई है। हजारों बच्चे इससे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : यह हो क्या रहा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से इसलिये कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने जानकारी चाही है राज्य सरकार से उस वक्त बोलने का अवसर आपको दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बोलना नहीं चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि क्या कारण है लगातार पिछले 15 दिन से मरने की घटनायें हो रही हैं, राज्य सरकार को स्वयं, कौन से माध्यम उसने अपनाये हैं इस नाते से सदन में आना चाहिये था....

(34)

श्री शोपत सिंह : किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? आप सदन के उप नेता है, what is this ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी तो बड़ी कृपा है....

श्री शोपत सिंह : आप किन नियमों के तहत बोल रहे हैं ? आप सदन के उप नेता हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मेरा कहना यह है कि लगातार जिस प्रकार की घटनायें ओरीं से पीलिया से लोगों के मरने की हो रही हैं, उस पर राज्य सरकार वक्तव्य दे। इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था, मैं तो अपेक्षा कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं, उन सब पर मैंने व्यवस्था दे दी है। अगर आपका कोई स्थगन प्रस्ताव रह गया है तो मेरे कक्ष में आकर....

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी बोला, मेरा नाम बोला गया है। उस पर मुझे मौका मिलना चाहिये। उसे जानकारी के लिये भेजा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिये नहीं भेजा आपने।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिये भेजा है। शोपत सिंहजी, सदस्य विधान सभा, भाखरा व राजस्थान नहर की लगातार लम्बी बन्दियों के कारण रबी फसल को नुकसान के सम्बन्ध में यही है ना ?

श्री शोपत सिंह : हां, यही।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए मैंने लिखा है, माननीय सदस्य कि इन स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी, मैं इससे पहले कुछ निवेदन कर दूं। जानकारी की बात अलग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि अपनी प्रक्रिया यह है, जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिन स्थगन प्रस्तावों को आज मैंने रिजेक्ट कर दिया है उन पर मैंने माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की आज्ञा दी है। जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने रिजेक्ट नहीं किया, राज्य सरकार से जानकारी चाही है उनके लिए मैंने निवेदन किया था कि जानकारी आने पर मैं अपना निर्णय दूंगा। उस समय माननीय सदस्यों को जैसी भी अवस्था होगी

(श्री अध्यक्ष)

उसके अनुसार मैं बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने आपसे कहा कि एक स्थगन प्रस्ताव पर दुबारा बोले जाने की प्रक्रिया रही नहीं है, परम्परा नहीं रही है इसलिये मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि....

श्री शोपत सिंह : दुबारा बोलने की जरूरत नहीं समझता। सवाल यह है कि आज माखरा और राजस्थान कैनाल की नदियों से रबी की सारी फसल तबाह हो रही है। सरकार अगर लम्बा टाइम देती है, तो उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज और कल में कोई स्टेटमेंट देती है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री अध्यक्ष : लम्बा टाइम देने का कोई सवाल नहीं है। इसमें मैंने जानकारी चाही है, निश्चित रूप से एक दो दिन में जानकारी आ जायगी तब मैं आपको इसका निर्णय दूंगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई। इसके बीच में दूसरा कार्यक्रम आ गया है, क्षमा चाहूंगा आपसे अब इसमें आगे न बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो दिन में आयेगी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को मैं बता रहा हूं। एक दो दिन का मतलब 25 तारीख को जवाब देंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि आप मेरे से मिल लीजिये। यदि एक दो दिन में नहीं आने की स्थिति होगी तो क्या बात करनी है, उस तरह से मैं आपको निर्णय दूंगा। आप मिल लीजिये मुझसे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो उससे पहले....

एक माननीय सदस्य : इस विषय में मेरा भी प्रश्न था। राजस्थान कैनाल से सिंचाई के बारे में। यह जो वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से रेगूलेशन किया हुआ है, मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की इजाजत बिना नहीं।

एक माननीय सदस्य : एक महीने नहर नहीं चली। करोड़ों रुपयों की फसल खराब हो रही है। यह बहुत बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत चलें।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिये समय का बंटवारा

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए 16 घण्टे उपलब्ध हैं। धन्यवाद प्रस्ताव

(36)

(श्री अध्यक्ष)

पर चर्चा के लिए विभिन्न दलों को इस प्रकार समय आवंटित किया गया है—

कांग्रेस (आई) पार्टी	9 घण्टे 10 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	3 घण्टे
दलित मजदूर किसान पार्टी	2 घण्टे 15 मिनट
जनता पार्टी	45 मिनट
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	10 मिनट
निर्दलीय	40 मिनट

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : बहुत अन्याय है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : How it is possible ? यह कैसे पासिबल होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह हमेशा जैसे पासिबल हुआ है उसी तरह से इस बार भी पासिबल होगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो जाती।

श्री अध्यक्ष : यही मैं आपसे बात कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट कर रही है। यह वाद-विवाद शुरू होने से पहले आसन की व्यवस्था है। जो समय अब तक मिल पाया है उस आधार पर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट करेगी तब उसमें अगर समय का कोई हेरफेर होगा तो फिर सदन को पुन: सूचित कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

यह परम्परा रही है। बिजनेश एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के पहले कुछ मैम्बर तो बोल ही लेंगे।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। 15 मिनट इससे पहले देते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपसे बात करेंगे।

श्री शोपत सिंह : हम ज्यादा नहीं कहना चाहते।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सी. पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे—

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा का अवसर

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर। आपसे निवेदन है मेरा कि आपने एडजोर्नमेंट मोशन को तीन कैटेगरी में बांटा है। एक तो जिन एडजोर्नमेंट मोशन को आप रिजेक्ट करेंगे,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

उनके लिये आपने यह आदेश दिया है, व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य उस वक्त दो मिनट का समय ले लेंगे, अपनी बात कह देंगे।

दूसरा, एडजोर्नमेन्ट मोशन जिसको आप जानकारी के लिये भेजेंगे उसके लिए पाबन्दी लगा दी कि जब आप उसमें अपना निर्णय देंगे तब माननीय सदस्य बोल पायेंगे। मेरा इसमें यह निवेदन करना है, हाउस की यह परम्परा रही है, पांच साल की बात याद नहीं है, कुछ ऐसे अहमियत के एडजोर्नमेन्ट मोशन होते हैं जिन पर इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि राज्य सरकार के दिमाग में ऐसी चीज आ जाये, जानकारी आ जाये, अप्राइज कर दें, उसकी अहमियत को अप्राइज कर दें और वह अपने स्टेटमेंट के वक्त या जानकारी देते वक्त अपनी बात सही ढंग से कह सकें।

तीसरी आपने कैटेगरी की, स्टेटमेंट के लिये डायरेक्शन देंगे सरकार को। उसके बाद स्टेटमेंट जब आयेगा उस वक्त माननीय सदस्य, जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, बोल पायेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है, परम्परा यह रही है कि इण्ट्रोडक्शन की स्टेज पर भी अहमियत के लिहाज से, अर्जेन्सी के लिहाज से एडजोर्नमेन्ट मोशन पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसी परम्परा रही है उसी के अनुकूल मैंने अभी व्यवस्था दी है। मैंने कोई नयी बात नहीं कही हैं, इस बारे में अगर आपको कोई सन्देह हो तो आप मुझसे अपने कक्ष में आकर चर्चा कर लें।

श्री भंवर लाल शर्मा : बढ़िया परम्परा बनाओ।

एक माननीय सदस्य : सरकार को जानकारी नहीं आयी है, सिंचाई व्यवस्था के बारे में। सरकार तो बेखबर है। इसकी जानकारी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सबसे पहले मेरे भाषण में इन्ट्रप्शन करने वाली पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या हैं। मैं उनकी बात भी अपने भाषण में जरूर कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान की जनता का अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया लोक सभा चुनाव में। एक ऐतिहासिक निर्णय इस बात का दिया, जब देश की एकता और अखण्डता खतरे में थी तब हिन्दुस्तान के एक नौजवान 40 साल के

(श्री सी. पी. जोशी)

प्रधान मंत्री के रूप में राजीव गांधी ने इस देश का आव्हान किया और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के अमीर से लेकर गरीब, हर तबके के लोगों ने मिलकर देश की एकता और अखण्डता के लिये जो फैसला किया उस निर्णय में....

(व्यवधान)

आप भी जरूर बोलिये, आपको कोई तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज आंकड़ों से बताना चाहता हूं पिछले 35 साल से जो इस राजस्थान की राजनीति में विरोध पक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं; पिछले पांच साल से जिनको अपने आप पर गर्व है इस बात का कि हम विरोध पक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनको आंकड़ों से बताना चाहता हूं कि सन् 1980 से 85 तक उन लोगों ने जो विरोध पक्ष की भूमिका निभाई, उनको लोक सभा चुनाव में कितने वोट आये। 1980 में जीत कर आये तब कितने वोट आये, यह बात मैं आंकड़ों के आधार पर आपको बताऊंगा।

मैं सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात कह रहा था वह यह कह रहा था कि हम राजस्थान की जनता के बहुत बहुत आभारी हैं जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय में एक अहं भूमिका निभाई और एक इतिहास बनाया राजस्थान में कि 25 में से 25 लोक सभा की सीट पर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलायी। माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी लोकतन्त्र में चुनाव की पद्धति इस बात की साक्षी है कि पिछले पांच वर्ष में जनता का जो आदेश हमने प्राप्त किया उस आदेश की कितनी पालना की गई। उस पालना के पीछे हम जनता के बीच में जाते हैं। सन् 1980 का चुनाव हमारे देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने जिस प्लान पर लड़ा था उसमें उन्होंने कहा था जनता को कि आप ऐसी सरकार चुनें जो सरकार काम कर सके। सन् 1980 में भारतीय जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। 1980 से लेकर 1985 तक इस देश की जनता ने उनको नेता माना। इस नारे के आधार पर लोगों ने नेता माना कि ऐसी सरकार चुनें जो सरकार काम कर सके। यदि इसको हम माध्यम बनायें, माननीय अध्यक्ष महोदय; सन् 1980 से 1985 तक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की जो उपलब्धियां हैं उससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं चाहे वह निर्गुट देशों के सम्मेलन का सवाल हो, चाहे हिन्दुस्तान का नाम आगे बढ़ाने के एशिया के गेम्स आर्गेनाइज करने का सवाल हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का सवाल हो, चाहे विश्व के मुल्कों में जो हेव्ज नॉट हैं, तो तीसरा ब्लाक है वर्ल्ड का, यू. एन. ओ. के अन्दर उसकी आर्थिक दृष्टि से कोई बात करने की बात हो, सन् 1980 से 85 तक इस देश की जनता को दिये गये वायदों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पूरा किया। उसे

(श्री सी. पी. जोशी)

पूरा करने का नतीजा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात से परिचित हैं कि देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था तब....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे बहुत खुशी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं एम. एल. ए. रहा हूं, आप अभी नये आये हैं। कोशिश करिये, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा आपको सीखने में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे चर्चा नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : चार मुख्य मंत्री बदले हैं, यह बताऊं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप भी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के लोगों की जैसी आदत है, सदन में पहली बार विपक्ष के इतने गणमान्य और सम्माननीय सदस्य जीत कर आये हैं और बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हम गवर्नमेन्ट बनायेंगे, सबल विरोध पक्ष है. मुझे विश्वास नहीं होता है....

(व्यवधान)

ऐसा विरोधी पक्ष आयेगा सदन में ऐसा व्यवहार और आचरण करेगा, जिससे राजस्थान की जनता को हम बता सकें कि राजस्थान में विपक्ष के लोग किस तरह के हैं। पर मुझे कहते हुए दुख है कि जिन लोगों में जनता ने विश्वास व्यक्त किया विपक्ष की भूमिका निभाने का, उनको विपक्ष की भूमिका निभाने का आचरण....

एक माननीय सदस्य : आता ही नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : इनकी जो भूमिका है वह नहीं निभा पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सन् 1980 में हमने जो वायदे किये थे जनता को, उन वायदों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका सौ साल का इतिहास है, ने पूरा किया। सौ साल के इतिहास में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं परिचित हैं ढाई साल तक हम सत्ता में नहीं रहे। पिछले 35 साल में इस हिन्दुस्तान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में जितना कार्य किया है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। मुझे तो कहते हुए गर्व है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी पार्टी में महात्मा गांधी जैसे आदमी पैदा हुए, जवाहर लाल नेहरू जैसे आदमी पैदा हुए हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी नेता पैदा हुई है जिसने इस मुल्क को ही नहीं बल्कि विश्व की सारी जनता को एक नेतृत्व प्रदान किया। इस बात की हमें खुशी है। पिछले 35 साल से माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी पक्ष

(श्री सी. पी. जोशी)

की भूमिका निभा रहे थे, वह विरोध पक्ष की भूमिका निभाने वाले जनता को बार-बार यह कह रहे थे कि इन्दिरा गांधी को हटाओ, वंशानुगत शासन नहीं आना चाहिये। इस प्लान पर पिछले 35 साल तक हिन्दुस्तान में विरोध पक्ष की भूमिका निभाने वाले जो लोग थे उनके लिए एक अवसर, एक 40 साल के नौजवान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक नौजवान आदमी ने जनता के सामने फैसला लिया और जनता ने 401 सीट जिता कर बताया कि विरोध पक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार भी इन लोगों को नहीं है। यह फैसला मेरा फैसला नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जनता का फैसला है।

श्री शोपत सिंह : यह क्या बोल रहे हैं? यह धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह चौपड़ पर भाषण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अभी बताता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय।

माननीय सदस्य-।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्रीमती कमीदा बेगम : लगता है आप सबको अच्छाई सुनने की आदत ही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए बताना चाहता हूं कि जो विधान सभा का चुनाव अभी हुआ है और जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, हमारे विरोध पक्ष के सदस्य बड़े गौरवान्वित हैं कि साहब हमको इतना बड़ा बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले एक निवेदन सदन के सामने करना चाहता हूं। पिछली विधान सभा में मुझे भी सदस्य बनने का अवसर मिला।

एक माननीय सदस्य : बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री सी. पी. जोशी : बोलने का भी अवसर मिला है। माननीय शोपत सिंह जी, जो अभी सदस्य हैं, शायद उनको तो सदन में एक बार आने और एक बार नहीं आने का मौका मिला है, मुझे दूसरी बार भी आने का मौका मिला है इसलिए मैं जानता हूं मुझे कोई तकलीफ नहीं है माननीय....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में सबसे पहले विरोधी पक्ष के जितने

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय नेता हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। उस गुणात्मक परिवर्तन को यदि हम नहीं समझेंगे तो इस राजनीति में जो विपक्ष में बैठते आये हैं वे अगले पांच साल में इस बात को याद रखेंगे कि एक 40 साल के नौजवान ने 401 सीटें जीती हैं। हिन्दुस्तान की जनता का जो दिल जीता है, बहुमत जीता है उस जीत का क्या आधार है वह बताना चाहता हूं, मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोध पक्ष के नेताओं की याददास्त शायद ठीक होगी होगी, 1977 के अन्दर जनता पार्टी को 65 प्रतिशत वोट मिले। लोक सभा चुनाव में। उसके बाद विधान सभा का चुनाव हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केवल मात्र 50 प्रतिशत वोट मिले। मात्र 50 प्रतिशत। 15 पर्सेन्ट वोट जनता पार्टी को लोक सभा चुनाव के बाद विधान सभा चुनाव में कम हो गये। 1980 के अन्दर इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस बात के लिये वोट दिया कि ऐसी सरकार चुनें जो सरकार काम कर सके उस समय कांग्रेस को 43 पर्सेन्ट वोट मिले और विधान सभा चुनाव में भी 43 पर्सेन्ट वोट मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही आंकड़े बता कर कहना चाहता हूं....

श्री शोपत सिंह : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

आप यह समझने की कोशिश कीजिए।

श्री अध्यक्ष : जारी रखें। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्रीमती हमीदा बेगम : अभी आ जायेगा समझ में।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विरोध पक्ष के आदमी हैं वो शायद भाषण देकर नेतागिरी करना चाहते हैं, तथ्यों के आधार पर नेतागिरी करना नहीं चाहते हैं। मैं तथ्य देना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जिनको इस बात का गर्व है कि हमने विरोध पक्ष की भूमिका निभायी, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा की जो पार्लियामेन्ट की सीट है उस पार्लियामेन्ट्री सीट में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बीच में नहीं बोलें। माननीय सदस्या, आप कृपया पालना कर सकेंगी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 1980 में विधान सभा सदस्य बन कर आये। उनको 1980 में जनता ने जितने वोट दिये, पांच साल तक बड़ी विरोध की भूमिका निभायी। मैंने भी पांच साल तक उनको सुना है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात की ओर कि उस पार्लियामेंट्री सीट पर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (कोटा) साढ़े 6 हजार वोट ज्यादा आये हैं। मुझे कह रहे हैं इसलिये कह रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अपने टर्न पर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया नोट कर लें। अपने वक्त पर जवाब दे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मर्सी पिटीशन है मर्सी पिटीशन के नाम पर वोट दिये हैं, काम के नाम पर वोट लेते तब जानते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : घाटा तब ही जानिये जब करे पुरानी बात। विधान सभा के चुनाव हुए, लोक सभा के चुनाव हुए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय चतुर्वेदी साहब का, माननीय भाभड़ा साहब का बड़ा सम्मान करता हूं मैं उन्हीं को याद दिलाना चाहता हूं, हिन्डौली के अन्दर 1980 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 12,984। नैनवां के अन्दर वोट मिले थे भारतीय जनता को....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इलेक्शन की डिमाण्ड आये तब यह कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : राज्यपाल महोदय, का अभिभाषण पर चर्चा है। इलेक्शन की डिमाण्ड पर यह बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवां के अन्दर जनता पार्टी (जे. पी) का सदस्य था, उसको वोट मिले थे 7,699 पाटन के अन्दर के—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : वही गिना रहा हूं। वही गिना रहा हूं। पाटन के अन्दर वोट मिले थे, 16713, बून्दी के अन्दर वोट मिले थे 15084।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। व्यवधान नहीं डालें।

श्री सी. पी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और इस विरोध पक्ष के उप नेता ललित किशोर जी चतुर्वेदी 1980 में जीत कर आये थे कोटा में तब तो इनको वोट मिले है 26435।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 85 में मिले 32,000 अब कम्पेयर कर लो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा धैर्य रखें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, प्रोपगण्डा करने के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य धैर्य रखें, कृपया धैर्य रखें।

श्री सी. पी. जोशी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देख रहा हूं, ज्ञान के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जो चर्चा होती है, सारा राजस्थान....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुख्य सचेतक का पाइन्ट आफ आर्डर किस नियम में है, पहले वह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती विद्या पाठक : इसको देखता है, सुनता है। हर मिनट इस पर सैकड़ों, हजारों रुपया खर्च होता है। जो पब्लिक के मंच पर भाषण दिया जा सकता है वह राजस्थान विधान सभा में देने का क्या तात्पर्य है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया माननीय सदस्या, अभिभाषण पर यह प्रस्ताव कर रहे हैं और अपनी भूमिका पर यह चाहे जैसे कह सकते हैं। माननीय सदस्या, कृपया व्यवधान नहीं करें। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपनी पार्टी से समय ले लीजियेगा। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। अपना टर्न आये, अपना समय आये, अपनी पार्टी का समय आये तब बोलें। आप समय ले लीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक इस विधान सभा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के उप नेता की भूमिका निभाने के बाद हम आशा और विश्वास करते थे कि जनता इनके साथ जुड़ेगी। चतुर्वेदी साहब की याददास्त शायद कमजोर होगी, 1984 के लोक सभा चुनाव में आपके विधान सभा क्षेत्र में वोट मिले 26,849 भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को वोट मिले हैं 42,883।

श्री बाऊदयाल जोशी : कोटा का बताओ विधान सभा का।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पूरे नौ घण्टे इन्हीं को दे दो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोटा का उदाहरण दिया है।

(श्री सी. पी. जोशी)

कोटा से आने वाले हमारे विरोधी दल के नेता माननीय भैरोंसिहजी शेखावत जब विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गये तब उनको कितने वोट मिले ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में जहां हम सत्ता के अन्दर हैं, जनता का आदेश प्राप्त करते हैं, यह चुनाव इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस पार्टी की नीति में जनता का विश्वास है या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस नाम से विरोध पक्ष के नेता को जनता ने समर्थन दिया है वह अपने दर्पण में, अपने दिल को छूकर देखें, 1980 से लेकर 1984 तक विरोध पक्ष के नेता की भूमिका निभाने के बाद कोटा के अन्दर किसी भी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट नहीं मिले।

(व्यवधान)

माननीय दाऊदयालजी जोशी, आप अपना आंकड़ा खुद देखें। एक साधारण कार्यकर्ता, 600 वोट से जीत कर आये हैं। वह भी महिला कार्यकर्ता से। और आज नेतागिरी करना चाहते हैं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आपको पर्सेन्टेज आफ वोट भी याद है या नहीं ? उसके आधार पर बतायें, कितने वोट मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नोट कर लीजिए। अपनी पार्टी के नेता से अपना समय तय करवा लीजिए। अपनी बात कह दीजियेगा उस समय। बीच में व्यवधान न डालें। कृपया शांत रहें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1980 के अन्दर हमारे विरोध पक्ष के नेता माननीय भैरोंसिहजी शेखावत को छबड़ा के अन्दर वोट मिले थे 32,994, जब वह विधायक चुने गये। पांच साल तक उन्होंने बड़े जोश-खरोश से विरोध पक्ष की भूमिका निभाई, इस राजस्थान विधान सभा में। इस आशा और विश्वास के साथ निभाई कि हम आने वाले समय में जनता को बतायें कि हमने विरोध पक्ष की भूमिका क्या निभाई। 1984 के लोक सभा चुनाव में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र से, माननीय चतुर्वेदी साहब, नोट कर लें....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नोट किया हुआ है।

श्री सी. पी जोशी : कांग्रेस को वोट मिले हैं 32,108 और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। 23,768 हम 32,000 से जीत कर आये हैं। पांच साल तक विधान सभा में विरोध पक्ष की भूमिका निभाने के बाद मात्र 23,000 लोगों का समर्थन लिया है। यह विरोध पक्ष के नेता इस बात को समझना नहीं चाहते कि 401 सीटें हिन्दुस्तान में आया कैसे।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए तो इधर बैठे हैं। आप हमसे पहले समझ गये है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़े देकर आपके सामने बताना चाहता हूं कि 1980 में विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 43 प्रतिशत

(श्री सी. पी. जोशी)

के लगभग वोट मिले और 1985 के विधान सभा चुनाव में हमको 47 प्रतिशत वोट मिले। 4 प्रतिशत वोट हमने इंक्रीज किये, पांच साल की हमारी परफारमेंस के आधार पर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सत्ता के अन्दर बैठे हैं, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है। राजस्थान में कांग्रेस (आई) का शासन रहा। माननीय पहाड़िया साहब, माननीय माथुर साहब के नेतृत्व में हमने पांच साल में राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाया है। जनता ने 43 प्रतिशत वोट दिये 1980 में और 1985 के चुनाव में हमको मत मिले, माननीय अध्यक्ष महोदय, 47 प्रतिशत विरोध पक्ष के माननीय नेता जीत कर आये हैं वह इस बात को समझे कि उनकी जीत कैसे हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देकर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यह समझना नहीं चाहते हैं। यह समझेंगे तो लोगों को क्या समझायेंगे। यह चाहते हैं कि खुद भी नहीं समझे और लोगों को भी नहीं समझायें लेकिन मैं बताना चाहता हूं, नागोर लोक सभा क्षेत्र से 1980 में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार को जितने मत मिले, 1984 के लोक सभा चुनाव के अन्दर हर विधान सभा क्षेत्र में 12-13 हजार वोट कांग्रेस (आई) को ज्यादा मिले हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ नेता यहां विराजे हुए हैं, 1980 के वे लोक सभा चुनाव में नागोर के अन्दर कांग्रेस पार्टी को जितना मत मिला है उतना मत इस विधान सभा चुनाव में भी मिला है क्योंकि लोक दल और जनता पार्टी ने...

श्री शोपत सिंह : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। यह सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने दे रखे हैं जो सी. पी. जोशी साहब बोल रहे हैं। राजस्थान में आपने क्या किया मेहरबानी करके यह बतायें। हम यह चाहते हैं। This is already published. It is a published document.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : स्टेटिकल डिपार्टमेंट में अपाइन्टमेंट करवा लीजिए जो सही आंकड़े सामने आयें। यह कांग्रेस का × × × कहां करना सीख गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप स्वयं इस बात को जानते हैं और जो यहां बैठे हैं वह भी जानते हैं कि 1947 में देश की आजादी के बाद पहला चुनाव राजस्थान में हुआ था उस समय राजस्थान की जनता ने जो फैसला दिया था वही का वही फैसला एक नौजवान आदमी के पक्ष में जाता है जो इस राजस्थान की जनता ने

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ग्रध्यक्ष)

दिया । इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं ग्रापको कि लोक सभा चुनाव में जहां यह बात कहते हैं कि विधान सभा क्षेत्र के ग्रन्दर कांग्रेस पार्टी को जितना मत मिला एक एक विधान सभा क्षेत्र में, चाहे वह नागौर हो, चाहे वह डीडवाना हो, चाहे वह नावां हो, चाहे मकराना हो, चाहे परबतसर हो, चाहे डेगाना हो, चाहे मेड़ता हो, चाहे सूण्डवा हो, हमको उतने ही मत इस विधान सभा चुनाव में भी मिले ।

श्री शोपत सिंह : हनुमानगढ़ में कितने मिले, ग्राप तो यह बताग्रो ? यह कम्प्यूटर की तरह बता रहे हैं । हनुमानगढ़ में कितने मिले ?

एक माननीय सदस्य : जयपुर में कितने मिले ? झुन्झुनू में कितने मिले ? गंगानगर में कितने मिले ?

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज ।

श्री शोपत सिंह : He is repeating.

श्री सी. पी. जोशी : Why I am being disturbed ? You will have your opportunity.

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शोपत सिंह : Dont repeat all these things which have already been published.

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें ।

श्री सी पी. जोशी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह गलती मेरी उम्र की है ग्रौर आपकी गलती ग्रापकी उम्र की है 25-30 साल से जिस तरह की नेतागिरी करते रहे, जैसी बात करते रहे वैसी मैं नहीं करता ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापस में बात नहीं ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा था कि तीन चुनाव ऐसे हुए हैं हिन्दुस्तान में 1977, 1980 ग्रौर 1984 के लोक सभा चुनाव ग्रौर विधान सभा चुनाव हुए । राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में हमारी पिछली पांच साल को उपलब्धियां क्या रहीं, उन उपलब्धियों के बारे में जनता ने ग्रपना समर्थन दिया है या नहीं दिया है उसके ग्राधार पर पांच साल का ग्रवलोकन करते हैं । हमने पांच साल में यदि काम नहीं किया होता, 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत राजस्थान में प्रगति नहीं हुई होती, जनता का विश्वास नहीं होता तो, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, 25 की 25 सीटें कांग्रेस को नहीं जाती, राजस्थान में लोक सभा की, ग्राज विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं होता । यह सब ग्रांकड़े बताते हैं कि हमें सत्ता में रहने का जनता ने भार सौंपा । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राजस्थान में शासन करेगी ग्रौर विरोध पक्ष को ग्राभास हुग्रा कि वह विरोध की भूमिका निभायेंगे ।

1980 में जो ग्रापकी उपलब्धियां थीं उनका यहां बखान किया । हमारी जो उपलब्धियां हैं उनका मैं वर्णन करना चाहता हूं । 1980 के चुनाव के बाद राजस्थान में जैसे हमने कहा था, छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें दो हजार पच्चीस करोड़ रुपये का

(श्री सी. पी. जोशी)

प्रावधान था, में दो हजार पच्चीस करोड़ रुपये के मुकाबले दो हजार एक सौ अट्ठाइस करोड़ खर्च किये । छठी पंचवर्षीय योजना में जिस तरह का ढांचा तैयार करना था, छठी पंचवर्षीय योजना में हमने सदन को आश्वस्त कराया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हम एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना चाहते हैं । राजस्थान के अन्दर मुझे कहते हुए खुशी होती है कि पिछले तीन-चार साल में भारत सरकार ने, योजना आयोग ने 20 सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर राजस्थान का जो मूल्यांकन किया है उसमें राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर है । 20 सूत्री कार्यक्रम आखिर है क्या ? 20 सूत्री कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक बदलाव का कार्यक्रम है । उस कार्यक्रम को यदि हम मोटे तौर पर देखें तो वह गरीबों की माली हालत सुधारने के लिए उनकी हैसियत सुधारने के लिए उन व्यक्तियों को बेनिफिट देने की एक स्कीम है । रूरल डवलपमेंट की कुछ स्कीम बनाई हैं जिसमें हमने कहा है कि तिलहन, दलहन दुगुना पैदा करेंगे, जो इरिगेशन के पोटेन्शियल हैं उसको हम बढ़ायेंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने राजस्थान कैनाल को द्रुत गति से पूरा किया । उसके अन्तर्गत हमने कई हैक्टेयर भूमि को इरिगेशन की जमीन में विकसित किया । हमने माही के अन्दर काम कम्पलीट किया । इरिगेशन के अन्दर जो नयी विकास योजनायें हैं उनका यदि हम मूल्यांकन करें तो जहां आई. आर. डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया, गरीबों की माली हालत सुधारने के कार्यक्रम को लागू किया, हमने गरीबों को छप्पर देने की व्यवस्था की, दूसरे एरियाज के विकास के लिए....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान कैनाल कहां तक पूरी की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता था कि लोकतन्त्र के अन्दर जनता जब हमें समर्थन देती है उस जनता के समर्थन के बाद 5 साल के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं कि हमारे कार्यक्रम का आधार क्या है । उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, सत्तापक्ष की भी एक भूमिका होती है । मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय नेता जब अपनी बात कहें तो एक बात जरूर बतायें कि हमारे प्रधान मंत्री ने इस जनता का यह आह्वान किया कि हम एक ऐसा शासन देना चाहते हैं जो स्वच्छ शासन होगा, जहां ईमानदारी से काम होगा । उस शासन के लिये इस हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर या वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं होगा जिसने 40 पर्सेन्ट सिटिंग एम.एल.एज. के टिकट काटे हों । यह इस बात का द्योतक है कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजनीति में स्वच्छता लाने का प्रयास करना चाहते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के 30-32 एम. एल. एज. थे उनमें से 19 का पत्ता तो जनता ने साफ कर दिया । बी. जे. पी. के 32 एम. एल. एज. थे....

एक माननीय सदस्य : जंवाई को दे दिया, बेटे को दे दिया, छोटे भाई को दे दिया और वह सब हार गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शोपतसिंह : यानी 60 पर्सेन्ट भ्रष्ट थे इसलिए काट दिये। This is self admission. Very good.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह: यानी 60 पर्सेन्ट जिनके टिकट काट दिये वह भ्रष्ट थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खेतसिंहजी को टिकट नहीं दिया, बृजसुन्दर जी को टिकट नहीं दिया. गोटेवाला को निकट नहीं दिया। भ्रष्ट थे इसलिए नहीं दिया। हमारे में से कोई भ्रष्ट था क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री दाऊदयालजोशी : × × × टिकट नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री शोपतसिंह : 60 पर्सेन्ट जिनके काटे वह भ्रष्ट थे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिनको टिकट नहीं दिया उनकी जांच तो करवाओ। गोटेवाला × × × इनका क्या हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सुमित्रा सिंह : बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि इन्दिरा गांधी के राज्य में भ्रष्टाचार था। भ्रष्ट लोगों के टिकट काटे हैं, यह मन्जूर कर लिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार था।

श्री अध्यक्ष : Thsi is not point of order. कृपया स्थान गृहण करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने कहा है है कि भ्रष्टाचार था।

श्री अध्यक्ष : This is not point of order. व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे नहीं है। उन्हें क्लेरीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : आप अपने भाषण में जो कुछ चाहे बोलें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालें।

श्री शोपतसिंह : क्लेरीफिकेशन यह है कि जिन 40 पर्सेन्ट लोगों को टिकट नहीं दिया गया वह क्या थे ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ललित भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस का था या जनता शासन का था। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने यह कहा है कि 11 मंत्री भ्रष्ट थे । 11 मंत्रियों के टिकट काटे गये....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके पिताजी को पत्थरों की खान दी गयी, उस पत्थर की खान के कारण आपके पिताजी को टिकट नहीं मिला । इसकी भी जांच करवाइये ।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि कहने का अर्थ क्या है। जिस बात के ऊपर बात कही गयी है उसे समझने का प्रयत्न कीजिये, न कि अपने सारे दरवाजे बन्द कर दें दिमाग के ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी अकल कुछ मोटी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारा भाषण उकसाने वाला है । इन आंकड़ों का कोई तुक नहीं है । आगे आने वाली योजना बतानी चाहिए कि क्या करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आरोप होंगे तो प्रत्यारोप भी होंगे ।

श्री अध्यक्ष : किसी भी स्पीकर को, बोलने वाले माननीय सदस्य को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह क्या कहे और क्या न कहे। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री तो हैं नहीं, मंत्री कैसे बनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री बृजेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य बुजुर्ग एवं अनुभवी हैं फिर भी × × × के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। इसलिये कृपया शांति....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के माननीय सदस्यों से पहले ही निवेदन किया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां जो × × × की बात कही गयी तो × × × असंसदीय शब्द है। इसको निकाला जाये आज की कार्यवाही में से। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि × × × रहे हैं । माननीय

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(50)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सदस्य श्री सी. पी. जोशी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आदमी बैठे हैं। हम माननीय सदस्य की श्रेणी में आते हैं। यह आदमी बैठे हैं ? या तो यह बोलें कि औरतें बैठी हैं। कैसे बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, 'She' does not include 'he', but 'he' includes 'she'.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मतलब क्या हुआ ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हुआ ? क्या कह गये आप ? हमारी कुछ समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर अर्ज कर दूं 'She' does not include 'he', but 'he' includes 'she'.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य भी सम्मिलित हैं लेकिन यह इंगित करते हैं कि आदमी बैठे हैं। इनका कहना है औरतें बैठी हैं। मनुष्य तो सब में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : न "She" हो और न "He" हो उसका क्या है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सदन में ऐसा कोई सदस्य नहीं है। जारी रखें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत खुशी है कि पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या मुझसे पूछ रही हैं पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। मैं कल ही विधान सभा की प्रोसीडिंग्स देख रहा था, मुझे प्रोसीडिंग्स पढ़ते-पढ़ते देखने को मिला कि 1977 में जनता पार्टी का राज था और माननीय सदस्या को भी इस सदन में बैठने का मौका मिला था। मैं बड़ी गम्भीरता से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1952 के प्रथम चुनावों में माननीय नाथूरामजी मिर्धा 31 साल के नौजवान की हैसियत से सदन में आये थे. माननीय हरिदेवजी जोशी 1952 में 31 साल के नौजवान की हैसियत से सदन में आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही यह कहा है कि राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। हमारे जो बुजुर्ग वरिष्ठ विपक्ष के नेता हैं वह शायद इस गुणात्मक परिवर्तन को भी समझना नहीं चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार जब चुनाव हुए थे तब इस राजस्थान के चुनाव परिणाम ठीक वैसे ही आये जैसे चुनाव परिणाम आज आये हैं। एक बदलाव आया है।

श्री शोपत सिंह : You are repeating.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बदलाव आया है। बदलाव एक ही आया कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं सन् 1954 से लगाकर 1977 और 1985 तक और इसके बीच में 67 तथा 62 तक जो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्थान का विकास करें और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में राजस्थान का विकास हुआ, किसानों

(श्री सी. पी. जोशी)

की समस्याओं का निराकरण हुआ। ऐसे सभी लोग जो उस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान का विकास करना चाहते थे उन्होंने कन्ट्रीब्यूट किया, यह गुणात्मक परिवर्तन आ गया। वह तो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। वह लोग जिनको विरोध करना नहीं आता सन् 1952 से चुनाव लड़ रहे हैं, 33 साल हो गए। आज बी. जे. पी. के लोग आये हैं। यह बी. जे. पी., भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में विरोधी पक्ष का जो निर्णय आया है यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है, यह राजस्थान की जनता की प्रतिगामी शक्तियों की ताकत नहीं है यह तो दूसरों की ताकत है। आप खुश होकर देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। इसलिए तकलीफ हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस कैसे नहीं हारी। आज राजस्थान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1985 के चुनावों में भी वही लोग जीत कर आये हैं जिनकी जन समस्याओं के निराकरण में ईमानदारी थी। ऐसे सभी लोग पिछले जो 25-30 साल से इस राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, जीतकर आये हैं। वह यह कहना चाहें कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, इस गुणात्मक परिवर्तन को हमें समझना होगा। राजस्थान की राजनीति में हम क्या करना चाहते हैं? राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने तीन साल पहले यह कहा है कि अब हिन्दुस्तान की राजनीति जातीयता और नारों के आधारों पर नहीं चल सकती। अब हिन्दुस्तान की राजनीति इस बात पर होगी कि हर छोटे-बड़े नेता को पांच साल में जनता के बीच में जाकर बताना होगा कि मैंने पांच साल में यह काम किया और अगले पांच साल में यह काम करूंगा। ईमानदारी से जो भी आज सदस्य हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हों या विरोध पक्ष में, यदि उन्होंने पांच साल तक काम किया तो जनता का उनमें विश्वास व्यक्त होगा। मैंने पहले आंकड़े देकर बताया है कि जिन लोगों को विपक्ष की भूमिका अदा करने का जनता ने समर्थन दिया था उन्होंने पांच साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें सार्थक भूमिका हो विपक्ष की। यदि यह बात होती तो कोटा डिस्ट्रिक्ट के विधान सभा क्षेत्र में, झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतते। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इसलिये जीते कि जिन लोगों को विरोध पक्ष की भूमिका अदा करने का अवसर दिया था वह विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पाये। जिन लोगों को सत्ता पक्ष की भूमिका अदा करने का मौका दिया—हमने काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमें कहते हुए गर्व है कि 25 में से 25 सीटें जीतीं। हमने विधान सभा चुनावों का भी निर्णय लिया। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया; मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं माननीय श्री शोपत सिंह जी को कि हिन्दुस्तान का 40 साल का पहला नौजवान है जिसने

(श्री सी. पी जोशी)

जनता को यह कहा है कि आप वोट दीजिये 21वीं सदी का भारत बनाने के लिये। 21वीं सदी का भारत बनाने का....

श्री शोपतसिंह : खतरा क्या है ? Why are you repeating ?

श्री सी. पी. जोशी : I am not repeating. And you will have your say.

(1·00 म. प.)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, यदि वह सार्थक भूमिका निभाते तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लोक सभा चुनाव के परिणाम आये वैसे परिणाम नहीं आते। विधान सभा के जो परिणाम आये जिस पर विपक्ष गर्व कर रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह विपक्ष के वोट नहीं हैं। वह वोट जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कभी गाय की हत्या के नाम से, कभी सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम से, कभी यह काम कर देंगे कह कर लिये हैं। यह कहना चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तान को बदनाम कर देंगे। गांधीवादी समाजवाद की शपथ लेकर नेतागिरी करना चाहते थे उनको जनता ने नहीं चुना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अभी मां मर गई इसलिये वोट लिये इस नाम से।

श्री सी. पी. जोशी : 33 साल में केवल मात्र 33 सदस्य रहे हैं। यह 33 सदस्य इस बात के द्योतक हैं कि यह जो पार्टी है इस पार्टी की रीति-नीति हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने वाली नहीं है, उसमें जनता विश्वास व्यक्त नहीं करती है। यह तो राजस्थान के चुनाव परिणाम आये हैं....

श्री शोपत सिंह : राजस्थान का बताइये क्या क्या...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें। व्यवधान न डालें।

श्री डूंगर राम पंवार : लोक सभा चुनावों में माननीय प्रधान मंत्री की मृत्यु को वोटों में भुनाया है आप लोगों ने जगह-जगह रोते फिरे हैं अस्थियां उठा करके।

श्री सी. पी. जोशी : आप राजा मानसिंह का क्या कर रहे हैं ? वही आप राजा मानसिंह का कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो गर्व है कि हमारी पार्टी के प्रधान मंत्री ने फैसला किया और 60 प्रतिशत नये लोगों को टिकट दिया। सत्तापक्ष में बैठने वाले चाहे युवक हों, चाहे महिला हों, 60 प्रतिशत नये लोगों को टिकट मिला और वह जीत कर जनता के बीच में। 35 साल से जो कांग्रेस के नाम से नेतागिरी कर रहे थे, कभी समाजवाद के नाम से नेतागिरी कर रहे थे। हमने उनका अनहोलीनेस नहीं किया, हमने तो राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नयी फौज खड़ी की है। यह तीसरी

(श्री सी. पी. जोशी)

जनरेशन खड़ी हुई है। जनता के सामने जो जीत कर आयी है। लेकिन यह जो पिछले 35 साल से कभी समाजवादी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से, भारतीय क्रान्ति दल के नाम से और जातिवाद के नाम से नेतागिरी कर रहे थे, यह विपक्ष की जीत पर किस बात की खुशी मना रहे हैं ? हमें तो इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं वह प्रोग्राम का वोट है, रीति-नीति का वोट है। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हिन्दुस्तान को एक नया भारत बनाने का वादा है, इस बात का हमें गर्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा, पोस्टेरिटी इस बात को बिलीव करेगी कि जो निर्णय राजीव गांधी ने लिये हैं, दल बदल विधेयक लाने के बाद विरोध पक्ष के आदमी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। यह पांच साल तक बैठे रहेंगे। अगले पांच साल के बाद भी बैठे रहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन की उम्र 60 साल हो गयी है। आज हिन्दुस्तान का 60 प्रतिशत मतदाता 40 साल से कम उम्र का है। यह विपक्ष में बैठने वाले जितने साथी हैं, अबकी बार तो भारतीय जनता पार्टी के 32 में से 19 आदमी आये हैं....

एक माननीय सदस्य : वह बैठे हैं। आपकी फ्रन्ट लाइन देख कर बात करो।

श्री सी. पी. जोशी : जोशीजी की उम्र देख कर आपको तकलीफ हो रही है। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा है कि अनुभवी लोगों और युवकों के उत्साह को साथ लेकर मैं एक नया हिन्दुस्तान बनाना चाहता हूं। राजस्थान उसका उदाहरण है, एक अनुभवी आदमी, जिस आदमी ने तीस साल तक राजस्थान की सेवा की है, जो राजस्थान की जनता के बारे में जानता है, को राजस्थान का नेतृत्व दिया। हम जैसे युवकों को इस बात का आदेश दिया इनके अनुभवी नेतृत्व में एक नया राजस्थान बनावें, राजस्थान की समस्याओं के बारे में काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, सन् 1980 में जब मैं विधायक बनकर आया था तब 9 हजार वोट से जीता था लेकिन पांच साल बाद 26 हजार वोट से जीता हूं और अगली बार 35 हजार वोटों से जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी आयें, वह आकर जांच करें। जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, राजीव गांधी ने एक बात कही है कि जन-प्रतिनिधि कैसा हो। जन-प्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिये। अकाउण्टेबिलिटी इस बात की होगी कि जन-समस्याओं की पहचान वह कर सकता के बारे में है या नहीं और उसके निराकरण में उसकी ईमानदारी है या नहीं। यह दोनों ही क्वालीफिकेशन जिस जन-प्रतिनिधि में हैं उस जन-प्रतिनिधि को जनता का अपार प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। इस आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस गुणात्मक परिवर्तन को हमारे विपक्ष के नेता और हमारे प्रेस वालों से निवेदन करना चाहता हूं वह समझें। 1980 में जिन लोगों ने विपक्ष को भूमिका दी गई थी, उन लोगों की चार साल की परफारमेंस के बाद 1984 के चुनाव में एक भी वोट की वह किसी भी विधान सभा क्षेत्र में नहीं की।

(श्री सी. पी. जोशी)

हम जैसे नौजवानों, जिन्हें 80 में जितने मत मिले हैं, ने 1985 में हर विधान सभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार वोट ज्यादा प्राप्त किये हैं। जनता का मन जीता हमने। माननीय अध्यक्ष महोदय आप ताज्जुब करेंगे, 41 हजार वोट किसी के नहीं हैं। फलौदी में पूनमचन्द विश्नोई को 41 हजार वोट मिले हैं। माननीय परसराम मदेरणा को 38 हजार वोट मिले हैं। चन्दनमल जी को 38 हजार वोट मिले हैं।

एक माननीय सदस्य : फिर भी 9 हजार वोट कम रह गये।

श्री सी. पी. जोशी : एक भी सदस्य खड़ा होकर कहे इतने वोट किसके आये हैं ?

श्री शोपत सिंह : जीतने वालों को कितने वोट मिले ?

आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : कुल 51 हजार वोट आये हैं।

श्री शोपत सिंह : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य हारने वालों के वोट बता रहे हैं, जीतने वालों को कितने मिले ?

श्री डूंगरराम पंवार : पूंजीपतियों के द्वारा खरीदी हुई सरकार की बढ़ाई करने वालों से पूछना चाहता हूं आज तक क्या परिवर्तन किया ? आप क्या समाजवाद लाये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत व्यवधान डाल रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, कृपया नियमों का पालन करें।

एक माननीय सदस्य : नियम समझाइये, साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1980 के मुकाबले फलौदी, भोपालगढ़, सरदारशहर में भले ही इस चुनाव में हार गये हों लेकिन इस बार तीनों विधान सभा क्षेत्रों में हमने 15 हजार वोट ज्यादा लिये हैं। यह कोई विरोधपक्ष का आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसके क्षेत्र में 15 हजार वोट ज्यादा लिये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधान सभा चुनाव 1985 में या 80 के चुनाव में ?

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लीजिये। अपनी बात कह दीजियेगा। व्यवधान क्यों डालते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह किताब सदन की मेज पर रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : जो हार गये उन लोगों के वोटों की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात कहें, प्रश्न नहीं उठायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उद्वेलित न हों।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इस तरह से जीत कर आये हैं, हमें बड़ा गर्व है, कि हिन्दुस्तान के इतिहास में राजस्थान में अष्टम विधान सभा का जो कम्पोजिशन है, एक अच्छा कम्पोजिशन है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप और हम मिल कर राजस्थान का विकास करना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की समस्याओं से आप परिचित हैं। आप जानते हैं कि जो सेवन्थ प्लान है उसका आधार बनाना चाहते हैं 85 और 90 के बीच में। जो वित्तीय सहायता मिलती है, मैं सब से निवेदन करना चाहता हूं, वह गाडगिल फार्मूले के अनुसार मिलती है। जो गाडगिल फार्मूला है वह हमारी स्टेट की नीड को कवर नहीं करता है। चाहे आप विपक्ष में बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कल आप भी सत्ता में थे, राजस्थान की समस्याओं से आप परिचित हैं, चाहे वह रेगिस्तान की समस्या हो, चाहे वह कैनाल को कम्पलीट करने की समस्या हो, चाहे वह ट्राइबल इलाके में बनने वाले टी. ए. डी. स्कीम की समस्या हो, चाहे वह अलवर में होने वाले इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की समस्या हो। इन समस्याओं से हम परिचित हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस विधान सभा में बैठने वाले माननीय सदस्य गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो यह जो गाडगिल फार्मूला है, राजस्थान के विकास की जो दर है उसको नहीं बढ़ा पायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि शायद यह बात सब को मालूम है कि जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तान की पांच प्रतिशत पापूलेशन राजस्थान के अन्दर रहती है। इसके लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ रुपये का प्रावधान था। गुजरात में जनसंख्या 4.97 पर्सेन्ट है टोटल पापूलेशन का उसके अन्दर 3680 करोड़ का सिक्स्थ फाईव ईयर प्लान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम एरिया को आधार मानें तो मध्य प्रदेश का एरिया 13.50 प्रतिशत है हिन्दुस्तान के एरिया का और 10.43 पर्सेन्ट है...

श्री शिवचरणसिंह (करौली) : उनकी गलती है।

श्री सी. पी. जोशी : करौली से आने वाले माननीय सदस्य आप भी सत्ता में रहे हैं।

(व्यवधान)

सत्ता में रहे हैं। आपको वहां जाना पड़ा, आप सोचिए। मुझे क्यों कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में नहीं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपस में नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, कंट्री के टोटल एरिया का लगभग 13.50 है। उसका सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान का जो आउट ले था वह 3800 करोड़ का था। यदि हम इसको आधार मानें, पंजाब, जिसकी पापूलेशन टोटल पापूलेशन की 2.45

(श्री सी. पी. जोशी)

प्रतिशत है उसका 1975 करोड़ का सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के बड़े बुजुर्ग सदस्य जीत कर आये हैं उनको भी सत्ता में रहने का अवसर मिला है। राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान की जनता को उन्होंने भी आकांक्षा, उपेक्षा और विश्वास दिलाया है। हम इस सदन में बैठने वाले लोग गम्भीरता से इस बात को सोचें कि राजस्थान के विकास को हमें आगे बढ़ाना है तो दलगत भावना से ऊपर उठकर हमको भारत सरकार से मांग करनी पड़ेगी। गाडगिल का फार्मूला है कि वह राजस्थान के विकास को आगे नहीं बढ़ा पायेगा। हमें कहते हुए खुशी है पिछले पांच साल में इतना कांस्ट्रेंट होने के बाद भी हमने प्रायोरिटी को आइडेन्टीफाई किया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगरोली से इलैक्ट्रेसिटी नहीं मिल रही थी, इलैक्ट्रेसिटी लाने के लिए हमने इनफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है। हमने नयी लाइनें लगाई हैं। जिससे बिजली लेने की आल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में हम ने सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का मास्टर प्लान बनाया है। इरिगेशन का मास्टर प्लान है। यह प्रास्पेक्टिव प्लानिंग है। हम विश्वास करते हैं कि इन आने वाले पांच सालों में इस प्लानिंग के आधार पर जो छोटे एनीकट्स हैं, जो बड़ी योजनायें हैं उनके जरिये काश्तकारों के खेत में जो पानी की व्यवस्था नहीं है वह पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। जो पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं उनको सड़कों से जोड़ना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान नीचे से दूसरे नम्बर पर था। पिछले पांच साल में हमने कोशिश की है। 200 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्कूल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, मिडिल स्कूल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, सैकण्डरी स्कूल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछले पांच साल में शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान को आगे बढ़ाने का जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह हमारी उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपके सामने राजस्थान कैनाल का जो हमने डवलपमेन्ट किया है उसमें हमने चरागाह की व्यवस्था की है, पीने के पानी के लिए लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की है। यह पिछले पांच साल में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि यह प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का आधार यदि हम नहीं बनायेंगे तो राजस्थान की जो जियाग्राफिकल स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है उस आधार पर राजस्थान का विकास हम नहीं कर पायेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष के जो बुजुर्ग नेता हैं, जो इस राजस्था नेकास में भागीदार बनना चाहते

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं वह आगे आयें और राजस्थान सरकार को इस बात का सजेशन दें कि किस तरह से इस राजस्थान के विकास को अपने सीमित साधनों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब तो आप और हम मिल कर इस अष्टम् विधान सभा बनने के बाद एक नया इतिहास बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सब बात इसलिए कहना चाहता हूँ, एक नौजवान आदमी के दिल में स्वप्न होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नौजवान हैं, उनके दिल में भी स्वप्न है। वे बात करते हैं इक्कीसवीं सदी का भारत बनाने की। पहली बार हिन्दुस्तान की राजनीति में एक ऐसा आदमी आया है जो आगे की बात सोचता है। आज दिन तक जो आदमी नेतागिरी कर रहे थे उन्होंने यह बात नहीं सोची कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप कांग्रेस को वोट दें और प्रदेश की प्रगति को बढ़ायें। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 85 से 90 तक प्रदेश की प्रगति बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने विधायकगण हैं वह आज से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम करके जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करूंगा यदि मैं माननीय सदन को यह अवगत नहीं कराना चाहूँ कि जो समस्यायें हैं उन समस्याओं को हमें समझना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से पैसे का इन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहता हूँ कि 54 करोड़ की राजस्थान कैनाल पर 960 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। राजस्थान कैनाल में राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों का टैक्स कन्ट्रीब्यूट होता है। उदयपुर डिवीजन से आने वाले जो आदिवासी भाई हैं, जो ट्राइबल एरिया के अन्दर रहते हैं उनकी पर केपिटा इनकम गंगानगर में रहने वाले आदमी की पर केपिटा इनकम के बराबर नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए हमें यह समझना आवश्यक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम राजस्थान का विकास किस तरह से करना चाहते हैं जिससे हमारे राजस्थान की बहबूदी बढ़े। हमारे उदयपुर डिवीजन में जहां आदिवासी लोग हैं, जहां पर केपिटा इनकम कम है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां लैण्ड होल्डिग नहीं है, ऐसे लोगों की माली हालत सुधारने के लिए हमको इन्वेस्टमेन्ट की प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपको कि जितने हमारे काश्तकार भाई हैं, उन काश्तकार भाइयों को बिजली मिले, इसके लिए हमें प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। जो काश्तकार बिजली लेना चाहें उनको समय पर बिजली कनेक्शन मिलें। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हमारे इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैं, कपूरड़ी और पलाना के लिग्नाइट की जो हमारी योजनायें हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा करें। हमारे इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैं जितने भी, चाहे हम पार्वती से

(श्री सी. पी. जोशी)
बिजली की व्यवस्था करें, चाहे कौल से व्यवस्था करें, चाहे रावी-व्यास से पानी की व्यवस्था करें, यह व्यवस्था जब हम कर पायेंगे तब राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे काश्तकार भाई हैं, जिनकी 15 बीघा से कम जमीन है, जो बिना नाम जमीन पर काबिज हैं पिछले 5–10 साल से तहसीलदार उन पर पेनल्टी लगा कर उनको तकलीफ दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी यह निर्णय लें कि जिस काश्तकार के खाते में 15 बीघा से कम जमीन है, जो बिना नाम जमीन पर काबिज है, ऐसे सभी काश्तकारों को काश्तकारी अधिकार दे दिये जायेंगे जिससे कम से कम उनकी यह तकलीफ नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो अरबन एरिया हैं उनमें शिडयूल्ड ट्राइब्स और शिडयूल्ड कास्ट, माइनोरिटीज के जो आदमी रहते हैं। जो निम्न आय वर्ग के हैं, 1981 की जनगणना के आधार पर ऐसे सभी लोगों को पट्टे दिये जायें। जो आज अरबन एरिया में रहते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण होगा तब ही तो वे जा करके काम कर पायेंगे। यह सब कुछ मौलिक सुझाव हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके लिये कुछ हमें गम्भीरता से सोचना है। सत्ता में बैठ कर और विपक्ष में बैठ कर हमें राजस्थान के विकास के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमें लोकतन्त्र में चुनने के बाद जनता ने हम से जो अपेक्षाएँ और आकांक्षायें की हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आकांक्षायें और अपेक्षायें इतनी तीव्र गति से बढ़ गई हैं कि उनको पूरा करने के लिए आपको और हमको मिल बैठ कर इस राजस्थान विधान सभा में एक नयी परम्परा निभानी है। मैं विश्वास रखता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ साथी विपक्ष से जीत कर आये हैं, वे अपने अनुभवों के आधार पर यह छोटी मोटी राजनीति नहीं करेंगे जो कभी राजा मानसिहजी जिनका हमको कष्ट है, के नाम पर करते हैं। ऐसी कोई बात लेकर हम राजस्थान में यदि कोई वातावरण बनाना चाहें तो राजस्थान का विकास नहीं होगा। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके आधार पर हम विपक्ष की नेतागिरी करना चाहें तो विपक्ष की नेतागिरी नहीं चल सकती। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष इस बात को बताये कि वह शैडो गवर्नमेन्ट बनाना चाहती है। मैंने तो इस बात को अखबारों में पढ़ा था। माननीय बाबा साहब का स्टेटमेन्ट था कि हम शैडो मिनिस्ट्री बनायेंगे। शैडो मिनिस्ट्री तो बनी नहीं पर शैडो मिनिस्टर आपस में बन गये हैं कि नेता कौन रहेगा ? बी जे पी का रहेगा या जेपी का रहेगा या लोकदल का रहेगा। यह शैडो मिनिस्ट्री रह जायेगी विधान सभा में। हमको यह नजर आया कि संयुक्त विपक्ष के नाम पर जिस जनता को जाकर आपने कहा था कि हम एक संयुक्त विपक्ष देंगे। लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी मिलकर एक संयुक्त विपक्ष देंगे और एक अहम् भूमिका निभायेंगे, उस विश्वास को जनता ने ठुकराया है। आज यहां आकर बैठे हुए हैं। यहां कहते हैं, लोक दल का नेता यह है, भारतीय जनता पार्टी का नेता यह है, जनता पार्टी का नेता यह है। यह जनता के साथ विश्वासघात है। यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

आपने विश्वास दिया है जनता को तो हम चाहते हैं, कोई आकर कह दे कि हमारी पार्टी का नेता यह है। लेकिन इतना साहस नहीं। जो लोग राजस्थान की राजनीति में केवल मात्र दूसरे की ताकत को कमजोर देख कर....

एक माननीय सदस्य : जरा पहाड़िया साहब से भी तो पूछ लीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : जो लोग दूसरों की ताकत देख कर खुश रहना चाहते हैं, ऐसी नेतागिरी पिछले 37 साल से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ पार्टी ने की है। वह अपनी ताकत नहीं बना सकी 37 साल में लेकिन दूसरे की ताकत बनाने में उसको खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गयी है। कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी ने तो एक नया निर्णय राजीव के नेतृत्व में किया है कि हम हिन्दुस्तान में स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, मूल्यों की राजनीति करना चाहते हैं, आदर्शों की राजनीति करना चाहते हैं और जनता को जो विश्वास दिया है उस विश्वास को पूरा करना चाहते हैं। हम ऐसी नेतागिरी नहीं करना चाहते कि चुनाव के समय जाकर कहें कि भारतीय जनता पार्टी, लोक दल सब एक है, हमको वोट दो हम संयुक्त सरकार बनायेंगे और जीतने के बाद कहें, लोकदल का नेता यह है, जनता पार्टी का नेता यह है, भारतीय जनता पार्टी का नेता यह है। इस आधार पर हमने वोट नहीं लिया।

तो मैं विपक्ष के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विश्वास हम व्यक्त करना चाहते हैं उस विश्वास को यदि हम जनता के बीच में नहीं रख पाये तो यह लोकतन्त्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और उस खतरे को बढ़ाने वाला कोई आदमी होगा तो विपक्ष के नेता होंगे जो अपनी ताकत दूसरे की ताकत को कम करके नहीं बढ़ा सकते हैं। 30–32 में से 19 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा में आ रहे हैं, यह किस बात का द्योतक है? जिनको विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया गया, जिन्होंने सदन के समय का पूरा उपयोग किया, सदन में एक दिन में 4 घण्टे विपक्ष का आदमी बोलता है, यहां रखते हैं स्थगन प्रस्ताव, जनता की समस्यायें और 32 में से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जनता ने हरा दिये। हमारी पार्टी ने 60 नौजवानों को टिकट दिया। हमारे पास उदाहरण है इस बात का कि जितने हम नौजवान साथी जीतकर आये हैं उतने भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नहीं हैं। नौजवान आदमी हैं लेकिन उतने नौजवान आदमी नहीं हैं जितने नौजवान आदमी हम जीत कर आये हैं। यह गुणात्मक परिवर्तन आया है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजनीति को, इस गुणात्मक परिवर्तन को हम समझें। राजनीति बदल रही है, इस बदलाव को हम समझें। राजनीति अब जातिवाद के आधार पर, नारों के आधार पर नहीं चल सकती। राजनीति चलेगी अब इस बात पर कि जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए किसी भी पार्टी का सदस्य कितना जुझारू है। राज्य सरकार से संघर्ष करके जनता की समस्याओं का निराकरण कराता है वह जनता के अन्दर जीत कर आयेगा। यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

हम केवल मात्र चुनाव के समय पर लोगों को खाली एक उदाहरण देकर या किसी बात का वातावरण बना कर यह सोचना चाहते हैं कि राजनीति में हमारी ताकत बढ़ गयी है तो यह ताकत शेंडो ताकत है। यह ताकत शेंडो ताकत है और अगला चुनाव इस बात को बतायेगा। अभी तो 3 नेता हुए हैं, अगले चुनाव में 25 नेता पैदा हो जायेंगे भारतीय जनता पार्टी के आपस में। इसलिये पिछले पांच साल में जो कुछ भी हमने गेन किया है उस बात पर हमें गर्व है। हमें गर्व है इस बात पर कि हम और हमारे जैसे नौजवान जो विधायक बनकर आये हैं, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में नया राजस्थान बनाना चाहते हैं, उनका हरिदेव जोशी जैसे अनुभवी आदमी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है उनके नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि इस राजस्थान की राजनीति में नये मूल्य स्थापित करें, नये आदर्श स्थापित करें और आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि राजस्थान के विकास के लिये जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हमारे आर्थिक साधन हैं उन साधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करें। एक नया राजस्थान बनायें जिसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकें।

मुझे विश्वास है, यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है जिसमें बताया है कि पिछले पांच साल में बीस सूत्री कार्यक्रम में जितनी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों से भी ज्यादा उपलब्धियां अगले पांच साल में करेंगे और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो रोटी, रोजगार और उत्पादन करने का हमारा नारा है, सातवीं पंचवर्षीय योजना को आधार मान कर हम राजस्थान में एक नयी राजनीतिक स्थिति पैदा करेंगे। मुझे विश्वास है, सदन के जो माननीय सदस्य नये आये हैं वह भी गम्भीरता से इस गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन को समझेंगे। आप और हम मिलकर राजस्थान की बहबूदी को आगे बढ़ा सकें, यही सबसे बड़ी बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस पर जो मैंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, माननीय सदस्यों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। यही बात मुझे आपसे कहनी है।

आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी(भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं।

इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, विरोध पक्ष से एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरा दिल बहुत कमजोर है, कानों के परदे बहुत पतले हैं और गला इतना सेन्सेटिव है कि आगे से आवाज आती है तो मेरा गला खराब हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि मुझे डाक्टर.......

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

(व्यवधान)

मैं उम्मीद करूंगा कि....

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : परसराम मोरदिया इस सदन के सदस्य थे और × × × वह अच्छी तरह जानता है....

(व्यवधान)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : जिस अदब के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसमें सभी सहयोग करें।

श्री यदुनाथ सिंह : सहयोग तो करेंगे लेकिन एक बात है, जिस कारण से हजारों हजारों साल से देश में जो व्यवस्था बनी है, आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर बनायी गई है। सी. पी. जोशी प्रस्ताव रखेंगे, तिवाड़ी जी समर्थन करेंगे। पूरे आगे भाषण में कहीं हरिजन शब्द नहीं कहा गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : यह अच्छा होता, यह परम्परा होती कि कोई हरिजन सदस्य इसका समर्थन करता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस बात से समर्थन शुरू करता हूं कि यह जो अभिभाषण है, यह एक इम्पारटेंट डाकूमेंट है। यह सरकार का लेखा जोखा है जो उसने किया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : कितने पेज में है ?

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : 31 पेज में है। इसमें लेखा जोखा है। यह लेखा जोखा प्रजातन्त्र में निहायत जरूरी है कि क्या हमने किया, कितना विकास किया और कितनी हमारी योजनायें हैं, आगे हम क्या करना चाहते हैं, गत वर्षों में क्या किया। इसकी कम्परेटिव स्टडी इसमें आंकड़े दिये हुए हैं जिनको हम आथेन्टिक मानकर चलते हैं। यह प्रमाणिक आंकड़े हैं, इन पर हमें विश्वास करके चलना चाहिये। जब समर्थन का प्रश्न आया, मैं बड़ी दुविधा में पड़ा।

(1.23 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

पिछले धन्यवाद प्रस्तावों को मैंने देखा, कई सालों के देखे। पिछलों को चश्में से देखा और बिना चश्में से देखा। सबसे एक नतीजे पर पहुंचा कि इतने सालों में विपक्ष ने कभी यह नहीं कहा कि राजस्थान में कुछ विकास हुआ है। हमेशा यह कहा कि बरबाद कर दिया, विनाश कर दिया। हरेक को मैंने पढ़ा। चश्मा देकर पढ़ा, बिना चश्में के पढ़ा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरी उम्र इतनी हो गई और कांग्रेस ने 35 सालों में कुछ नहीं किया। पर एक अफसोस हुआ। प्रजातन्त्र में जो चीज सही है, हमको सही मानकर ही चलना पड़ेगा। सबको

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

ज्वोइन्ट रेस्पांसिबिलटि है, जिम्मेदारी है। हमको चुनकर इसलिये भेजते हैं। अगर कुछ नहीं किया, विनाश किया तो आखिर जनता हमको क्यों समर्थन देती है क्यों चुनती है, यह समझ में नहीं आता। जो हम 50 साल या इसके आस-पास के हैं, नौजवानों की नहीं कह सकता हूं, हमने पुराना समय भी देखा है और अब भी देखते हैं। किन परिस्थितियों में थे हम कहां थे और इस समय कहां हैं। इसको नकार नहीं सकते फिर भी नकारते हैं। क्योंकि विपक्ष की भूमिका वह यही मान कर चलते हैं कि हम हां कहें तो विपक्ष ना कहे। मेमने की सी मुझे याद आती है, जो मेमना और भेड़िया की कहानी है वह बिल्कुल चरितार्थ होती है कि हम हां कहें तो वे किसी न किसी तरह ना कहें। यह एक सख्त अफसोस की बात है प्रजातंत्र में, जो हमारी समझ में नहीं आयी। और मुल्कों का भी इतिहास जब हम पढ़ते हैं, इंगलैण्ड का पढ़ते हैं तो कितनी पुरानी डेमोक्रेसी हो गई है जिसको 400 साल गुजर गये, कितनी शुद्ध वहां की राजनीति है। हम ना के अलावा कुछ सुझाव देकर कंस्ट्रक्टिव-वे में जानना नहीं चाहते हैं। यह कुछ हमारी मनोवृत्ति बन गई है। यही डेमोक्रेसी है। प्रजातन्त्र है। हमको कहां चलना है, किसके प्रति हमको जिम्मेदार होना है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ कितना हुआ है, यह सोच कर चलना पड़ेगा।

मैंने आंकड़ों को देखने की भी कोशिश की कि और आंकड़े भी अलग-अलग डिपार्टमेंट के किताबों से देखूं। लेकिन इस अभिभाषण के सिवाय क्या है? यह as far as आथेन्टिक है। मैं मान कर चलता हूं आंकड़े और दूसरे जुटाये जा सकते हैं, उपलब्ध किये जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर सुझाव भी दिये जा सकते हैं। लेकिन यह जो हो रहा है, मैं इसको एक अच्छी, हैल्दी परम्परा मान कर नहीं चलता हूं। सही मायने में प्रजातन्त्र मान कर नहीं चलता हूं। अगर कोई चले तो ठीक है, चलेंगे। लेकिन हम एक अच्छी परम्परा छोड़ कर के नहीं जायेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, जो हमारे यहां के वरिष्ठ विधायक हैं उनको एक इस तरह की परम्परा छोड़ कर जानी चाहिये जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद करे, ऐसी परिपाटी हम छोड़ें।

इस अभिभाषण में मैंने कई चीजों पर विचार किया। इसमें मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं रही है। विकास की हरेक चीज आ गई है। कोई नहीं आयी है, रह गई है, तो वह एक अलग बात है। यह सम्पूर्ण नहीं है। एक तथ्य है, एक तलपट है, एक बैलेन्स शीट है। पूरा अकाउन्ट दूसरी जगह से मिल सकता है। इसमें मैंने हरेक चीज को देखा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की इसमें उपलब्धियां दी गई हैं। कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, सिंचाई परियोजनायें, भू-जल, सहकारिता, रोजगार-कार्यक्रम, पशु औषधालय, डेयरी विकास, वन, पंचायती राज, राजस्व, प्रशासन, खनिज, सड़कें, आवासन, शिक्षा, चिकित्सालय, इन्दिरा नहर, एवरी थिंग, हरेक चीज के आंकड़े दिये हुए हैं। पांच साल के आंकडे कम्पेरेटिवली हैं।

श्री यदुनाथ सिह : गंगा-जमुना का पानी नहीं है इसमें।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मैंने यह भी देखा, जनता पार्टी के राज में हमारे विपक्ष के नेता, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, जब अपना भाषण दिया था तब कहा था, This is a precise document. This is not exhaustive. उसी को मैं कहता हूं—This is a exhaustive. यह प्रिसाइज है लेकिन इसको देखना पड़ेगा हमको सही दिल और दिमाग से देखना पड़ेगा। जनता के सामने रेस्पांसिबल होना पड़ेगा। अगर हमने विनाश किया है और आप विनाश की तरफ जाते हैं, आपकी ही सुनती है तब भी पब्लिक की गलती है। हमको वोट देती हैं, यह पब्लिक की गलती है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको इस सदन में चुनने का, खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, रेस्पान्सिब्लिटी सबकी है। हमारी भी है, आपकी भी है। कोई इससे गुरेज नहीं कर सकता है कि किसकी रेस्पान्सिब्लिटी है। जनता चुनकर इसलिये वोट देती है कि आपका एक मेनीफेस्टो होता है। आपका एक प्रोग्राम होता है। हरेक पार्टी का प्रोग्राम होता है। जनता उन प्रोग्रामों को वोट देती है। उन प्रोग्रामों का हम क्रियान्वयन नहीं करते हैं, 31 सालों में अगर हमने नहीं किया तो विरोध पक्ष ने भी नहीं किया। अगर ऐसा हम मानते हैं तो पब्लिक को धोखा दिया। एडमिट करना पड़ेगा। यहां करना पड़ेगा, पब्लिक के सामने एडमिट करना पड़ेगा। इसलिये नहीं कि हम विरोध के लिये, गाली देने के लिये हुए हैं। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं निहायत अदब से यह कह देना चाहता हूं कि हमको इस परिप्रेक्ष्य में इस डाक्यूमेंट को देखना है। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव का समर्थन मैं करना चाहता हूं।

यह जो आंकड़े हैं, यह राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिये हैं। जिसमें अनुसूचित जाति, जन जाति, गरीब, उद्योग, कृषि हरेक चीज का समायोजन है। इसमें से मैं खास तौर से तीन-चार चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचायती राज यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन है। जैसे एक असेम्बली यहां है वैसे ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को हम मान कर चलते हैं। उसमें हम सभी विधायकों का पार्टीसिपेशन, सहयोग, सुझाव है। सबका है। चाहे विरोध का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो। हरेक का पार्टिसिपेशन है। उसकी जिम्मेदारी है। डिसेन्ट्रिलाइजेशन जो हमने किया है और चुनाव कराये हैं सरकार ने, इसके लिये हमको बहुत आभारी होना चाहिये। जो सत्ता है, विकास है, उसका एकीकरण नहीं किया है, एकाधिपत्य नहीं किया है वल्कि उसका बंटवारा किया गया है। उनको कार्य सौंपे जा रहे हैं जितना कार्य वे कर सकते हैं हरेक क्षेत्र में। कोई क्षेत्र उनसे बकाया नहीं है। उसमें हम भी बैठते हैं। अगर उनमें शिकायत करते हैं, हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, करना चाहिये। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जो विकासशील देश हैं, मेरे ख्याल से कोई विकासशील देश इस तरह का नहीं होगा जिसमें इस तरह की परिपाटी हो जैसी हमारे राजस्थान में या हिन्दुस्तान में है। कोई विकासशील देश ऐसा नहीं है। जितनी

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

सब्सिडी यहां मिलती है, जिसको पैसा कहा जाय वह जितना यहां मिलता है, इतिहास पढ़ेंगे दुनियां का तो शायद दुनियां के किसी देश में इस तरह से सब्सिडी नहीं दी जाती गरीब के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए। यह एक नीति है। कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस का प्रोग्राम है जिसको हम यहां पर कर रहे हैं। ऋण दिया जाता है। जिसके पास छप्पर नहीं है उसको ऋण दिया जाता है। जिसके पास साधन नहीं है उसको ऋण दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जावे ? ऐसा कहीं दुनियां के इतिहास में है ? कोई सदस्य बतलाने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

अभी पीछे प्रश्न कर लेंगे मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, मैं कहता हूं कि मेरा दिल बहुत कमजोर है, इस चीज को कृपया मान कर चलें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : तो पंचायती राज है, इसका जो डिसेन्ट्रेलाइजेशन है, इसमें पार्टीसिपेशन है, सत्ता है। छोटी-छोटी जो योजनायें ग्राम्य स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर हैं उनको चालू करने का हमको खुद अधिकार है। उसमें कोई गलती हो उसको निकालने का अधिकार है। उसके बाद में अगर कोई और भी आगे दिक्कत आती है उसको हम राज्य सरकार के नोटिस में ला सकते हैं। इसमें ना कोई सत्ता पक्ष का, ना विपक्ष का सवाल है। कोई अगर इसमें शिकायत करता है तो मैं यह मान कर चलता हूं कि वह शिकायत ठीक तरह की शिकायत नहीं मानी जायगी।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम मेरे विचार से इसमें कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। कोई समस्या ग्राम लेवल की जो आम आदमी की है, उसका निराकरण नहीं हो जाता है। इस कार्यक्रम की उपलब्धियां नहीं होती हैं। मौके पर निराकरण किया जाता है। इसमें कोई चीज बाकी नहीं रही है उस स्तर की। मैं दो चीजें मान कर चलता हूं, एक तो लोअर स्तर की जो कि जिला परिषद, पंचायत समिति अपने लेवल पर कर लेती है और कुछ बड़े काम होते हैं जो कि डिपार्टमेंट के जिम्मे रहते हैं जो डिपार्टमेंट कराता है। यानी पचास हजार तक की पावर जिला परिषद को दे रखी है। पच्चीस हजार तक के पावर, अधिकार पंचायत समितियों को दिये जा रहे हैं। क्या नहीं दिया जा रहा है ? चाहिये लेने वाला, काम करने वाला। सरकार इसमें कोई कोताही नहीं रखेगी अगर अपने स्तर पर वह अपना काम करेंगे तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रुपये नहीं दिये जा रहे हैं, पावर दिये जा रहे हैं।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : एक दिक्कत मैं और महसूस करता हूं जिसको विपक्ष को और हमको सोच कर चलना चाहिए कि जो गरीब के लिए चीज दी जाती है वह पूरी तरह से दी जावे, उसमें बीच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। इसके लिए सब का सहयोग हो चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे कोई हो। उसका पूरा लाभ उसको मिलना चाहिए। उसमें बिचौलिया नहीं होना चाहिए। उसमें

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यह सब की जिम्मेदारी है। वह चीज यहां के लेवल की नहीं है, वह चीज तो स्थानीय लेवल पर अच्छी तरह से साफ की जा सकती है, कही जा सकती है, वहां पर हल की जा सकती है। यह सब चीजों की आलोचना, हर चीज की आलोचना कहां तक चलेगी? हरेक चीज की आलोचना क्यों करें? जो हमारे अधिकार की चीज है उसकी भी हम आलोचना कर रहे हैं।

इन्दिरा गांधी नहर शायद आप लोगों ने इसको देखा होगा लेकिन मैं तो इसको एक भागीरथी प्रयत्न कहता हूं, राजस्थान के कई जिलों के लिए शायद दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रयत्न है। जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है उनको जानकारी होगी, मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन जितने मैंने आंकड़े देखे हैं कि यह क्या है, किस कदर फायदा करेगी और किस कदर इसमें पैसा काम में लगेगा और किस कदर उपयोगी होगी चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे यह पीने के पानी के लिए हो, मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में क्या कई मुल्कों में इस तरह की योजना नहीं है जिसको कि राजस्थान पूरा कर रहा है, केन्द्र के सहयोग से पूरा कर रहा है और उसमें पूरी गति से काम चल रहा है। इसको देखें, आंकड़े कोई बच्चा देखेगा तो सोचेगा क्या आ गया। फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सदस्य, जितनी बनती है उससे ज्यादा टूट रही है।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : आगे मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर है। शाखाएं एवं छोटी नहरों की लम्बाई 6408 किलोमीटर। तने की चौड़ाई 40·8 मीटर। फीडर की गहराई 6·4 मीटर। फीडर की क्षमता 523 घन मीटर प्रति सैकिण्ड। यह है। जैसा कि बतलाया गया, यह सन् 58 में शुरू हुई थी। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत देरी हो गई। प्राथमिकता के आधार पर लेकर इस योजना को जल्दी पूरी करना चाहिये, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुल कितनी लम्बाई है?

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मुझे जो आंकड़ों में मिला है उसके अनुसार शाखाओं एवं छोटी नहरों की लम्बाई 6408 किलोमीटर है।

(व्यवधान)

मैंने की नहीं शाखाओं एवं फीडर की है। यह आंकड़े यहां के हैं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : इससे कितना उपयोग होगा, कितना गल्ला बढ़ेगा, कितने आदमियों को रोजगार मिल रहा है और मिलेगा, कितने घर आबाद होंगे, कितने किसानों को फायदा होगा, इसके पेटे जो जमीन है उसको अलाट किया जा रहा है, गरीबों के लिए अलाट किया जा रहा है जो पिछले 55 के थे उनको अलाट किया जा रहा है। कितने लाखों आदमियों का जीवन-यापन इससे होगा, इसका कोई मुकाबला मैं

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

मान कर नहीं चलता हूं कि मुल्क में कोई इस तरह की योजना है या दूसरे मुल्कों में भी कोई है।

श्री यदुनाथ सिंह : भरतपुर के लिए तो बताइये ? गुडगांवा कैनाल भरतपुर फीडर की बताइये, पानी आता है क्या उसमें ?

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मायाजी, और ये देख लीजो मैं अगर गलती कर रह्यो छूं के आगे आंकड़ा में लिख्योडी है।

श्री यदुनाथ सिंह : जहां से चुनकर भेजा है वहां की मत बोलो और पहुंच गए गंगानगर।

(व्यवधान)

आगे की बतलाते नहीं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : एक मैं निवेदन कुछ और करना चाहता हूं, कुछ मैं और सुझाव देना चाहता हूं जो मैं मेरी राय में मुनासिब समझता हूं। जिस तरह की यह कैनाल निकाली गई है, सिंचाई की अपने राजस्थान में अभी बहुत कमी है, मैं सरकार से यह चाहूंगा कि चम्बल जो हमेशा बहने वाली नदी हमारे पूर्वी राजस्थान में है, इससे कोई इस तरह की लिफ्ट योजना या कोई इस तरह का इन्तजाम करके उसको ऊंचा हम करें जिससे कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर जिलों की सिंचाई का इंतजाम किया जा सके, यह मेरा सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है कि हमारे यहां कुछ बरसाती नदियां हैं, जैसे बाणगंगा और गम्भीरी। उनका बहुत ज्यादा पानी वेस्ट जाता है यू. पी. में। उस पानी को रोक करके अगर काम में लाया जा सके तो सिंचाई का एक महती साधन हमको मिल सकेगा और पूर्वी राजस्थान में सिंचाई का समुचित इन्तजाम हो सकेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गंगा-जमुना के बारे में बोलो।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : गंगा-यमुना के पानी के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसके कुछ समझौते अभी तक बाकी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : 71 के बाद चर्चा ही नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : कहां समझौता करवा रहे हो ?

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : इनके समझौता बाकी है। उनके समझौता करना बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : हमारी जो गुडगांवा कैनाल है....

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। बैठे बैठे बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मेरा गला कुछ नाजुक है।

श्री नत्थीसिंह : धीरे-धीरे क्यों बोल रहे हैं अपने इलाके की बात, जोर से कहो।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : आप जब जोर से बोलते हैं तो गला मेरा खराब होता है। आप सोचिये, मैंने पहले आपसे निवेदन कर दिया था कि मैं माफी चाहता हूं और डर और रहा था।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने तो लखनऊ के नवाबों को भी मात कर दिया, साहब।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : तो जो गुड़गांवा कैनाल है हमारे यहां, उसमें पानी की बहुत जरूरत है। उसका समझौता अभी नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि उस पानी का समझौता किया जावे। उस कैनाल को आगे बढ़ा कर सिंचाई का साधन वहां और किया जावे उस कैनाल के जरिये से, यह मैं और निवेदन करना चाहता हूं।

बेरोजगारी की समस्या अहम समस्या है। यहां तो है ही। राजस्थान में है, हिन्दुस्तान में है, दूसरे मुल्कों में भी बहुत बढ़ गई है। अमेरिका इंग्लैंड में भी बहुत हो गई है। मैं यह सरकार का फर्ज मान कर चलता हूं कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उपाय सोचे जायें और इस समस्या को हल किया जाय। जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए मैं यह चाहूंगा कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जावे। जिनके अन्य कोई साधन नहीं हैं उनके लिए दें।

ऊर्जा की भी राजस्थान में अभी दिक्कत है। यह साधन बहुत जरूरी है। यह मैं मान कर चलता हूं कि साधन बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन इसकी तरफ और विशेष ध्यान दिया जावे। ऊर्जा की राजस्थान को सख्त जरूरत है, ऊर्जा के लिए भी विशेष ध्यान दिया जावे।

श्री बाऊदयाल जोशी : गांव गांव में गोबर गैस हो गया, आनन्द हो गया।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : एक और मैं मानकर चलता हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, सबकी जोइण्ट रेस्पांसिबिलिटि है। इसमें मैं एक चीज मान कर चलता हूं। अपने निज की तरफ से कि हम सभी ग्राम जनता आपस में पार्टनर्स है। पार्टनर्स इन डेमोक्रेसी। और हम सब गार्जियन हैं। We are gurdian of innocent, handicapped and orphans. We alldous, and I think, we are custodian of benefits of poor and needy. What I think loudly, I think like this, all of us.

श्री नत्थी सिंह : अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में सोचो।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : हिन्दी में अनुवाद हुआ नहीं—We are partners democracy, guardian of innocent, handicapped and orphans, and custodian of benefits of poor and needy. Our duty is triple fold and we should do it.

आगे एक और बहुत दुख भरी कहानी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसको भी आप और से सुनें और बड़ा दिल थाम कर

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

रखें तो अच्छा रहेगा। लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन का भी इसमें हवाला दिया गया है। मैं यह मान कर चलता हूं कि शायद विपक्ष इस चीज को आगे उठायेगा और उठाने के लिए कई चीजें भी हैं। राजा मानसिंह जी का निधन हुआ, बहुत दुखदायी हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : हत्या हुई।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : हत्या चलिए मानिये, मानिये। जो आप मानें, मानिये। लेकिन उसके लिए 2–3 चीजें मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। जब विपक्ष बोलता है, यहां पर या भरतपुर में जब विपक्ष बोला तो हम यह महसूस करने लग गये, कम से कम मैंने यह महसूस किया कि सारी की सारी हमदर्दी विपक्ष वालों ने या कुछ सीमित आदमियों ने खरीद ली है। ना हमारे दिल है, ना हमारे दिमाग है, कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ इने-गिनें विपक्षियों का दिल है, उन्हीं के पास हमदर्दी है जो कि सब की सब खरीद ली गयी है। एक बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। कल जब हुआ था तो हमारे नेता ने सदन में बड़ी आह भर कर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उनके दुख प्रकट किया था। मैं भी जब बैठा हुआ था, मैंने भी किया था। और यह मान कर चलिए कि जितना दुख आपको है उससे कम हमको नहीं है। शायद बहुतों को नहीं होगा क्योंकि हम भरतपुर में खुद रहते आये हैं, उनसे हमारे घरेलू सम्बन्ध थे और उसके लिए यहां तक मुझे जाना पड़ा कि मुझे भूख हड़ताल तक करनी पड़ी। लेकिन किसलिये? मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं—

(व्यवधान)

इन्दिराजी की उस हत्या से इसको मत जोड़िये। एक दूसरा पक्ष मैं कहना चाहता हूं, मैं उसके तथ्य में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह तो जो मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का है, इन्क्वायरी का है, कमीशन बैठा हुआ है, सी. बी. आई जांच करेगी। मैं उस तथ्य में जाना नहीं चाहता। मैं राजनैतिक तथ्य पर जाना चाहता हूं कि राजनीतिक लोग कहां तक, किस स्टेज तक गये। राजा मानसिंह जी का समाचार मुझे मिला कि वह नहीं रहे, मैं क्षेत्र में था और वहां से आया। आ करके सीधा मोती झील गया। शाम का समय था, 2–3 घण्टे तक मैं वहां रहा और चला आया। उस समय भीड़ नहीं थी। दूसरे दिन प्रातः, सुबह 22 तारीख को फिर मैं गया। हमारे साथी गये। गर्मी में गये थे, परेशान थे, दुखी थे। हम भीतर थे। और आगे बरदाश्त नहीं हुआ उस गम की घड़ी में कुछ हमारे राजनैतिक साथियों को, नारे लगाये जा रहे थे, घेर लो, मार दो, मत निकलने दो। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। ऐसी घड़ी में हम उनकी लाश के पास बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आगे पीछे नारे लगाये जा रहे हैं। कोई बरदाश्त कर सकेगा इसको? हमारे दिल से पूछिए कि हमारे दिल पर क्या गुजरी। अर्थी को ले गये। हम उसमें शामिल नहीं हो सके। हम जनाजे में शामिल नहीं हो सके। किस मुंह से हो सकते थे हम? क्या हो रहा था उस समय? हमारे दिल से पूछिए हमारे दिल पर क्या गुजरी,

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

इसलिए हमने समझा कि क्या खरीद लिया गया ? क्या खरीदा गया, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उधर जनाजा निकल रहा था, हम नहीं गये, जनाजे के आगे चल चल करके, बाजार में होकर हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। वोट झड़ाना चाहते थे। वोटों को झड़ना चाहते थे। शेम मैं कहता हूं। वोट झड़ाना चाह रहे थे। मैं सबके लिए नहीं कहता हूं। हाथ जोड़ कर आगे चल रहे थे, न राम का नाम, न भगवान् का नाम, राम नाम सत्य है नाम, कुछ नहीं। इधर को देख रहे हैं, उधर को देख रहे हैं। शेम। बाजार वालों ने थूका नहीं, मैं कहता हूं, और क्या किया ? कोई कहता है, हम कैसे जीते ? हमारे जीतने का श्रेय विपक्ष को जाता है, मेरे जीतने का श्रेय। जिनकी भद्दी हरकतों ने उनको मजबूर कर दिया कि वोट उनको नहीं देना है। यह होता है ? फिर अस्थि कलश बना। कुछ तादाद में होता है, अस्थि कलश बनते हैं, जाते हैं तीर्थों में जाते हैं, बड़े पवित्र हैं, ले जाये जाते हैं, सब के बनते हैं जो इस तरह की घटनायें होती हैं। गांव-गांव में अस्थि कलश को घुमाया गया। हरेक गांव में तीर्थ है ? हरेक गांव में तीर्थ है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टेलीविजन पर इन्दिराजी की फोटो दिखाई गई चार दिन तक।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : इस गांव में उस गांव में। और कितने कलश थे ? इने-गिने कलश थे। शायद 11 या 12 थे लेकिन सैकड़ों की तादाद में कलश गांवों में घुमा रहे थे। यह मैं कहता हूं, उस आत्मा के साथ अन्याय है। मैं कहना चाहता हूं, घोर अन्याय है, उस आत्मा के साथ, वह आत्मा दुख पा रही है। इस तरह का किया गया। किसलिये ? हमदर्दी नहीं, वोट चाहिये थे—वोट। वोट चाहिये—वोट दीजिये। यह घटना है जिसको देख कर के हमारे दर्द होता है। मैं कहता हूं, कइयों ने राजा मानसिंहजी को देखा नहीं होगा, व्यवहार में नहीं आये होंगे, उनके सम्पर्क में नहीं रहे होंगे। हम रहे हैं, हम रहे। पहले थे, अब हैं और आगे रहेंगे, यह मैं कह देना चाहता हूं आपसे। लेकिन जो वहां कह रहे थे, और अब कह रहे हैं मैं कहता हूं कि वह न जब थे, न अब हैं, न आगे रहेंगे, यह मैं कह देना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिन्होंने मार दिया उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं....

(व्यवधान)

कोई हरकत नहीं की सरकार ने, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। बहुत अच्छा।

(व्यवधान)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : इतना दर्द हुआ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, यह सच्चाई को सुनना क्यों नहीं चाहते ? बड़े दुख की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मेरे दिल का दर्द तो सुनिए, आप लोगों को सुनाना चाहता हू जो हम पर बीती है। मैंने एक अपील निकाली थी उसी वक्त अपील निकाली, भूख हड़ताल पर बैठा था। आप प्रस्ताव लाते, स्थगन प्रस्ताव, और मैं भूख

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

हड़ताल पर बैठा था कि जिस शख्स ने यह किया है उसको गिरफ्तार किया जाय। सत्ता पक्ष में होते हुए मैं बैठा था।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य ने हड़ताल तभी तोड़ी होगी जब वह गिरफ्तार हो गये हत्यारे। आपकी वेदना शांत हो गई होगी क्योंकि गिरफ्तार हो गये हत्यारे। कोई हत्यारा गिरफ्तार हुआ ? जो भूख हड़ताल टूट गई। जब हरिजन बस्ती के वोट टपक पड़े....

एक माननीय सदस्य : जब बोलने का मोका मिले तब आप बोलियेगा ना।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : जब आपकी खोल दी गयीं बोतलें, फूट गयी आपकी भूख हड़ताल और हमें कहते हैं हमदर्दी है मानसिंह जी से। उसका नाजायज फायदा उठाते हो—

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : आपसे तेज हैं। मेहरबानी करके सच्चाई को सुन तो लो। आप सुन लीजिये सच्चाई को। सच्चाई को सुनने से मना कर रहे हैं आप। हम भी बोलना जानते हैं, माननीय सदस्य। हमारे भी जुबान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राजा मानसिंह की हत्या हुई है। आप उन्हें मार सकते हैं। अगर हम बोलेंगे तो आप हमें भी मार सकते हैं। इसका मतलब यह है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, निवेदन करना है, जो माननीय सदस्य हैं वह चेयर को एड्रेस करके बोलेंगे, आपस में बाते न करें कृपया।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदया, शायद आप यह समझ रहे हों कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कुछ फर्क होगा। आज भी अखबारों की कटिंग है, अखबार मौजूद हैं, जुबानी नहीं कह रहा हूं। इन सब चीजों का दर्द जो विपक्ष कर रहा था, रानी साहिबा को खुद था। उनकी प्यारी बेटी को था और कुंवर अरुणसिंह, जो सम्मानीय सदस्य उस राज परिवार के हैं, ने जब ज्यादा दर्द हुआ तो लिखा, अखबार में आया है, अखबार को दिया कि विरोध पक्ष राजा मानसिंह की चिता पर रोटियां सेंकना चाह रहा है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : वह भी आपके साथ रोटियां सेंक रहे थे। वह आपके एजेन्ट थे।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : लिखी पढ़ी बात है, पर्चे निकले हैं। मैं नहीं कहता हूं, राज परिवार के माननीय सदस्य ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : कौन कहां का है, मालूम है।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : जरा सुनने की तसल्ली रखिए। यह तो सत्तापक्ष कर रहा था ?

श्री शोपत सिंह : आप भी तो इन्दिराजी की चिता की देन हैं यहां पर। काय के लिये आये हैं, किसलिए आये हैं।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी : यह तो सत्तापक्ष कर रहा था ? जरा मुलाहिजा कीजिए, हम क्या कर रहे थे। मैं बैठा भूख हड़ताल हरिजन वस्ती में कर रहा था। कई रोज की दर्द नाकाबिले बरदाश्त था मेरे लिये। इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में हिन्दुस्तान में शायद पहला मौका है कि चुनाव के दरमियान में पार्टी के लीडर ने त्याग पत्र दिया हो। यह हमारी ड्यूटी थी, मोरल ड्यूटी थी। हमारे नेता ने उस समय अपना त्याग पत्र अपनी ड्यूटी समझ कर दिया। यद्यपि उनका कोई लेना देना इस चीज से नहीं था फिर भी मोरल ड्यूटी थी। चाहे कोई इस चीज को करे, उन्होंने अपना कर्त्तव्य समझा।

श्री शोपतसिह : अरे मुल्जिम थे मुल्जिम He was culprit.

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी : कोई लेना देना नहीं था, मोरल ड्यूटी थी।

श्री शोपतसिह : मुल्जिम थे मुल्जिम।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी : तथ्यों को सुनिए, तथ्य हैं वह बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : उनका कतल कराया था इसलिये उनको रिजाइन करना पड़ा मजबूर हो करके।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी : राजीवजी ने शोक सन्देश भेजा उसी वक्त। राजीव जी ने सी. बी. आई. की इन्क्वायरी के ऑर्डर दिये उसी वक्त। कमीशन के लिए, सी. बी. आई. इन्क्वायरी के लिए आर्डर दिये। रानी साहब की चिट्ठी जो राजीव जी को लिखी गयी है आज मेरे पास मौजूद नहीं है, उस चिट्ठी को आप पढ़ेंगे, उस खत को पढ़ेंगे जो अखबारों में आया हुआ है तो शायद आपकी, जो बाहर हैं उनकी बहुत सी गलतफहमी, दूर हो जायेगी, वास्तविकता क्या है, किसने मारा। न जाने किस किस ने मारा, हत्यारा वह नहीं था, हत्यारे तो हम थे। जाने हम थे, हमारे बाल बच्चे थे, हमारी सन्तान थी, यह कहा जाय। किसलिये ? हमदर्दी के लिए नहीं वोटों के लिए। वोट दिख रहे थे। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, हाय हो रही थी, किस तरह से जीते, कौन से हथकण्डे अपनायें।

श्री शोपत सिह : आप भी भूख हड़ताल पर बैठे थे।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी : मैं यहां पर आया, बड़ी चौपड़ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड मैंने देखा। उस बोर्ड पर राजा साहब की फोटो, बन्दूक पड़ी हुई थी, लोग खड़े हुए दिखाये थे। इस तरह का यह क्या तमाशा बनाया हुआ था ? क्या यही मैनीफेस्टो अपोजीशन का था ? यह मेनीफेस्टो था अपोजीशन का ?

एक माननीय सदस्य : माननीया समापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मैं कहता हूं, चाहे विपक्ष यह करेगा कि इसलिये हम चुन कर आ गये, विपक्ष चुन कर नहीं आया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करके उस पर बहस करना चाहते हैं, उसमें कौन सा बहस का मुद्दा है जिसके आधार पर यह राजा मानसिंह की हत्या के सम्बन्ध में विपक्ष पर कीचड़ उछालना चाहते हैं। बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार उनकी सारी चर्चा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मैं ला एण्ड ऑर्डर की पोजीशन पर बोल रहा था। मैं यह कहना चाहता था....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री शोपत सिंह : सरकार का स्टेटमेन्ट आयेगा....

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : विरोधी पक्ष की भूमिका क्या रही, मैं कहता हूं, उस मर्डर के सिलसिले में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। एक्सप्लायटेशन, पब्लिक को गुमराह करना....

एक माननीय सदस्य : अराजकता छायी हुई है देश में, अराजकता....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : यह उनका मेनीफेस्टो था।

श्री शोपत सिंह : आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर दें।

श्री यदुनाथ सिंह : विपक्ष की क्या भूमिका थी यह कहकर सरकार को धन्यवाद देते रहे विपक्ष कि राजा मानसिंह की सरेआम हत्या कर दी, आपने बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष की यह जिम्मेदारी थी क्या? विपक्ष ने बड़ी मूर्खता की जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था?

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : यह मैटर आफ इन्क्वायरी है। मौके पर ना हम थे, ना आप थे, ना कोई तीसरा था। सी. बी. आई. इन्क्वायरी कर रही है, कमीशन इन्क्वायरी कर रहा है। हमें पूरी हमदर्दी है, हम चाहेंगे कि सही इन्क्वायरी हो, सच्ची इन्क्वायरी हो। बिलकुल चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : भूख हड़ताल पर बैठे थे।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : दर्द हुआ। उस समय क्या हलुआ खाते हम?

श्री शोपत सिंह : हलुआ नहीं आपको डर हो गया था। मरने से बचने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज : माननीय सदस्य सभी सदस्यों को मुझे निवेदन करना है, माननीय सदस्य ग्रापस में इशारा करके नहीं बोलें। ग्रापस में बातें नहीं कीजिये, चेयर को ऐड्रस करके बात करें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, पाइन्ट ग्रॉफ क्लेरिफिकेशन।

श्री शोपत सिंह : वोट के ड्रामा में शामिल थे, खुद भूख हड़ताल पर बैठे। विरोध पक्ष के लोग भूख हड़ताल पर नहीं बैठे।

श्री यदुनाथ सिंह : I am on a point of clarification सभापति महोदया।

जब सदन में कोई बात कही जाती है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाती है। Property of the House ग्रभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के मुद्दे क्या थे ? क्या मुद्दे लेकर ग्रापने की क्या ग्रौर क्या वह मुद्दे भूख हड़ताल तोड़ते समय पूरे हो गये ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। ग्रार्डर प्लीज, बैठिये प्लीज। Let him Continue.

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो मैं कह रहा था वह सही तथ्य है। दूसरा एक ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा, जनता की वर्डिक्ट, जो नेशनल पार्टी कहलाती हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि उन पार्टीज को ग्रपने ग्रापको समाप्त कर लेना चाहिए। उनसे ग्रच्छी तो वह राज्य स्तरीय पार्टी रहीं, निर्दलीय रहे जो ग्रच्छे जीत कर ग्राये। कहां नेशनल पार्टीज ग्रौर कहां एक ग्रौर दो जीत कर ग्राये हैं। उनको जनता में नहीं रहना चाहिए, पार्टी को डिजोल्व कर लेना चाहिये।

एक ग्रौर जो हमारे सामने उस समय दृश्य ग्राया, संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दमकिपा....

(व्यवधान)

मैंने बोल दिया। मैंने पहले ही बोल दिया वह चीज। इसलिये कि इस पर पहले ग्राप ज्यादा करते, बाद में पहले रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : ग्राप राज्यपाल के ग्रभिभाषण पर बोलिये। यह बुक लेट ग्रापके लिए है उस पर बोलिये।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : मैं ग्रपनी बात नहीं कहता, जनता कह रही थी कि कौन सा प्राणी है जिसके ग्रलग-ग्रलग ग्रंग हैं। मुंह किस तरह का है, पूंछ किस तरह की है, पैर किस तरह के हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ग्रापस में बातें न करें।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : हम बहुत ग्राश्वस्त हैं ग्रौर हमें ग्रागे जो हमारे विकास की गति चलेगी, योजनाएं चलेंगी,

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी)

ला एण्ड आर्डर की जो पोजीशन होगी उसके लिए हमारे जो नेता हैं वह बहुत सक्षम हैं अनुभवी हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इससे ज्यादा तरक्की करेंगे ला एण्ड आर्डर की पोजीशन सुधरेगी यह मैं नहीं, हम सब मान कर चलते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य सी. पी. जोशी ने रखा, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी सदस्यगण उसको एकमत से पारित करने का कष्ट करेंगे।

जय हिंन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदया, जिस प्रकार का अभिभाषण कल माननीय राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया उस पर मुझे भारी खेद है। इन्हीं चुनावों, जिन चुनावों के नतीजों को लेकर हम सभी सदस्य आज इस सदन में बैठे हैं, के दौरान एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी शर्मनाक और जिसमें बेहयायी और × × × का परिचय यहां के प्रशासन ने और पुलिस ने दिया। उसका जिक्र राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में नहीं है। और बहुत सी बातें. कानून-व्यवस्था से माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण शुरु किया इसलिए मैंने इसमें एक अमेण्डमेंट पेश किया है। अपने विचार रखने से पहले मैं वह अमेण्डमेंट पढ़ कर सुनाना चाहूंगा....

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत अभिभाषण के शब्द "अभिभाषण के प्रति उनके आभारी है" के स्थान पर "अभिभाषण में डीग के वरिष्ठतम विधायक, राजा मानसिंह की 21 फरवरी को पुलिस द्वारा की गई निर्मम हत्या का उल्लेख नहीं है अतः उनके अभिभाषण पर हमें खेद है।" जोड़ा जाय। सभापति महोदया, जिस प्रकार की दरिंदगी कायरता का यह काण्ड हुआ है और इस घटना के बाद में जिस प्रकार का प्रभाव राजस्थान की सरकार का रहा है वह एक बहुत शर्मनाक बात है, प्रजातन्त्र के लिए। प्रजातन्त्र के इतिहास में ऐसी घटना हिन्दुस्तान में घटी नहीं होगी। प्रजातन्त्र से पहले जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, इस जलियांवाला बाग की घटना को भी भुलाने वाली यह घटना है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाई एक कानून को चलाने के लिये। गोली चलाने के बाद डायर ने यह भी व्यवस्था की, कि जो घायल हुए है, जो मरे हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिले, मृतकों की जो लाशें हैं उनको सम्मान मिले। लेकिन यहां पर नंगा नाच हुआ जैसे कोई राज है ही नहीं। यहां खुली छूट पुलिस को दे रखी है। पुलिस ने जिस प्रकार का इशारों पर, काण्ड किया, सभापति महोदया, वह सब के लिये शर्म की बात है। 20 तारीख की रात को रात भर वायरलेश खटकते रहे। वायरलेस मैसेज थे,

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

राजा मानसिंह-एक्शन, हैलो, राजा मानसिंह-एक्शन, राजा मानसिंह-एक्शन।

(2·00 म: प.)

ओके....यस सर....इस तरह के मैसेज रात भर डीग और भरतपुर की जनता ने सुने। सभापति महोदया, ऐसा क्या अपराध था जो राजा मानसिंह ने किया था ? एक हेलीकाप्टर को तोड़ने की बात करते हैं, स्टेज को तोड़ने की बात करते हैं उसकी पृष्ठ भूमि क्या थी ? उसकी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा। राजा मानसिंह के चुनाव प्रचार को बीच में 10-15 दिन पहले से तहस नहस करने की योजना कांग्रेस ने बनायी। उनके पोस्टरों को, बैनरों को उनके समर्थकों को सरेआम बेइज्जत किया जाता रहा। चार-चार, पांच-पांच किश्तों में, आठ-आठ किश्तों में वहां पोस्टर और बैनर लगाये गये लेकिन हर बार उनको कांग्रेस के लोगों ने वहां से उखाड़ने का काम किया। स्वयं स्वर्गीय राजा मानसिंह जी लगातार लिखते रहे जिला प्रशासन को, वहां के रिटर्निंग आफिसर को। तंग आकर उन्होंने इलैक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार की हरकतें मेरे साथ की जा रही हैं। लेकिन कोई नतीजा नहीं। जिस दिन 20 तारीख को मुख्य मंत्री भरतपुर आने वाले थे उस दिन मुख्य मंत्री बड़े मदहोश थे। अभी सी. पी. जोशी भी अपने भाषण में कह रहे थे कि 400 सीटें आ गयी। यह प्रजातंत्र के लिये खतरे की घंटी है। किस प्रकार से यह सीटें आयीं, आज मौका नहीं है उस बात को करने का। सभापति महोदय, वहां पर मुख्य मंत्रीजी जब पहुंचे तब बड़े मद में थे, मदहोश हो रहे थे। उन्होंने लोक सभा चुनावों में घोषणा की थी राजस्थान में 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। उसके जीत के कारण इतना घमण्ड छाया हुआ था कि डीग में उनका हेलीकोप्टर उतरा। राजा मानसिंह ने समय मांगा। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा, डीग के लोकल प्रशासन से कहा कि मुझे मुख्य मंत्रीजी से मिल कर ऐसी बेहूदी हरकतों के बारे में स्वयं चर्चा करनी है, मुझे मिलने का समय दिलवाया जाय। लेकिन कोई नतीजा नहीं। राजा मानसिंह जी ने जयपुर टैलीफोन किया मुख्य मंत्रीजी से स्वयं कारण पूछना चाहा इस बेहूदगी का परन्तु यहां से कोई उत्तर नहीं मिला। जिस प्रकार के अधिकारी मुख्य मंत्री के साथ लगे हुए थे और जिस प्रकार का उनका आचरण पिछला रहा है, उनको देखते हुए उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर होता क्या है ? जिस दिन मुख्य मंत्री पहुंचते हैं डीग में सत्ता के मद में, उनके कार्यकर्ताओं ने उछल कर जो उनका पैतृक झण्डा है जिसके लिए उनके पूर्वजों ने जान कुर्बान की उस झण्डे को किले पर से उतारकर जलाने का काम किया और वहां कांग्रेस का झण्डा फहराया था। यह काम और किया। तब इन सब को देख कर राजा मानसिंह ने सोचा कि इन लोगों को कोई सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखलाते समय उनकी मंशा यह नहीं थी कि किसी आदमी को मारा जाय। जिस प्रकार की एफ. आई. आर. लाज की गयी है उसको जब मोशन आयेगा तब बताऊंगा। तो उन्होंने सोचा, किस प्रकार उनको सबक सिखाया जाय। उन्होंने गाड़ी चलायी और गाड़ी चलाते हुए स्टेज को तोड़ा। आदमियों

(श्री यदुनाथ सिंह)

को पहले हटाया । स्टेज गिराने के पहले हाथ जोड़े । सब व्यक्तियों को....

(व्यवधान)

क्या बात कर रहे हैं आप ? आप गलत बोल रहे हैं । यह मेरा सेन्टीमेंटल मामला है । आप बोलेंगे तो....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर शर्मा (बांदीकुई) : मैं माननीय यदुनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : मेरी प्रार्थना यह है कि हमने पाइन्ट आफ आॅर्डर भी उठाया है । हमारे सी. पी. जोशी जब प्रस्ताव रख रहे थे विधान सभा में, तो कहा कि समय नष्ट कर रहा है ।

(व्यवधान)

सबक सिखाया । What is mean by "Sabak."

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न डालें ।

श्री यदुनाथ सिंह : अंकुश लगाने के लिये । जब कानून, प्रशासन, राज अपना काम नहीं करेगा तब स्वयं अपनी रक्षा के लिये आदमी खड़ा होगा उसको आप रोक नहीं सकते हैं, यह प्रकृति का नियम है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, फिर वहां से वे जाते हैं । मुख्य मंत्रीजी अभी आये नहीं हैं । हेलीपेड़ पर जाते हैं और हेलीपेड़ पर जाकर पायलेट को कहते हैं बाहर जाओ । पायलेट के बाहर जाने के बाद विडस्क्रीन तोड़ी । फिर बाकायदा आकर अपने चुनाव प्रचार में जुट गये । दूसरे दिन जब पता लगा कि मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है तो उन्होंने गिरफ्तारी देने की योजना बनायी । हालांकि उनकी किसी आदमी को मारने की मंशा नहीं थी । किसी आदमी को अगर मारने की मंशा होती तो इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े स्टेज को तोड़ने का काम किया, वहां से आदमियों को क्यों हटाया ? यह बात, सभापति महोदया, आने आने वाली है ।

सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था की बात से माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण शुरू किया लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय भूल गये कि साल की शुरूआत ही कानून-व्यवस्था की दर्दनाक घटना से हुई है । कोटपूतली कांड हुआ । कोटपुतली में बलात्कार किया गया पुलिस के व्यक्तियों के द्वारा । इसमें 6 आदमी मौत के घाट उतारे गये । कानून व व्यवस्था की शुरूआत ऐसी हुई । थानों में लगातार बलात्कार की घटनायें होती रहीं, लगातार गोली चलती रही । कम से कम 13 बार राजस्थान में पुलिस ने गोली चलायी । सैंकड़ों आदमी घायल हुए । यह है राजस्थान की कानून-व्यवस्था है ।

माननीय सभापति महोदया, आप भरतपुर आकर देखें, भरतपुर के मसले इस सदन

(श्री यदुनाथ सिंह)

में उठते रहे हैं। आप गवाह हैं, पिछले समय भी आप सदस्या थी, वहां गोलीकांड हुआ। बार-बार वहां कांड होते हैं। वहां त्राहि-त्राहि मचती है, धारा 144 लगती है, कर्फ्यू लगता है। धना में गोलीकाण्ड होता है, लोगों को भून दिया जाता है। कमीशन बैठाया गया। कमीशन की बात करते हैं, लज्जा नहीं आती है जो हत्या की गयी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि वे भरतपुर-डीग जायें और डीग के बीच बाजार में खड़े होकर गरीब से गरीब आदमी से पूछें हमारी बात मत मानो, हम राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, मत विश्वास करिये हमारी बात का। डीग के बीच बाजार में खड़े होकर किसी आदमी से पूछिये कि हत्या की गई थी या एन काउन्टर करने की जो कहानी बनायी जा रही है वह था। क्या राजा मानसिंह के पास कोई हथियार था या नहीं था ? सरे आम उनको भून दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय पहाड़िया जी की दिलेरी की इज्जत करना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार तो किसी डकैत के साथ भी नहीं किया जाता है। कम से कम उस व्यक्ति ने हिम्मत तो की। ऐसी दरिंदगी के वक्त उन्होंने हिम्मत तो की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, कानून व्यवस्था से बात शुरू की। माननीय सी पी. जोशी जी कह रहे थे कि वायदा किया था कांग्रेस पार्टी ने 80 के चुनाव में गवर्नमेंट एटवर्क का यह वायदा तो एडवर्टाईजिंग ऐजेंसी, लन्दन से ले आये लेकिन और वायदे भी किये थे क्या उनको भूल गये ? उन्होंने कहा था कि यह सरकार, जनता पार्टी की सरकार कई बड़े वायदे करके आयी है। श्रीमती गांधी नहीं आयी थीं पर एक बार उन्होंने भी बड़ा वायदा किया था सन् 1972 के चुनावों में कि मैं गरीबी मिटाऊंगी। गरीबी मिटाना, सभापति महोदया, एक बड़ा वायदा है। गरीबी से हजारों हजारों साल से इस देश का आम नागरिक पीड़ित है, त्रस्त है, तिरस्कृत है। लेकिन 80 के चुनावों में उन्होंने मामूली वायदे किये थे। उन्होंने कहा था कि उनको चुना जाय जो सरकार चला सके यानी जो स्थायी सरकार दे सके। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं स्थायी सरकार देने का काम करूंगी। उन्होंने कहा था कि प्याज के दाम, मिट्टी के तेल के दाम, आलू के दाम, अन्य आम चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं इस सरकार के रहते, यदि आप मुझे चुनने का काम करेंगे तो मैं इन चीजों के भाव घटाने का काम करूंगी। तीसरा, उन्होंने कहा था कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, देश में मां-बहिनों की इज्जत खतरे में है। इस सरकार के रहते अगर आप मुझे चुनने का काम करेंगे तो मैं इन चीजों को घटाने का काम करूंगी। लेकिन सब मामलों में यह कांग्रेस सरकार विफल रही, अक्षम रही और जो करार किया था उसको तोड़ने का काम किया। रोज मुख्य मंत्री बदले गये। राजस्थान में पहाड़िया साहब को हटा दिया। महाराष्ट्र में हटा रहे हैं, आन्ध्र में हटा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, बिहार में हटा रहे है। कांग्रेस के मुख्य मंत्री को कठपुतली बना दिया यानी जो कल्पना हमारे देश की आजादी की लड़ाई

(श्री यदुनाथ सिंह)

लड़ने वालों ने की थी, सरकार की जो कल्पना की थी....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपका क्या हाल किया था चौधरीजी ने ?

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे तो एक ही मुख्य मंत्री थे, भैरोंसिंह शेखावत।

एक माननीय सदस्य : ढाई साल में चले गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, स्पष्ट है कि इन सदस्यों को पहले पहाड़िया जी आये तो वे अच्छे लगते थे, गये तो बुरे हो गये। यानी यह तो एक × × × इकट्ठी हो गयी है। जो कहेंगे, हां में हां मिलायेंगे। पहाड़िया जी बहुत अच्छे थे, हटा दिया तो वह अच्छे नहीं रहे। माथुर साहब अच्छे थे हटा दिया तो....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपने नेता को नहीं मानते।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर वह आये अब उनका गुणगान करने लग गये। पहले गुणगान करते थे जवाहरलाल नेहरू का, फिर करने लगे इन्दिरा गांधी का फिर करने लगे संजय गांधी का, अब करते हैं राजीव गांधी का और आगे करेंगे राहुल गांधी का। इनका जमीर नहीं है, सभापति महोदया, इनकी कोई आत्मा नहीं है। × × ×

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जांय।

श्री जयकृष्ण (तोसावड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह हमारी पार्टी की व्यवस्था है कि किसको हटायें, किसको न हटायें। माननीय सदस्य इस बात पर क्यों दुखी हैं। फायदा करके बताइये.......

श्री यदुनाथ सिंह : फायदा याद दिला रहे हैं। हमारी तरफ से रोज बदलिये व्यवधान न डालें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। Address to the chair please.

श्री यदुनाथ सिंह : तो, सभापति महोदया जहां तक वायदों की बात करते हैं, स्थायी सरकार देने का जो वायदा था वह टूटा, इसको तोड़ा।

दूसरा इन्होंने कहा था कि महंगाई घटाने का काम करेंगे। सभापति महोदया, आप गवाह है, खास तौर से मैं गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति हूं। गांव में जो चीज गांव का किसान काम में लेता है, आम आदमी काम में लेता है, अभी

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह)

केन्द्रीय बजट आया उसमें टेलीविजन पर टैक्स खत्म, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म, इनकम टैक्स छूट लेकिन जो गरीब आदमी है, जो 80% जनता है उनकी कल्पना इनके दिमाग में नहीं है और, सभापति महोदया, हो भी नहीं सकती क्यों कि जिस प्रकार की संस्थाओं से निकले हुए यह लोग हैं, यह फाइव स्टार कल्चर के लोग हैं, इनको पता नहीं है। इनके घर पर रोज़ बात होती है बैठ कर तो यह नहीं होती कि तुम्हारी पिलाई हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे पानी आया कि नहीं आया, बिजली आयी कि नहीं आयी, भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, खलिहान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना गेहूं हुआ कितनी खाद मिली। यह चर्चा नहीं होती इन लोगों के घर में, जो हमारे घरों में रोज होती है। इनके यहां चर्चा होती है आज डिनर कहां होगा, आज पार्टी कहां होगी, आज डांस पार्टी कहाँ जमेगी, तुम्हारी नयी कार कब आ रही है। इस तरह के संस्कार वाले लोगों के हाथ में जो देश की पूंजी-नियोजन का ढांचा दे दिया गया है, सभापति महोदया, सब इसी की गड़बड़ है। यह रोजगार देने की बात करते हैं। 37 साल से बेरोजगारी की समस्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? आपकी जो जनसंख्या की वृद्धि-दर है उसके अनुपात में अगर आप रोजगार की वृद्धि-दर नहीं ला पायेंगे तो आप हजार घोषणा कर दीजिये, आपके यहां रोजगार की वृद्धि नहीं हो सकती। सभापति महोदया, गलती शुरू से हुई। नेहरूजी बड़े देशभक्त रहे होंगे और थे। देशभक्ति पर उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। वे बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानीयां दी थीं लेकिन जब उनको शासन मिला देश की व्यवस्था को, देश के ढांचे को चलाने का ज़िम्मा दिया गया तो उन्होंने उन्हीं अंग्रेज़ी विचारों और अंग्रेजी संस्कारों के आधार पर देश में नियोजन किया उन्होंने आर्थिक विकास का एक प्रिंसिपल बनाया। इकानामिक ग्रोथ को महत्त्वपूर्ण भूमिका दी, महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। आर्थिक विकास-दर बढ़नी चाहिये एम्प्लायमेंट उसका बाई प्रोडक्ट होगा। ये सिद्धान्त हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं कि एम्प्लायमेंट इकानामिक ग्रोथ रेट का बाई-प्रोडक्ट होगा। वह हुआ नहीं। कैपिटल इन्टेंसिटी बढ़ती चली गयी। पूंजी रोज़गारों में लगती चली गयी। पूंजी आने से सारे काम चलते चले गये और दूसरी तरफ बड़ी फौज बेरोज़गार होती चली गयी। लोगों का रोज़गार छीनकर बड़े कारखानों को रोज़गार दिया जा रहा है, ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति के खराब होने का कारण है, सभापति महोदया।

जहाँ तक सवाल है राजस्थान का, मुझे बहुत दुख है कि एक चोपट, सपाट रूटीन बना लिया है गवर्नर महोदय के अभिभाषण वही बातें लिखी रहती हैं। कभी पैराग्राफ ऊपर, कभी पैराग्राफ नीचे, कभी एक अक्षर कम, कभी एक अक्षर ज्यादा। कभी 15 पेज, कभी 31 पेज। इससे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि अगले साल में यह नयी सरकार क्या करने वाली है। राजस्थान की, सभापति महोदया, दुर्भाग्य से बड़ी विचित्र परिस्थिति है, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान रहता है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह रेगि-

(श्री यदुनाथ सिंह)

स्तानी है । हमारी अर्थव्यवस्था, देश की भी राजस्थान की भी खेती पर आधारित है । खेती में पशुधन भी आता है, खेती में वन भी आते हैं लेकिन यहां की भूमि सूखी है, रेगिस्तानी है । यहां की भूमि पुकार रही है कि मेरे को पानी दो, मैं अपने आपको हरा-भरा करके देश की अर्थ-व्यवस्था को राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का काम करूंगी । पिछले अभिभाषणों में सुनते चले आ रहे हैं कि राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण पूरा होने के नजदीक है, इसकी इतनी वितरिकायें बन गयी, उतनी वितरिकायें बन गयीं, राजस्थान कैनाल से जितनी भूमि, सभापति महोदया, सिंचित हो रही है उसकी आधी भूमि वाटर लॉगिंग और सैलाइन से खराब हो रही है । उसकी कोई व्यवस्था नहीं है । राजस्थान में पानी जो हिन्दुस्तान में पानी है उसका एक प्रतिशत है । यानी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि यहां पर जितना सरफेस और अडंर ग्राउंड ग्रांट वाटर है, देश के पानी का 1% है लेकिन भूमि, जो है, 13% है । तो हम बहुत विकट परिस्थितियों में हैं । हम राजस्थान कैनाल का पानी भी ले लें, राजस्थान के सरफेस और अण्डर ग्राउंड ग्रांट वाटर को भी काम में ले लें, चम्बल का पानी भी अगर कोई थोड़ा बहुत दम सरकार में हो तो ले लें, रावी-व्यास का सरप्लस पानी भी, सरकार में दम हो तो ले लें, माही का पानी भी पूरा ले लें तो भी, सभापति महोदया, 36 मिलियन एकड़ जो ऐग्रीकल्चरेबल लैंड है उसमें से सिर्फ 6 मिलियन एकड़ जमीन की सिंचाई कर पायेंगे । बाकी 30 एकड़ जमीन की सिंचाई की राजस्थान सरकार के पास क्या कल्पना है, क्या विचार है इसका कोई विवरण इस किताब में नजर नहीं आया । हम गंगा, जमुना, कावेरी में अपना हिस्सा नहीं मांग रहे । इसके लिये कोई कल्पना ध्यान में नहीं है । राजस्थान कैनाल-राजस्थान कैनाल चिल्ला रहे हैं । राजस्थान कैनाल को पूरा किया जाय । यह हमारी, राजस्थान की आवश्यकता है, इसको पूरा किया जाय ।

सभापति महोदया, क्या-क्या अर्ज करूं राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसको अगर आप देखें, बिजली की जो स्थिति है, राजस्थान में तो बहुत बुरी स्थिति बिजली की चलती चली आ रही हैं । राजस्थान का हिस्सा न तो पंजाब देता है, न मध्य प्रदेश देता है, न यू. पी. देता है । राजस्थान की बिजली की जिन-जिन परियोजनाओं में हिस्सेदारी है उनसे भी कभी हमको पूरी बिजली नहीं मिलती । राजस्थान का जो दूसरे राज्यों में पानी का हिस्सा है वह भी कभी हमको पूरा नहीं मिलता । उधर चम्बल पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार बांध बनाती चली जा रही है । तो, सभापति महोदया राजस्थान की बहबूदी, राजस्थान का भला तभी होगा जब हम सिंचाई पर ध्यान देंगे । सभापति महोदया, और मौके आयेंगे तब मैं इस बारे में बोलूंगा ।...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि यह जो दर्दनाक और बेहयायी का नंगा प्रदर्शन डीग में राजा मानसिंह को 21 तारीख को कत्ल करके किया है उसको मद्दे नजर रखते हुए हमें आज एक नयी

(श्री यदुनाथ सिंह)

परम्परा राजस्थान में कायम करनी चाहिये, राज्यपाल महोदय को हम इस अभिभाषण पर धन्यवाद दें बजाय इसमें हम सबको, पूरे सदन को एकमत होकर उनकी निन्दा करते हुए खेद व्यक्त करना चाहिये। इतना ही कहना चाहूंगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर मुझे बोलना है। प्रस्तावक महोदय नहीं हैं, वे होते तो अच्छा रहता, समर्थक महोदय बैठे हुए हैं। मैं उनकी सभी बातों का उत्तर तो नहीं दूंगा लेकिन विपक्ष में होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है, शायद समर्थक महोदय कुछ उपदेश दे रहे थे विपक्ष के बारे में, मैं उनका ध्यान प्रजातंत्र की उन परम्पराओं की ओर आकर्षित करूं जिसके अनुसार सत्ता पक्ष की असफलताओं को जनता की नजर में लाना ही विपक्ष की प्रमुख भूमिका है। विपक्ष सरकार नहीं चलाता इसलिये विपक्ष को सरकार को क्या करना चाहिये, ये सुझाव जितना उचित हो उतना देना पड़ता है। सरकार जहां असफल होती है उन असफलताओं को जनता के सामने रखना विपक्ष की प्रमुख भूमिका है। इस बात को यदि वे ध्यान में रखेंगे तो विपक्ष की भूमिका उनको सही नजर आयेगी।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा नहीं गया। यह अभिभाषण विगत सरकार की असफलताओं का एक कच्चा चिट्ठा है और इस सरकार के आसन्न अंत की भविष्यवाणी है। अभी ब्राह्मणों के लिये आपत्ति उठायी गयी है लेकिन इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मैं भी ब्राह्मण हूं इसलिये एक नीति का वाक्य बताना चाहता हूं—

"असन्तुष्टा द्विजानिष्टा
सन्तुष्टा च महीपति।"

जो सरकार अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट हो जाती है उसका नाश बहुत शीघ्र होता है। उसको अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट नहीं होना चाहिये। विपक्ष यदि उसके कार्य क्रमों की असफलताओं की ओर इंगित करता है तो उसे उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिये बजाय इसके कि विपक्ष को गालियां दे।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस सरकार के 1980 से लेकर 1985 तक चार मुख्य मंत्री बदल दिये गये हों वह सरकार सफलताओं का ढोल पीटने की हकदार नहीं है। या तो वह सरकार यह बताये कि हर मुख्य मंत्री को उनके नौजवान और अपरिपक्व प्रधान मन्त्री ने जादू का कौनसा डण्डा दे दिया है कि उन्होंने बहुत कम समय में सफलतायें अर्जित करके दिखा दीं। यदि वह न हों तो कोई भी सामान्य व्यक्ति, जिसमें विवेक है, इस बात को कभी नहीं मानेगा कि पांच साल की अवधि में चार-चार मुख्य मन्त्री बदलने के बाद कोई सरकार सफलता पूर्वक काम

(82)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कर सकती है। यह उनका अपना मामला है लेकिन इसका असर आम जनता पर पड़ता है प्रशासन पर पड़ता है इसलिए इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है।

राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण 31 पेज का है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है। जैसा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें सब कुछ आ गया है। इसलिए मैं इसमें जो नहीं आया पहले उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रस्तावक महोदय अपने नौजवान प्रधान मन्त्री की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं समझता था कि कांग्रेस की वह पीढ़ी × × × × समाप्त हो गयी, अब यह नौजवान तो कुछ नयी बात कहेंगे, कम से कम × × × से बचेंगे लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि उन्होंने भी × × × की भाषा बोली और इस बात की ओर....

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): यह सब आपकी पार्टी में है हमारे यहां नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × × मक्खन

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो, माननीय सदस्य, इनकी ट्रेनिंग के पहले अवसर पर पहली लाइन है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री शोपत सिंह : × × नहीं × × × हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नौजवान प्रधान मन्त्री ने जो घोषणायें की हैं उनका उल्लेख राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कहीं नहीं है। मैं सदन का ध्यान उनकी घोषणाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इस देश में एक स्वच्छ प्रशासन दूंगा। इस स्वच्छ प्रशासन के बारे में एक शब्द इस अभिभाषण में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकूंगा। उसके बारे में भी एक शब्द नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि काले धन को समाप्त करने के लिए मैं कदम उठाऊंगा। राजस्थान सरकार ने इस बारे में अपनी कोई योजना यहां पर इस अभिभाषण में प्रस्तुत नहीं की है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी विनियोजन में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। सारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है उसकी केवल दो प्रतिशत पूंजी राजस्थान में लगी हुई है। राजस्थान के पिछड़ेपन का यह एक सबसे बड़ा कारण है। परन्तु राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी विनियोजन को बढ़ायेगी, उसके पर्सेन्टेज को बढ़ायेगी ताकि राजस्थान की गरीबी दूर हो। इसके बारे में भी उल्लेख नहीं है।

× × × अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कडाणा बांध के लिये आपको शायद ध्यान होगा, गुजरात सरकार से राजस्थान सरकार का यह समझौता था कि नर्मदा से पानी के बंटवारे के बाद जब गुजरात को उसका हिस्सा मिल जायेगा तो कडाणा बांध जो गुजरात में बना हुआ है, से राजस्थान की भूमि को, जालोर जिले को सिंचित करने के लिए पानी दिया जायेगा। वह पानी अभी तक मिला नहीं है। उस ऐग्रीमेण्ट का क्या हुआ? राजस्थान सरकार उसके बारे में क्या करने जा रही है इसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पशुपालक बहुतायत में हैं। पशुपालकों की समस्याएं ऐसी हैं कि हर साल दो-चार-दस पांच हत्यायें होती हैं। पशुपालक अपने पशुओं को चराने के लिए दूर ले जाते हैं। हर जगह मार खानी पड़ती है। इन समस्याओं के बारे में भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

नगरपालिकाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पंचायत राज का उल्लेख जरूर है लेकिन नगरपालिकाओं के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास 1983 का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इन्हीं का है, जिसमें डाकू उन्मूलन की समस्या का हवाला है। मगर ऐसा लगता है, × × × उनका उन्मूलन हो गया इसलिए इस बार इस डाकू उन्मूलन समस्या का कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया।

इसी तरह राजा मानसिंह की हत्या का उल्लेख इस अभिभाषण में होना चाहिए था। कम से कम सरकार इसके लिए खेद प्रकट करती। लेकिन सरकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। यह सबसे बड़ी कमी इस अभिभाषण में रही।

यह कुछ ऐसी बातें हैं, जो इस अभिभाषण में नहीं हैं। मैं समझता हूं, सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। अब जो अभिभाषण आपके सामने हैं मैं उस अभिभाषण की कुछ बातें बहुत ही संक्षेप में, मेरा जो समय है उसमें जैसा मैंने बताया कि विपक्ष की भूमिका क्या है। बताना चाहता हूं।

प्रारम्भ में अभिभाषण में महिलाओं के बारे में कहा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में महिलायें बहुत हैं। लेकिन इस अभिभाषण में यह नहीं कहा गया कि राजस्थान के हिस्से धौलपुर में महिलाओं का व्यापार होता है जिसमें कांग्रेस के नेता लिप्त हैं। आज धौलपुर में जाइये, गांव-गांव में आपको मिलेगा, महिलाओं को बन्दी बना कर रखा गया है। नौजवान महिलाओं को पकड़-पकड़ कर ढाणियों में ले जाकर रखा जाता है, उनको बेचा जाता है, और यह व्यापार निर्बाध गति से चल रहा है। पिछले पांच वर्षों में यह बहुत बढ़ा है। महिलाओं की प्रशंसा करने वाले इस बात को भूल गये।

दूसरी बात, कानून और व्यवस्था के बारे में बड़ा संतोष जाहिर किया गया। मेरी समझ में नहीं आया। पिछले पांच

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सालों में इस सरकार की गोलियों से राजस्थान के निर्दोष लोग भून डाले गये। मैं जहां जहां गोली काण्ड हुआ उनके कुछ नाम बताना चाहता हूं। घना अभयारण्य में, निम्बाहेड़ा में कोटपूतली में, डीडवाना में हुआ और यह डीग में आखिरी दिन गोलीकाण्ड हुआ। इतना ही नहीं, कितने बलात्कार इस राजस्थान में हुए पिछले पांच सालों में ? और कहां हुए ? पुलिस थानों में बलात्कार, अस्पतालों में बलात्कार। किसी जमाने में बलात्कार करने वाले एकान्त ढूंढते थे। कोई जंगल ढूंढते थे अब तो डंके की चोट पर पुलिस थानों में बलात्कार होते हैं, अस्पतालों में बलात्कार होते हैं और फिर भी यह सरकार कानून-व्यवस्था के बारे में संतोष व्यक्त करती है। कितनी हत्यायें हुई, कितनी लूट हुई, मैं पूछना चाहता हूं। जयपुर के अन्दर इस सरकार की नाक के नीचे दिन दहाड़े बैंक लूटे गये हैं और तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय के दामाद का जो पैट्रोल पम्प है वह लूटा गया है। इन्हीं सालों में। उसके बाद भी यह सरकार इस बारे में सन्तोष जाहिर करती है कि कानून-व्यवस्था ठीक रही। आज शहरों में गुन्डागर्दी कितनी बढ़ी हुई है, इस बात को सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य समझते हैं इस गुण्डागर्दी को रोकने के लिए पुलिस कोई कदम नहीं उठाती बल्कि उसको बढ़ावा देती है, उस से मिलती है। जो चोरियां हो जाती हैं वह पकड़ी नहीं जाती। चोर नहीं पकड़े जाते। और अगर पकड़े जाते हैं तो माल नहीं मिलता। गांव के लोग सन्तोष कर लेते हैं। गांव के लोग इस बात को जानते हैं कि चोरी पुलिस की मिलीभगत से होती है। पुलिस वालों को पता रहता है कि कौन चोर है मगर चोर पकड़े नहीं जाते। चोरियां अधिक तो इसलिये नहीं हो रहीं कि इस देश की परम्परा में भगवान का और मरने के बाद नरक का भय दिखाया हुआ है कि बदमाशी करोगे तो नरक में जाओगे। अन्यथा चोरी करने वाला चोरी करके चला जाय तो पकड़ने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। यह स्थिति कानून-व्यवस्था की है जिस पर बड़ा सन्तोष जाहिर किया गया है।

पंजाब के मामले में बड़ा सन्तोष जाहिर किया कि राजस्थान के अन्दर पंजाब के उग्रवादियों की गतिविधियों का विस्तार नहीं हुआ। इसके लिए गंगानगर की जनता धन्यवाद की पात्र है, राजस्थान की जनता धन्यवाद की पात्र है वरना इस सरकार ने तो काला मुंह करवा दिया था। सी. बी. आई. की रिपोर्ट आयी थी। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि स्वर्ण मन्दिर के अन्दर उग्रवादियों को जो हथियार दिये गये उसमें बन्दूकें राजस्थान के रास्ते से पाकिस्तान से आयीं। उसमें एक मन्त्री लिप्त हैं। यह सब अखबारों में आया है. सी. बी. आई. रिपोर्ट में आया है और यह सरकार धन्यवाद ले रही है इस बात का कि उग्रवादी यहां नहीं बढ़ पाये। यह तो राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहिए।

इसके अलावा श्रीमती इन्दिरा गांधी के मरने के बाद हिंसा का जो ताण्डव नृत्य हुआ उसमें यहां कुछ नहीं हुआ, ऐसा यह कह रहे हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूं, जयपुर, शाहजहांपुर, धौलपुर, राजगढ़, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और डेगाना में घटनाएं हुई। जोधपुर मेल को

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रोका गया। मकराना जैसे छोटे से गांव में यह हुआ था। कोटा में तो एक आदमी मारा गया। और जयपुर की तो बड़ी विचित्र बात थी। जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई, मैं भी उसमें शामिल था। हमने कहा था, पुलिस मुस्तैद नहीं है हम मुस्तैद हैं। हमारी पार्टी के श्री गिरधारी लाल भार्गव और उजला अरोड़ा ने घर-घर में घूम कर उस दिन एक-एक सिख को सान्त्वना दी। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की। उस मीटिंग के बाद रात को टोंक फाटक के पास बावजूद हमारी चेतावनी के एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गयी और यह सरकार कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। और तारीफ सुनिये, उस दिन मीटिंग में श्री शिवचरणजी माथुर कह रहे थे कि कुछ तो होना स्वाभाविक है। यानी मुख्य मन्त्री कह रहे हैं, श्रीमती इन्दिरा गान्धी मरी हैं, उनकी हत्या हुई है इसलिए उसकी प्रतिक्रिया कुछ तो होना स्वाभाविक है यानी उनके मन में इस बात का सन्तोष था। नवल किशोरजी शर्मा मौजूद थे, मैंने कहा, यह कांग्रेस वाले इस बात की गारण्टी ले लें कि यहां कुछ नहीं होगा तो बाकी गारण्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं लेने को तैयार हूं। जो गड़बड़ी हुई, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसके लिये जो नाम हम लोगों को पता चले उसमें सत्तारुढ़ दल के सदस्य शामिल थे जिन्होंने लोगों को उकसाया। और यह कह कर उकसाया कि श्रीमती गान्धी की हत्या हुई है कुछ नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि उनको मानते ही नहीं थे। इसी तरह से दिल्ली की सारी घटनायें उस बात को लेकर हुई। इसलिये सरकार को अपने आपको धन्यवाद देने की जरुरत नहीं है।

साम्प्रदायिक सहयोग रहा। यह बात ठीक है कि राजस्थान की जनता शान्ति प्रिय है, झगड़ा करना नहीं चाहती है। मगर उसके बावजूद चौमू में, नैनवा में, बारां में, कैथून में, हिण्डौली में और अभी दीगोद में जो हुआ वह सरकार की अक्षमता के कारण, पुलिस के निकम्मेपन के कारण और सरकार की नींद के कारण हुआ। राजस्थान की जनता झगड़ा करना नहीं चाहती, लड़ना नहीं चाहती। सरकार की असावधानी से यह घटनायें यहां हुई हैं इसलिये अपने आपको एकदम कोरा समझना उचित नहीं है।

इसी प्रकार से लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के लिये धन्यवाद दिया कि राजस्थान में बड़ी शान्ति से चुनाव हुए। डीग का काण्ड तो हुआ ही। विरोधी दलों ने बड़ा धैर्य रखा वरना आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस के थानेदारों को छुट्टियां दिला-दिला करके प्रचार करवाया गया। मैं सरदारशहर का उदाहरण बताता हूं। हमारे माननीय सदस्य मौजूद हैं, चन्दनमलजी वैद ने वहां पर नहर से इन्जीनियरों को बुलाया जहां-जहां वह प्रचार के लिये जाते वहां वहां वह झण्डियां लगाते। लोग पूछते कि भायाजी झण्डियां क्यों गड़ रही हैं? बोले कि नहर आ रही है। तो मैंने कहा कि यदि इतनी नहर आ गई तो सरदारशहर का पूरा इलाका बह जायेगा। जहां यह जाते वोट लेने के लिये वहां वह झण्डियां लगा रहे थे। दो सब इन्सपेक्टर को छुट्टी दिला कर वहां

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बैठाया जो प्रचार कर रहे थे उनके लिये। रतनगढ़, जहां से मैंने चुनाव लड़ा, का डी. वाई. एस. पी. और थानेदार गांव में प्रचार करने के लिये गये, कांग्रेस (ई) के पक्ष में। यदि आपकी सरकार इसके बारे में जांच करना चाहती है तो जांच करें, मैं उन गांवों के नाम बता सकता हूं। उन गांवों के लोगों से कहलवाया जा सकता है। इस तरह से हर जगह पर जहां भी मौका मिला वहां इन्होंने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करने में कोई खामी नहीं रखी। हमको पता था कि जिस संयुक्त विपक्ष के दल के नाम पर आपको चमक हो रही है....

एक माननीय सदस्य : सरकारी कर्मचारियों को।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको भी लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मरते-मरते आप बचे हो। शायद आप इस बात को भूल गये कि श्रीमान् राजीव गांधी ने राजस्थान में आकर कहा था कि विपक्ष का सफाया कर दो और शिवचरणजी माथुर ने कहा था कि 175 सदस्य कांग्रेस के चुन कर विधान सभा में जायेंगे। वह सब बातें हवा में उड़ गई।

श्रीमती हमीदा बेगम : लोक सभा के चुनाव में क्या हुआ था ?

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय, आपस में बात नहीं करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विपक्ष का सफाया नहीं हुआ, विपक्ष पहले से भी मजबूत आया और जनता ने 50 के बजाय 85 लोगों को जिता कर भेजा। जनता ने आपके नौजवान प्रधान मंत्री श्रीमान् राजीव गांधी की इस अपील को आउट राइट रिजेक्ट कर दिया और शिवचरण जी माथुर के सपने तो सपने ही रह गये, चकनाचूर हो गये। जैसे हैलीकाप्टर चकनाचूर हुआ वैसे ही उनके सपने भी चूर हो गये। चुनाव के नतीजे आने के पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा।

श्रीमती हमीदा बेगम : लोक सभा के चुनावों में क्या हुआ ?

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : हैलीकाप्टर का क्या हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो आपकी पार्टी का हाल हुआ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह कोई खुशी की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालेंगे कृपया ' आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जमीन आवंटन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। आप जिस बीस सूत्री कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कहा गया है कि 85 तक कई सूत्रों में लक्ष्य पूरे किये जा चुके हैं तो यह कई सूत्र क्या होते हैं ? यदि यह सरकार साफ होती तो यह बताती कि यह यह काम हमने कर दिये। आपके कई सूत्र तो टूट गये और कई सूत्र हैं उनकी माला लेकर इस बीस सूत्री कार्यक्रम की माला जपते रहो यहां बैठे। और बिगड़ जायेंगे यह सूत्र। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सूत्र में....

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य, अच्छी तरह से जानते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का कितना लाभ राजस्थान की जनता को मिला है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : साफ-साफ कहना चाहिये।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप इकरार करने से डरते हैं।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण और शहरी विकास के अन्दर बराबर मिला है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अरे बेगम साहिबा, आप मेरे जिले के आगे की हैं....

श्रीमती हमीदा बेगम : आप कितनी गलत बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : वह जो तीन सूत्र हैं ना, दूर दृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा यानी दूर-दूर में दृष्टि रखो पैसे लेने में, इरादा पक्का है और नहीं दे तो षडयन्त्र करके मेहनत करके फंसा के लेना है। इन तीन सूत्रों को पढ़ा करो आप।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य मानते तो हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का कितना लाभ राजस्थान को मिला है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाभ मिला है तभी तो आप यहां पर आ गई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छा होता बेगम साहिबा मंगल सूत्र ही पहन कर आती। जहां तक जमीनों....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप मानेंगे, ऐसी बात नहीं हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के लाभ को नकारा जा सकता....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो मंगल सूत्र ही पहन कर बिराजें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें। चेयर को एड्रेस करके बोलें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जहां तक जमीनों के आवंटन का प्रश्न है, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आंकड़े जरूर दिये गये हैं, यह बात सही है कि आवंटन हरिजनों को किया गया है लेकिन वह जमीनें ऐसी हैं जिनमें झगड़े हैं यानी जमीन का कब्जा एक्चूअली मिला नहीं है। जिसको आवंटन किया गया है, वह बजाय जमीन प्राप्त करने के झगड़ों में फस गया है। रेती जमीन लोग लेना नहीं चाहते है। इसलिये सरकार ईमानदारी से इस बात पर भी विचार करे कि जिन लोगों के नाम पर आवंटन किया गया है उनको कब्जा मिला है या नहीं।

मान्यवर, एक बात भ्रष्टाचार उन्मूलन की भी हमारे प्रधान ने कही है पर इस सरकार ने इस अभिभाषण में एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा है। इसलिये नहीं कहा, जैसा अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा कि 40 आदमियों का टिकट काट दिया गया। राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के आधे सदस्यों के बारे में अखबारों में आया है। मैं यह नहीं जानता कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसलिये टिकट नहीं दिया गया। पिछले 5 साल में जिस मन्त्रिमण्डल के आधे व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हों वह सरकार कैसी रही होगी, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह तो स्वयं आपकी स्वीकारोक्ति है, आपने जनता के सामने स्वीकार किया है कि 5 साल तक यह मंत्री जनता को लूटते रहे। इसलिये आज तक रेत घोटाला काण्ड, हैण्ड पम्प घोटाला काण्ड, बीज घोटाला काण्ड की कभी जांच नहीं हुई। यह सारे आरोप इस विधान सभा में लगे हैं लेकिन आज तक उनकी जांच नहीं हुई। अब आपके नौजवान लोग यदि दबाव डालें और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहें कि इसकी जांच करो तो मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ उसमें निकलेगा अन्यथा यह बात भी कहानी की बनी किताबों में रह जायेगी।

इसके अलावा आपने सिंचाई के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन तथ्य कुछ और हैं। गंगानगर हो चाहे कोटा, आप वहां जायं, मैं तो राजस्थान में गांव-गांव में घूमता रहता हूं, वहां के किसान इस बात को लेकर बड़े दुःखी हैं कि पानी उतना नहीं मिलता जितना हमको पिलाई के चाहिये। एक फसल के लिये 4 पिलाई चाहिये, 2 पिलाई मिलती है एक पिलाई मिलती है। ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 पिलाई होती है। परिणाम यह होता है कि किसान की लहलहाती फसल सूख जाती है, जितनी फसल होनी चाहिये उतनी फसल होती नहीं है। अनूपगढ़ शाखा और सूरतगढ़ शाखा जो राजस्थान कैनाल की है उनमें पिछले दिनों में 30 दिन से लेकर 45 दिन तक पानी बिलकुल नहीं आया। गंगानगर कैनाल से भी लगातार 20 दिन तक पानी नहीं आया। यह आपकी सिंचाई की व्यवस्था है। और कैसे कैसे आप लोग नाटक करते हैं, चूरू जिले में तारानगर तहसील है, उस तारानगर तहसील में साइवा नाम का गांव है जहां पर राजस्थान कैनाल का पानी पीने के लिये——

श्रीमती हमीदा बेगम : साइवा नहीं है सावा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं अपने आपको करेक्ट कर लेता हूं। वहां पर राजीव गांधी को बुलाया गया, उद्घाटन के लिये। हुआ क्या ? उन पाइपों में पानी नहीं आया तो उस सावा गांव में जो टैंक बना हुआ था, जोहड़ बना हुआ था, उस जोहड़ से पानी पम्प करके उनमें डाला गया। बाद में जब गांव वालों को पता लगा कि जो पानी आ रहा था वह पानी आना बन्द हो गया, उनका जो जोहड़ था वह भी खाली हो गया तो सारे गांव वाले भूख-हड़ताल पर बैठ गये। भूतपूर्व मन्त्री चन्दनमलजी बैद वहां गये और रात को पुलिस को लाकर भूखे गांव वालों पर लाठी चार्ज करवाया। यह पानी की व्यवस्था है वहां पर। वास्तविकता जाकर गांवों में देखिये क्या हालत हो रही हैं।

मैं आपको रतनगढ़ तहसील के बीजड़ी गांव में गया था। वहां लोगों ने कहा कि पानी नहीं हैं। मैंने पूछा, फिर क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम पूरे गांव का जो गन्दा पानी है उस गन्दे पानी को एक मड़ोई में इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसमें से एक पाइप जो मैंने आंखों से देखा है, उस कुए में डालते हैं। पूरे गांव का गन्दा पानी, जो मीठा है, उस कुएं में जाता है, खारे पानी से मिलता है वह मीठा होता है थोड़ा बहुत, उसको लोग पीते हैं। इस सरकार को यह चाहिए यदि वह इन आदमियों को राजस्थान की इस जनता को पानी नही पिला सके तो कम से कम ××× ताकि कहावत तो चरितार्थ हो जाय। आप जनता को पानी नहीं पिला सकते, चुल्लू भर पानी आपको कहीं न कहीं से मिल जायगा। गांवों की दर्दनाक स्थिति को आप समझिये राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र में औसतन 50 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है और आप इसमें कहते हैं कि हमने 254 टैंकरों की व्यवस्था कर दी है। एक विधान सभा क्षेत्र में एक टैंकर दें। तब भी जो 50 गांव प्यासे हैं इनमें उन टैंकरों से आप लोगों को पानी पिला सकते हैं। इसलिए इस पर भी आप गम्भीरता से विचार करिये। यदि आपकी पानी की स्कीम अभी नहीं बन पायी हैं तो कम से कम गर्मियों में आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाइये, उसमें कुछ पैसा खर्च करिये।

सहकारी संस्थाओं की भी आपने बड़ी प्रशंसा की है। सहकारी संस्थाओं में कितने घोटालें हैं यह सब प्रश्न तो सदन में प्रश्न बहुत उठे हैं, लेकिन कभी उसकी जांच नहीं हुई। कोई जांच तक नहीं की। चुनाव भी नहीं हो रहे हैं सहकारी संस्थाओं के। मनमाने तरीके से सहकारी संस्थाओं के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका गबन किया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है।

आपने चयनित परिवारों का अभिभाषण में उल्लेख किया है। गरीबों को ऊंचा उठा रहे हैं। मैं एक गांव में गया था तो वहां हरिजन नायक जाति के पांच लोग आये कि साहब हमारा चयन हुआ है। मैंने कहा, आपको रुपया मिला ? बोले, रुपया नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं मिल रहा है ? बोले,

---

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिशंकर भाभडा)

यह बैंक वाले कहते हैं कि आप ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र लाइये। अब हम गरीब हैं, ऋण तो हमारे ऊपर है इसलिए गरीब हैं। यदि हम ऋण मुक्त होते तो फिर हमको मदद की क्या जरूरत थी। हम ऋण मुक्त हैं नहीं और ऋण मुक्त तब तक नहीं होंगे जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा। बैंक इसलिए ऋण नहीं दे रहा है कि हमारे ऊपर ऋण है। तो इस बात पर आप गम्भीरता से विचार करें कि जो आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से उन लोगों, जिनको इसका फायदा मिलना चाहिये, फायदा मिलता है या नहीं। इन बातों पर भी विचार करिये।

पंचायती राज के बारे में समर्थक महोदय ने कहा कि बड़ा डिसेण्ट्रेलाइजेशन कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, राजस्थान में जनता पार्टी के राज में डिसेण्ट्रेलाइजेशन हुआ था, विकेन्द्रीकरण हुआ था लेकिन आपके आने के बाद तो आज सरपंच क्लर्क बनकर रह गया है।

(व्यवधान)

वह पांच रुपया खर्च नहीं कर सकता। सरकार का यह विभाग बन कर रह गया है। आज सरपंच के पास एक ढेला खर्च करने के लिए नहीं है। इसके बजाय कर क्या रही है सरकार? 17(4) का दुरुपयोग। पंचायत एक्ट के एक्शन 17 (4) का दुरुपयोग करके विरोधी सरपंचों को निलंबित किया जा रहा है। सोलंकिया तालाब के नरपतसिंह ने कौनसा पाप किया था कि उसको निलम्बित कर दिया? उनको खेतसिंहजी राठोड़ ने इसलिए निलम्बित कर दिया कि उसने सब जगह यह घोषणा करवा दी कि यहां पर लोग मर रहे हैं। सैंकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मर रहे है। इस बात का अखबारों में बवण्डर कर दिया। इसी आधार पर उसको निलम्बित कर दिया गया कि इस चीज का प्रचार न हो इस तरह से पंचायत अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंचायतो को, आप कह रहे है, काम दे रहे हैं। मैं चूरू जिले की बात कह रहा हूं। चूरू में पहले श्रीगंगानगर के बी. एस. आर. के नियमों के अन्तर्गत कार्य होता है था। वहां पर पंचायत जो काम करवाती थी, श्रीगंगानगर के बी.एस. आर. के अनुसार करवाती थी। अब उसको बीकानेर में ले आये। बीकानेर में रेट कम है। सरपंच कहते हैं कि उस रेट पर कोई काम करता नहीं है, अब तक जो रेट हम देते रहे हैं उस रेट पर लोग आ सकते हैं। काम में आते नहीं और वह टेन्डर दे सकते नहीं। ऐसी स्थिति में पंचायतें कुछ भी करये की स्थिति में नहीं है। यह सरकार इन बातों के बारे में विचार नहीं करती।

जहां तक राजस्थान नहर का सवाल है जिसको आपने इन्दिरा गांधी नहर कर दिया, अब श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्वर्गवास हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन वह राजस्थान की जनता का अपमान है। इस राजस्थान नहर की राजस्थान के नाम से जो शोभा है, वह शोभा उनके नाम से नहीं हो सकती अगर आप चेंज करने पर उतारू हैं, करिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान शब्द उससे जुड़ा रहे तो उसकी भूमिका कुछ और होगी, उसकी शोभा कुछ और होगी। आप कर रहे हैं, करिये

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लेकिन इस नहर की कथा क्या है ? यह सन् 1959 में शुरू होकर सन् 1970 में पूरी होने वाली थी। जो नहर सन् 1970 में पूरी हो जानी चाहिये उस नहर को आप अभी तर्क ले जाये जा रहे हैं। 1985 में पहला चरण पूरा किया है और द्वितीय चरण, जो पहले चरण से भी लम्बा है, उसको आप जल्दी पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। हालात क्या हैं ? रामसिह आयोग आपने इसमें बिठाया। रामसिह आयोग ने यह रिपोर्ट दी है कि करोड़ों का घोटाला है वहां पर। उसने इसमें इंजिनियर्स के नाम दिये हैं मगर उनकी आज तक जांच नहीं हुई। उन घोटालों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। सरकार ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। यानि जो रिपोर्ट सरकार को सही बात बताने के लिए की जाती है, उसको सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। मैं समझता हूं, यह अच्छा तरीका नहीं है। इस तरीके से....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : सरकार ने उसकी वकालत भी की रामसिह आयोग को तकनीकी ज्ञान नहीं है इसलिये....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये जो घोटाले हुए हैं, जोशीजी, मैं समझता हूं, इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठायेंगे। जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच करके दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिये।

जहां तक बिजली का सवाल है, मैं समझता हूं, बिजली के मामले में तो हालत यह है कि राजस्थान में जो उद्योग लगे हुए हैं इनमें पिछले पांच साल में आपने 40 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट, 80 पर्सेन्ट बिजली की कटौती कर दी। उद्योग धन्धे यहां से उठ रहे हैं। उद्योगों के विकास के लिए जो वातावरण राजस्थान में बनना चाहिये वह बन नहीं रहा है। केवल आपने लाइसेन्स की संख्या दे दी कि हमने इतने लाइसेन्स दे दिये। लाइसेन्स देने से तो उद्योग नहीं बन सकते। उनको बिजली नहीं दे सकते, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, उद्योग लगाने के लिए जो सुविधायें उनको तुरत-फुरत मिलनी चाहिये वह आपका प्रशासन दे नहीं सकता। बाहर से एक आदमी आता है वह कहता है, लाख रुपये घूस का मांगते हैं। लाख रुपया घूस का देंगे तो उद्योग क्या चलायेंगे ? लाख रुपये में अपनी पूंजी खतम कर देंगे। इस तरह का औद्योगिक वातावरण कर रखा है। आपका जो बिजली का शेयर है वह आप मध्य प्रदेश से नहीं ले सके, भाखरा से नहीं ले सके। कहीं से भी नहीं ले सके।

राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक 4500 मेघावाट बिजली पैदा हो जानी चाहिये थी। आप बताइये, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कितने मेघावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। यह छठी पंचवर्षीय योजना का टार्गेट था जो पूरा हो जाना जाहिये था मगर इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत आपकी कोटा की जो अणु इकाई है वह कितना परेशान करती है। अरबों रुपयों का घाटा हो चुका है। कोई इकाई लगातार सात दिन नहीं चलती कभी यह बन्द हो गई, कभी वह बन्द हो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

गई। केन्द्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है और राजस्थान की सरकार तो यह समझती है कि यह तो पराया मामला है इसलिए हमको इसमें कुछ बोलना नहीं।

जहां तक सड़कों का सवाल है आपने क्या दुर्गति बना रखी है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके, खास तौर से रतनगढ़ क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आया हूं, में एक फीट सड़क नहीं है। जो राष्ट्रीय राज मार्ग है या राज्य राज मार्ग हैं उन पर जो गांव बसे हुए है वहां तो सड़क है बाकी एक फीट सड़क नहीं है। हालत यह है, एक सड़क सोमासर से सालासर आज से 15 साल पहले बनना शुरू हुई थी वह अभी तक बन रही है। वहां रोड़ी बिखरी हुई है, गांव के लोग रोते हैं कि पैदल चलते हैं तो हमारे पैर लहुलुहान हो जाते हैं, जूते पहन कर चलते हैं तो जो जूते 6 महीने चलने चाहिये वे 15 दिन में फट जाते हैं। हमारी गाड़ियों के टायर फटते जा रहे हैं कम से कम इस रोड़ी को तो हटा दो, हमारी तो वह रेत ही भली। वह रोढ़ो, जो कांकरी के रूप में बिछाई गई है, 15 साल में पड़ी हुई है। उस सड़क का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सड़क बनाने का काम कभी होता नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सारे पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़कों से जोड़ देंगे। कितनों को जोड़ेंगे? अभी तक तो यह स्थिति नहीं है, करके दिखायेंगे तो हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे।

जहां तक आवासन बोर्ड का सवाल है, मालवीया नगर में मैं रहता हूं, वहां हजारों मकान बने हुए हैं खाली, मेरे पड़ौस में दो आदमी आये, बाकी सारी लाइन खाली है। मकान बने हुए हैं हम अकेले रह रहे हैं, कोई पड़ौसी नहीं मिल रहा है। पूछते है तो लोग कहते हैं कि साहब, पजेशन नहीं देते। वो कहते हैं कि अभी इसमें वह नहीं है, यह नहीं है। सैंकड़ों मकान खाली हैं। हर बरसात में उन मकानों में डेमेज हो रहा है, टूट-फूट हो रही है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। न मन्त्री महोदय को फुर्सत है, न आवासन बोर्ड को फुरसत है। जो कब्जा लेने वाले हैं वे तो कब्जे के लिये रो रहे हैं ये उनको मकान दे नहीं रहे। बीच में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जरा सरकार जांच करे तो उनकी भी आंखें खुलेगी और लोगों को इससे पूरा फायदा मिलेगा।

अभी आप आवश्यक वस्तुओं के वितरण की बात कर रहे थे। मैं पिछला अभिभाषण पढ़ रहा था राज्पाल महोदय का, उसमें पाम ऑयल लिखा हुआ था, इस बार में पाम ऑयल नहीं आया। इस बार लिखा है, गेहूं चावल, चीनी, केरोसीन, खाद्य तेल, नियन्त्रित कपड़ा, सोफ्ट कोक, सीमेन्ट। मैं आपसे पूछना हूं, जो लोग गांव से आये हैं, क्या किसी गांव वाले ने कभी सिवाय चीनी के किसी के दर्शन किये हैं? क्या जयपुर के लोग भी कह सकते हैं कि कण्ट्रोल से उनको सोफ्ट कोक मिल रहा है? आप क्या बता रहे हैं, हमको? चीनी भी नहीं मिलती और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे कैसे हैं? मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से झूठे हैं। इतनी बातें लिखी हुई हैं, कपड़ा और सारा सामान मिल रहा हैं लेकिन मिलता नहीं। यही लिखा हुआ है कि आपने वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, और दुकानें बढ़ा रहे हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लेकिन लोगों को जो चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं वह चीजें लोगों को मिल नहीं रही हैं। लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रहीं है और आप कहते हैं कि वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी है।

(2.52 म.प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी,
सभापति, पदासीन)

तो मेरा निवेदन है कि सरकार को वितरण व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये और वितरण व्यवस्था को ठीक करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : यह कोई मीटिंग थोड़े ही है जो सारे लोग वितरण व्यवस्था ठीक है या नहीं, इस पर बोलें। हमें मालूम है जयपुर की वितरण व्यवस्था ठीक है। आप लोग बाहर से आये हैं, आपको क्या मालूम है जयपुर के बारे में ?

(व्यवधान)

कोयला खूब मिल रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो कोटा जिले की बात कर रहे हैं।

श्री शिवराम शर्मा : आप लोग जयपुर के बाहर के रहने वाले हैं, आपको क्या पता यहां चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहां पर सारे जयपुर वाले बैठे हैं, उन्हें पता है कि यहां क्या मिल रहा है।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : खूब मिल रही है जयपुर जिले के बाहर दूसरे जिलों में चीनी नहीं मिलती है उसकी बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह वितरण व्यवस्था तो आपके पेट तक ही सीमित है, महाराज। पहले आपका पेट पिचका पड़ा था अब पेट बहुत आगे आ गया है। वितरण व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : आप अपनी ईमानदारी से दिल पर हाथ रखें और कहें कि वितरण व्यवस्था ठीक है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की इस बात पर मुझे बड़ा खेद है, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, कि यह पब्लिक प्लेटफार्म नहीं है। सभापति महोदय, जब वह पब्लिक प्लेटफार्म की बात कर रहे थे तब तो लोग चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे और जब मैं पाइन्ट टू पाइण्ट बोल रहा हूं तब यह भाषण की बात कर रहे हैं। मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उदाहरण देकर बात कर रहा हूं कि इसमें लिखी हुई बात कितनी सच हैं और कितनी झूठ है।

श्री सभापति : संक्षेप में।

(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : आप उनको पूछें, वितरण व्यवस्था कैसी है ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बोलेंगे तो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

× × × तब पता चलेगा कि कैसी वितरण व्यवस्था है ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : सभी जानते हैं कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो लोक सभा के चुनाव में जनता ने बता दिया। जनता ने लोक सभा के चुनावों में सफाया कर दिया । वितरण व्यवस्था तो आपने ढाई साल से बिगाड़ दी उसको ठीक करने में समय तो लगेगा ही, इतनी जल्दी थोड़ी ही जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य । बांहें नहीं चढ़ायें ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । राजस्थान के विकास के लिये शिक्षा की उन्नति बहुत ही आवश्यक है । सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । अभी तक तो हालात खराब है । कालेजेज और स्कूल्स जहां पढ़ाई होती नहीं है । जहां पर कालेज होना चाहिये वहां कालेज नहीं हैं, जहां पर नहीं होने चाहिये वहां पर कालेज ज्यादा हैं। रतनगढ़ में 45 हजार की आबादी का शहर है, वहां के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया हुआ है.....

एक माननीय सदस्य : चड्डी पहन कर शाखाओं में जाते हैं, इसलिये कैसे पढ़ेंगे बच्चे?

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रतनगढ़ में 45 हजार की आबादी है । तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी आश्वासन देकर आये कि वहां पर कालेज होना चाहिये । चूरू जिले में एक कालेज है । रतनगढ़ से रोजाना 300 लड़के अप एण्ड डाउन करते हैं । इसके बावजूद वहां पर आज तक कालेज नहीं खुला है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी से जो पहले मुख्य मंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिया हुआ है उसको पूरा करेंगे और वहां एक कालेज बनवायेंगे ।

अब रोडवेज के बारे में कहा है कि बहुत ही प्राफिट हुआ है । रोडवेज के बारे में सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है । जहां भी गाड़ी खराब हो गयी वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी । वहां पर सैंकड़ों पैसेन्जर्स की हालत खराब होती है । उन लोगों के पास एक छोटी सी चीज भी नहीं होती है जिससे वह गाड़ी ठीक कर सकें । वहां पर यात्रियों को परेशानी होती है, तकलीफ होती हो तो होती रहे, वह भुगतते है तो भुगतते रहें । मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भुगत रहे हैं और आप चाहते है कि भुगतते रहें तो मुझे क्या कहना है, भुगतते रहें ।

अब पर्यटन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं । आज यूरोप में जितने

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पर्यटन स्थल हैं उससे कहीं अधिक पर्यटन स्थल राजस्थान में हैं वहां पर्यटन स्थल कम होने के बावजूद रख रखाव अच्छा होने के कारण वहां की हालत अच्छी है। यूरोप में जितने पर्यटन स्थल है उतने तो....

(व्यवधान)

यह आपकी समझ की बात नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पूरे यूरोप में जितने पर्यटन स्थल हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में अकेले चित्तौड़ में ही उतने पर्यटन स्थल आपको मिल जायेंगे। यूरोप में पर्यटन स्थल अधिक नहीं है। राजस्थान में पर्यटन स्थलों का रख रखाव अच्छा नहीं होने के कारण यहां हालत ठीक नहीं है। इसलिये राजस्थान में पर्यटन स्थलों की हालत सुधारी जानी चाहिये ताकि पर्यटकों को आने में आकर्षण हो। राजस्थान में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर पर्यटन का विकास किया जा सकता है और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता हैं। सरकार को विशेष रुप से इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मेरा निवेदन है।

पलाना के बारे में मुझे यह कहना है कि एक बार में पलाना गया था, वहां पर रहने वाले लोग कहते हैं कि सरकार ने उनकी हालत बहुत ही खराब कर रखी हैं। पलाना में जो कोयले का भण्डार है वह गांव के नीचे हैं। जहां पर गांव बसा हुआ है उस गांव के नीचे कोयले की खान होने के कारण

(2.57 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

उस भण्डार से निकालने के लिये उस गांव को वहां से हटाया जायेगा। स्थिति यह कि न तो उस गांव को हटाया जा रहा है और न ही गांव में रहने वाले लोग जो मकान टूट-फूट जाते हैं उनके उपर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि लोग यह जानते हैं कि जब गांव ही हटने वाला है तो टूट-फूट पर पैसा क्यों लगाया जाय। ऐसी स्थिति में लोग वहां रह रहे हैं। वहां के लोगों को बहुत भारी परेशानी है।

दूसरी बात, पलाना ताप विद्युत घर की जो योजना है वह पुरानी योजना है पर पता नहीं वह क्यों खटाई में पड़ गयी। मेरा सरकार से निवेदन हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। कम से कम गांव वालों की स्थिति ठीक किया जाना चाहिये।

जहां तक अकाल राहत कार्य का सवाल है, आपने 142 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना रखी है। आपके यहां पर जो केन्द्रीय सरकार की टीम आयी थी उसने आपको 5 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की और 15 करोड़ रुपये आपके पास मार्जिन मनी के हैं। आपके पास 20 करोड़ रुपया हैं। 142 करोड़ रुपये की आप लागत लगा रहे हैं। अब आप क्या अकाल राहत कार्य करेंगे ? कितनी लम्बी चौड़ी बातें करते रहे ? रुपया तो आपके पास 20 करोड़ रुपये हैं और बात कर रहे हैं आप लम्बी-चौड़ी तो पहले इस धन को लाने की व्यवस्था करिये। केन्द्र सरकार पर दबाव डालिये कि राजस्थान में अकाल है, राजस्थान के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अधिक से अधिक पैसे

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वहां से मिले इसके लिये अपने आपको बड़ा एसेर्ट करना पड़ेगा। मुख्य मन्त्री को केवल दिल्ली की कठपुतली बनने से काम नहीं चलेगा।

एक बात और निवेदन करनी है। पानी की जितनी योजनाएं बनती हैं गांवों के लिये, उनमें पशु धन को पीने का पानी समाहित नहीं किया जाता। जो टंकियां बनायी जाती हैं, गांव में जो आदमी रहते हैं केवल उनके लिये पीने का पानी आये इतनी छोटी टंकियां बनाते हैं जब कि एक गांव की जनसंख्या एक हजार है पशुओं की जन संख्या पांच हजार, एक गांव की जन संख्या है दो हजार, पशुओं की संख्या है दस हजार। पशु बिना पानी के कैसे रहेंगे। तो टंकी इतनी छोटी बनाते हैं जिससे केवल गांव के लोग ही पानी पी सके। पशुओं को पानी नहीं मिलता। यह समस्या पूरे पश्चिमी राजस्थान में है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जहां पर भी इस तरह से छोटी टंकियां बनी हुई हैं केवल आदमियों के पानी को ध्यान में रख कर के उसको ठीक कर के उसमें पशुओं को भी शामिल किया जाना चाहिये।

मेरे को बहुत सी बातें कहनी थी, कह दी। एक बात प्रस्तावक महोदय ने संयुक्त विपक्ष और सेडो गवर्नमेंट के बारे में कही है। मेरे यह समझ में नहीं आयी—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा आखिरी चल रहा है। दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : जारी रखें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : संयुक्त विपक्ष ने जो भूमिका चुनावों में निभाई अब तक हम उस भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तावक महोदय को शायद एन्टी डिफेक्शन बिल का पता नहीं है इसलिये उन्होंने बिना जाने-बूझे ऐसी बात कह दी कि यहां पर अब कोई पार्टी इधर से उधर नहीं जा सकती, कोई व्यक्ति भी नहीं जा सकता, जो पार्टियां जैसी है वैसी ही रहेगी। शायद उन्हें इस बात का भी ज्ञान का नहीं है कि जो बड़ी पार्टी का नेता होता है वही अपोजिशन का लीडर होता है। उसके लिये कोई अलग अलग कुछ नहीं है। यह कायदे की बात है, नियमों की बात है। मगर उसको बिना जाने उन्होंने यह आपत्ति की। शैडो गवर्नमेन्ट के लिये वह बड़े चिन्तित है। मैं समझता हूं, उनको इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, यह तो हमारी चिन्ता है और जब होगी तो हम आपके सामने आयेंगे। फिर आपको उसका करिश्मा भी दिखायेंगे। लेकिन इसमें आप इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं?

समर्थक महोदय ने एक बड़ी खराब बात कही, राजा मानसिंह की हत्या को हमने ही कैश किया। कांच के घर में बैठ कर पत्थर मार रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या की, सहानुभूति से जीत कर 400 सीटें लेकर आप अपने कामों को बता रहे हैं, सफलताओं के लिये धन्यवाद दे रहे हैं। अरे वह तो हिन्दुस्तान की जनता को धन्यवाद दीजिये कि उसने भावुकता वश राजीव गान्धी को बेचारा, बिना मां का हो गया—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बेचारा बना कर के वोट दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य, आपका वश चलता तो आप तो हिन्दुस्तान के इतिहास में से इन्दिराजी का नाम हटवाने की कोशिश करते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं।

श्रीमती हमीदा बेगम : यह तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हिम्मत थी कि वह वापस सत्ता में आ गयीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : वह तो यह बात हुई कि मां मर गयी तो कोई बात नहीं टाबरियो भूखा नहीं मरे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विधान सभा में क्या हुआ? लोक सभा चुनावों के महीने भर बाद विधान सभा के चुनाव हुए, विधान सभा में क्या हुआ इसके बारे में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी बातें कहने के पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखलें, फिर कांच के घर में बैठ कर दूसरे पर पत्थर फेंकें।

धन्यवाद।

(3.00 म. प.)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पहला प्रतिवेदन

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पहले प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

राजस्थान विधान सभा कार्य सलाहकार समिति....पहला प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति ने सदन में दिनांक 22 मार्च से 29 मार्च, 1985 तक विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों पर विचार किया और निर्णय लिया कि कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये।

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1985	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 1985 रविवार, दिनांक 24 मार्च, 1985	बैठक नहीं होगी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1985	1. अनुपूरक अनुदान वर्ष 1984-85 का उपस्थापन 2. अतिरेक मांग वर्ष 1978-79 का उपस्थापन 3. नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) का उपस्थान 4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1985	1. अपराह्न 3.30 बजे तक धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 2. अपराह्न 3.30 बजे राज्य सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर 3. अपराह्न 4.30 आय-व्ययक वर्ष 1985-86 और लेखानुदान का उपस्थापन
बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1985 गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 1985	1. अनुपूरक अनुदान वर्ष 1984-85 पर विचार और उनका पारण तथा इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पारण। 2. लेखानुदान पर विचार एवम् उसका पारण तथा उससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवम् उसका पारण। 3. अतिरेक मांग वर्ष 1978-79 पर विचार और उनका पारण तथा इससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार और उसका पारण।
शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च, 1985	राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) विधेयक, 1985 पर विचार एवम् उसका पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पहले प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के पहले प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान करता है।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राजा मानसिंह की कथित हत्या

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग में दिनांक 21 फरवरी, 1985 को राजा मानसिंह जी की जिन परिस्थितियों में दुखद मृत्य हुई उस घटना से हम सभी को अत्यन्त दुःख एवं पीड़ा है। दिनांक 20 फरवरी, 1985 को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी द्वारा डीग में लक्ष्मणजी मंदिर के पास एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें भाग लेने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी हेलीकॉप्टर द्वारा डीग पहुंचे। उस रोज मानसिंह द्वारा अपने समर्थकों सहित कांग्रेस (आई) के सभा मंच व वेरीकेड को अपने वैपन कैरियर से टक्कर मार कर तोड़ फोड़ करने, तत्पश्चात् हेलिकॉप्टर को भी इसी प्रकार वाहन से टक्कर मार कर तोड़ देने की घटनाओं ने डीग नगर में आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। इन घटनाओं के सम्बन्ध में दो अलग अलग अभियोग संख्या 34/85, धारा 147, 149, 307, 427 ताजीराते हिन्द तथा अभियोग संख्या 35/85 धारा 304, 147, 149, 427 ताजीराते हिन्द थाना डीग पर पंजीबद्ध हुए। अनुसंधान से प्रथम दृष्टया राजा मानसिंह व उनके समर्थकों द्वारा इन घटनाओं का करना पाया गया। दिनांक 21 फरवरी, 1985 को उपरोक्त दोनों अभियोगों में उप अधीक्षक, डीग, कानसिंह एवं पुलिस दल द्वारा राजा मानसिंह इत्यादि की गिरफ्तारी के प्रयत्न को लेकर जो घटना घटी उसमें पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी जिसके फलस्वरूप राजा मानसिंह तथा उनके दो अन्य सहायोगियों सर्वश्री सुमेरसिंह व हरिसिंह की मृत्यु हुई। समस्त प्रकरण की जांच हेतु राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्रदत्त ज्ञानी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया है। न्यायिक जांच आयोग उन समस्त परिस्थितियों के बारे में जांच करेगा जिनके कारण पुलिस ने गोली चलाई तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के औचित्य पर भी अपना निर्णय देगा।

दिनांक 20-2-85 को राजा मानसिंह इत्यादि के विरुद्ध दर्ज दोनों अभियोगों व दिनांक 21 फरवरी, 1985 को पुलिस की ओर से दर्ज करायी गयी रिपोर्ट तथा स्वर्गीय श्री मानसिंहजी के दामाद श्री विजयसिंह द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 1985 को दर्ज कराये गये अभियोग, जिनका अनुसंधान अपराध शाखा को दे दिया गया था, का निष्पक्षता से अनुसंधान कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है, जो इस समय डीग में अनुसंधान कर रहा है। सम्बन्धित उप अधीक्षक, डीग को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित भी किया जा चुका है।

इस समस्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस एवं राजा मानसिंह के दामाद द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अनुसंधान जारी है तथा आयोग द्वारा भी अभी जांच की जानी है। अतः इस समय राज्य सरकार द्वारा इस घटना पर और कुछ कहना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय होगा। राज्य सरकार सदन को केवल यह विश्वास दिलाना चाहती है कि जांच आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अनुसंधान से

(श्री हरिदेव जोशी)

पहुंचे निष्कर्षों पर जो भी इनमें दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध राज्य सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी।

एक माननीय सदस्य : उनको गोली मरवाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कल जब मुख्य मंत्री महोदय बड़ी गमगीन मुद्रा में राजा मानसिंहजी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो मैं सोचता था कि इनके दिल में निश्चित रूप से यह अहसास होगा कि राजस्थान की तीन करोड़ जनता और राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान की जनता जिस बात की अपेक्षा इस सरकार से रखती है उस सम्बन्ध में वह जरूर इस सदन में कोई प्रकाश डालेंगे, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। यह जो कुछ आपने कहा है, कोई नई बात नहीं कही। यह बात तो जरूर हम रोज सुनते आ रहे हैं कि सी. बी. आई. को हमने जांच दे दी, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सैंकड़ों आदमियों के सामने राजा मानसिंह की दिन दहाड़े बारह बज कर चालीस मिनट पर डीग में 21 फरवरी, 1985 को गोली मार कर हत्या की गई। राजा मानसिंह जी के साथ बहत्तर वर्ष की उम्र के सुमेरसिंह और सत्तर वर्ष के हरीसिंह, जिनके मुंह में दांत भी नहीं थे, की भी गोली मारकर हत्या की गई। सारे के सारे लोग वहां गये हैं। उन्होंने उसकी जांच की है, कहा है, जानबूझ कर यह कतल हुआ है, इसके पीछे षड़यंत्र है, उन षड़यंत्रकारियों और हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही हो। लेकिन मुझे दुःख है कि आप उस सारी बात को टालना चाहते हैं। पहले इस राज्य सरकार ने एक स्टैंड लिया, स्टैण्ड यह लिया कि यह मुठभेड़ की वारदात है। सारे देश ने, सारे चश्मदीद लोगों ने यह माना कि कहानी गलत है। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय शुरुआत कर रहे हैं, मुझे खेद है इस बात का। 20 तारीख को घटना हुई, लेकिन आपने यह तो कहा कि राजा मानसिंह और उनके समर्थकों ने कांग्रेस की सभा के लिए बने हुए मंच को तोड़ा, आपने यह भी कहा, हैलीकाप्टर को टक्कर मारी, और आपने कहा कि और जुर्मों के साथ 307 का मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, धारा 307 कैसे बनी ? आपके विधि सलाहकार भी होंगे और भी होंगे, क्या चोट लगी थी किसी आदमी को ? ठीक है, आपके मंच के लक्कड़ को चोट लगी थी, आपके हेलीकाप्टर के शीशे को चोट लगी थी। अभी तक ताजीरातेहिन्द में 307 की परिभाषा यह नहीं हुई है कि लकड़ी को चोट मारने से या हेलीकाप्टर के कांच के स्क्रीन को चोट मारने से 307 का जुर्म बन जाता है ? उसके लिए सफिसियेन्ट कॉज होना चाहिये, डैथ करने में सक्षम हो, मृत्यु हो जाय, ऐसी चोट मारी जाय नेचरल कोर्स में, उसके लिये 307 हम सुनते आये हैं, पढ़ते आये हैं। लेकिन 307 की रिपोर्ट बनी, यही वही स्थिति है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि राजा मानसिंह जी की जान-बूझकर हत्या की गई है। 307 की रिपोर्ट बनी इसलिये।

(श्री नत्थीसिंह)

राजा मानसिंह जी का झंडा, उनकी स्टेट का फ्लेग है, उनका खुद का झण्डा है जो वहां की लाखा बुर्ज पर लगा रहता था उसको कांग्रेस के लोगों ने उतारा, उनके बेनर्स को फाड़ा। अध्यक्ष महोदय, कई दिन से इस तरह की हरकत हो रही थी। उस दिन राजा मानसिंह के तीन समर्थक कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उन्होंने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधीश से की उन्होंने मुख्य मंत्रीजी के सहायक से टेलीफोन से बात कर मुख्य मंत्री से समय चाहा कि यह जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं उनसे बात करना चाहता हूं, ज्ञापन देना चाहता हूं लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। यह बात सारी की सारी अखबार में आई है, रविवार अखबार में आई है. दूसरे में आई है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राजा मानसिंह जी ने कब कब किस किस तरह से पत्र लिखे। उसके बाद भी कोई बात नहीं सुनी गयी। राजा मानसिंहजी अपने कैम्प में थे, कानसिंह जी भाटी डी. एस. पी. तत्कालीन चीफ मिनिस्टर की सभाओं का इन्तजाम करने में मशगूल थे। उनकी जीप से तेज दौड़ती हुई जीप से एक नाबालिग बच्चे की दो टांगें टूटी, पुलिस में गये उसके मां बाप, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, जब उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तो वह लोग राजा साहब के पास गये। उन्होंने कहा, कैसे पुलिस दर्ज नहीं करती है। तब भी उस बात को नहीं सुना गया। यह सारे कारण, यह सारे वजूहात थे जिससे राजा मानसिंह जी उद्वेलित थे, अशांत थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस की जो इस तरह की गुण्डागर्दी चली है उसके खिलाफ मैं ध्यान आकर्षित करूं, सारी बातें बताऊं और ध्यान में लाऊं चीफ मिनिस्टर के, उनको सारी बात बतायी जाय इसलिए उन्होंने सभा मंच पर बैठे हुए लोगों से कहा कि विरोधस्वरूप मैं इस मंच को तोड़ रहा हूं, आप हट जाइये। किसी को चोट नहीं पहुंचाई। हैलीकाप्टर के चालक को हटाया तब चोट मारी। उनका कोई इरादा किसी को जान का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह इस गुण्डाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यह जुर्म था तो केवल ताजीरातहिन्द की धारा 427 के अन्तर्गत यह जुर्म आता है, जिसमें कि राजा मानसिंह जी को बिना वारन्ट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। यह बेलेबल आफेन्स है। लेकिन बेलेबल नहीं रहे, नान-बेलेबल हो इसलिए 307 लगायी गई। क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? कर लेते आप गिरफ्तार, किस ने रोका था? पूरे 24 घंटे कैसे निकले? और 24 घंटे के बाद उनकी हत्या क्यों की गई? इसके लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री की दो जगह की जो प्रतिक्रिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो जब वह सभा में भाषण दे रहे थे उस टूटे हुए मंच से, तब उन्होंने क्या कहा, यह मैं नहीं, माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले बोल रहे थे, वैसे उन्होंने भूख हड़ताल की लेकिन भूख हड़ताल तोड़ भी दी बिना हत्यारों के गिरफ्तार के और अब कहते हैं हम केश करते हैं। यह दिनमान है, दिनमान तीन-नौ मार्च का है। इसके पेज 20 पर छपा है, जब राजा मानसिंह हेलीकाप्टर तोड़ रहे थे तो श्री शिवचरण माथुर चुनाव भाषण दे रहे थे।

(श्री नत्थीसिंह)

टूटे हुए मंच से माइक हटा कर उन्होंने तत्कालीन डी. एस. पी. कानसिंह भाटी, जिन्हें मुअत्तिल कर दिया गया है, को भला बुरा कहा। कुछ लोगों के अनुसार श्री माथुर ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं और उसके बाद वह कार से धोलपुर चले गये।

इतना ही नहीं, इतवारी पत्रिका के लोग गये। उन्होंने मालूमात की। मीटिंग के बाद जब हैलीपेड पर तत्कालीन मुख्य मंत्री पहुंचे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, हैलीपेड पर जो उन्होंने कहा वह उनके साहस और धीरज के बर्ताव की गवाही देता है, उन्होंने राजा साहब को भी जी भरकर कोसा, नीचता की पराकाष्ठा कहा। सबक सिखाने की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय, राजनैतिक जीवन में इस विधान सभा में आप और राजा मानसिंह जी दोनों साथ-साथ आये। आज भी वह होते लेकिन जबरदस्ती उन्हें हम से छीन लिया गया। जो सत्ता में होता है, जिसके हाथ में दण्ड होता है उसका माथा सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर उसका माथा ठंडा नहीं है, उसका पारा गरम है तो वह कहर बरसाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वह देश का अहित करेगा, प्रदेश का अहित करेगा और यही प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने अपनाई। सरकारी अधिकारियों को उन्होंने डांटा और बुरा भला कहा। वह प्रक्रिया यहीं तक नहीं रही, जयपुर से वायरलैस मैसेज दिये गये। उन वायरलैस मैसेज में कहा गया कि राजा मानसिंह के खिलाफ एक्शन हो, तुरन्त एक्शन हो।

इतना ही नहीं, मैं इस सदन में बड़े सदमे के साथ यह कहना चाहता हूं कि वह क्या मैसेज था आप जरा उस पर गौर कीजिए। कई और नहीं, एक करेन्ट अखबार, जो कि भरतपुर और जयपुर से नहीं निकलता, के लोग गये और उन्होंने जाकर मालूम किया। यह जो वायरलेस मैसेज है, इस सारे वायरलैस मैसेज में कहां तक वह आगे बढ़े हैं, क्या शब्द हैं वह शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि क्या स्थिति भरतपुर और डीग में उन दिनों बनी। सीनियर पुलिस आफिसर और कांग्रेसमैनों के हिसाब से....

"Very evening Mathur contacted I. G. A. K. Bhandari, "माथुर-तत्कालीन मुख्य मंत्री," and told him to register a case under section 307 I. P. C."

जान बूझकर यह कहा है 'करो'। इतना ही नहीं, इससे आगे और चलिये राजा मानसिंह के खिलाफ....

"A wireless message was flashed all over Bharatpur district." The message in Hindi said, "Wherever Mansingh is arrest him immediately. If he resists even a wee bit, shoot him without the slightest hesitation"

यह पराकाष्ठा हो गयी। यह वायरलेस मैसेज है। वायरलेस मैसेज दिया गया हिन्दी में कि तनिक भी रेसिस्ट करे तो शूट कर दो उन्हें। आज मैं कहना चाहता हूं, जब लौट कर आये 21 तारीख को, मुख्य मंत्री

(श्री नत्थीसिंह)

शिवचरण जी माथुर यहां जयपुर में सवाई माधोपुर के दौरे से तो आपके डायरेक्टर जनरल ने उनको मिसगाइड किया और कहा उनसे कि मुठभेड़ हुई थी । राजा मानसिंह ने पुलिस के लोगों पर गोलियां चलाई, उन्हें मारना चाहा । उसके बाद मजबूरन पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी और राज मानसिंह को मारना पड़ा । मुझे मालूम है, मेरे लड़के की शादी थी उस दिन । सवाई माधोपुर में मैं था । मुझे जब पता चला इस हत्याकाण्ड का तो बिना फेरे में दौड़ कर आया । मालूम हुआ क्या हो रहा है, भरतपुर और डीग सब के सब घिरे हुए थे पुलिस और आर. ए. सी. और दूसरे लोगों से । सारा जिला दबाया हुआ था जैसे हमने कुछ कर दिया है । राजा मानसिंह के शव को नहीं देना चाहते थे । हमें उनका दाह संस्कार नहीं करने देना चाहते थे । वहां का कलेक्टर एस. अहमद, वहां का डी. आई. जी., वहां का एस. पी, सब लोग राजा मानसिंह को श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ राजा कहते हैं । हम श्रद्धा रखते हैं । उनका सिर जमीन में झुका जा रहा था । बीच बाजार में जब जनता ने घेरा उस पुलिस लाइन्स को, तब उनका शव दिया गया । पोस्टमार्टम अस्पताल में नहीं बल्कि वहीं कराया गया । मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके उस डायरेक्टर जनरल महोदय ने सी. बी. आई. से इन्क्वायरी की बात कही है कि सी. बी. आई. जांच कर रही है । लेकिन उस दिन टेलीफोन हुए डीग से, दिल्ली को टेलीफोन हुए, जयपुर को टेलीफोन हुए । जयपुर से टेलीफोन हुए, वायरलेस मैसेज थे, जैसा अभी हमारे साथी, जो बम्बई से आये हैं, बताया थोड़ी देर पहले कि लोगों ने ट्रान्जिस्टरों पर "राजा मानसिंह एक्शन, यस", यह सुना । आज आप सी. बी. आई. से जांच की बात कहते हैं । हमसे कहते हैं शांत रहो । उस सी. बी. आई. ने आज की तारीख तक उस दिन के तमाम वायरलेस मैसेज और तमाम टेलीफोन टाक जो हुई हैं, क्या उनको सीज किया ? नहीं किया । आपके डायरेक्टर जनरल ने उनको वापस मंगवाया, बदलवाया और निरस्त करवाया । आज उन्हीं डायरेक्टर जनरल को यहां पर रखा हुआ है । जब उनको कहा गया कि यह मैसेज है, सारे आफिसर की मीटिंग की गयी । बीच में कलेक्टर ने दिल्ली में सम्पर्क किया हमारे सांसद और इस्पात राज्य मंत्री श्री नटवरसिंह जी से । उन्होंने भी कहा, बड़ा बुरा हुआ, सबक सिखाओ । सबक सिखाने की बात जब कही जायेगी यहां का डी. जी. कहेगा, नहीं ? कैसी नौकरी करते हो, एक्शन लो । उसके बाद मीटिंग हुई डी. आई. जी. भरतपुर, कलेक्टर भरतपुर, एस पी. भरतपुर और कानसिंह भाटी की और कहा ठिकाने लगा दो । ठिकाने लगा दिया गया । मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय, जिस वक्त राजा मानसिंह बाजार में जा रहे थे उस अनाज मण्डी में आगे ट्रैक्टर ट्राली पीछे ट्रैक्टर ट्राली, चारों तरफ सरसों की ढेरियां पड़ी हुई थीं, बहुत भीड़ थी बाजार में तब कानसिंह जी भाटी गये उन्होंने दोनों तरफ से पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी से राजा मानसिंह जी को किन परिस्थितियों में घेरा ? राजा मानसिंह जब जा रहे थे, अपने कैम्प पर कह कर गये कि सरकार ने मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा बनाया है, मैं आज अपने आपको

(श्री नत्थीसिंह)

गिरफ्तार करा दूंगा, मेरे चुनाव के इन्चार्ज कुंवर विजयसिंह, मेरे दामाद, तुम रहोगे, इतने स्टेशनों पर मैं जा चुका हूं। और गये। उससे पहले पुलिस स्टेशन गये। पुलिस स्टेशन पर 10 मिनट तक उन्होंने हार्न बजाया अपनी गाड़ी का कि आओ, कोई मुझे पकड़ लो। कोई नहीं आया। उसके बाद वह अनाज मण्डी में गये। फिर वहां एकदम निकल करके चारों तरफ से उनको घेरा गया। पहले उनसे कहा, बात करनी है। उन्होंने कहा, मैं अब मीटिंग करके आता हूं, बात करने आ जाऊंगा। इतनी देर में तो कानसिंह भाटी का हाथ ऊपर होता है और उनकी ओर पुलिस की गोलियां चलती हैं। राजा मानसिंह, हरिसिंह और सुमेरसिंह स्पाट पर मर जाते हैं। पुलिस कहती है, नहीं दो तो जिन्दा थे। तो आप अस्पताल क्यों नहीं ले गये? आप कहते हैं, अस्पताल ले जाते हुए मारे गये नहीं ले गये हैं अस्पताल अगर उनमें जान थी तो दूसरा अपराध किया। जो उनको गाड़ियों में डालकर भरतपुर लेकर गये आप। आप कहते हैं, नहीं। मैं दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यह राजस्थान सरकार, इसके अफसर ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब, चीफ मिनिस्टर, केन्द्र के इस्पात राज्य मंत्री, यहां के डी. जी. चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट के लोग और राज्य के इन्चार्ज चीफ सैक्रेटरी क्यों इस तरह से उन्मादित हो गये थे कि भरतपुर में यह सब कुछ होना ही चाहिये। क्या उन्होंने विज्ञप्ति निकाली, शायद हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी वह विज्ञप्ति पढ़ी होगी।

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या दर्द हो रहा है आपको।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दर्द नहीं हो रहा है। आपको और हमको बराबर हो रहा है। पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, प्लीज, सुनिये।

श्री शोपत सिंह : किस बात का?

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो सुन लीजिये आप।

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट सदन के समक्ष रखा है। उसमें रूल है....

एक माननीय सदस्य : किस रूल के तहत बात कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूल ही कोट कर रहा हूं। आपको ज्यादा कानून आता है क्या? आप सुनिये तो सही पहले। रूल कोट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : वकील नजर आ रहे हैं। मेरे को ऐसा नजर आया जैसे वकील हैं आप।

श्री शोपत सिंह : Don't teach us.

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप करिये, हल्ला करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल भी मैं कोट कर दूंगा, आपसे पुराना सदस्य हूं, आप तो नये नये आये हैं। मुख्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट सदन के समक्ष रखा है उसमें कुछ जो मुकदमें दर्ज किये हैं उनका भी हवाला दिया है, यह भी हवाला दिया है कि जूडिशियल कमीशन भी मुकर्रर हो चुका सी. बी आई. को इन्क्वायरी भी दी जा चुकी है और यह क्रिमिनल केसेज भी दर्ज हुए हैं। उसके लिये रूल 53 है—

'Motion for discussion on matter before tribunals, commissions etc.—No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into ...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : स्पीकर साहब ने सुबह पढ़ दिया था। आप थे नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस समय मामला आया नहीं था, अब है सामने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सरस्य।

एक माननीय सदस्य : इस मुद्दे को डिसकस किया जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप सुनना तो चाहते हो नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह मुद्दा डिस्कस किया जा चुका है सुबह।

श्री शोपत सिंह : टाइम का सवाल है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : टाइम तो वेस्ट आप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उसके नीचे की बात भी कह दी गई है। बहुमूल्य समय क्यों बरबाद कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप बैठिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कानून का प्रश्न है, हल्ला करने का प्रश्न नहीं है।

(106)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : समय बरबाद करने का प्रश्न नहीं है। समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाऊस के समक्ष जो मामला विचाराधीन है, एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट रखा है उसके ऊपर डिस्कशन फ्री डिस्कशन के रूप में चल रहा है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस तरह के मैटर्स के ऊपर फ्री डिस्कशन क्या आपने अलाऊ कर दिया है और क्या....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर ऐसा कर दिया जाता है....

श्री शोपत सिंह : यस, यस।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जवाब दूंगा। माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन के अन्दर 53 के अनुसार यह फ्री डिस्कशन आगे केस के ऊपर क्या असर डालेगा और उसके अन्दर उसका क्या आब्जेक्ट होगा। इस पर जितना डिस्कशन होगा इस हाउस में जो व्यवस्था होगी उसका उस पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, यह मेरे ध्यान में आया है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आपकी व्यवस्था से पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर का जवाब देंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसी सबन्ध में मैं कुछ बात कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान यह जो अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है इसके पृष्ठ 308 की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है, न्यायालय या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के समक्ष जैसा कि इस मामले में है विचाराधीन मामलों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

यह 1970 का निर्णय है, इसके सम्बन्ध में मैं और निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये मैं आपकी भावना समझ गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी बात तो सुन लीजिये साहब।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : Let me explain myself.

(व्यवधान)

मुझे मेरी बात कहने का अवसर दीजिये।

श्री शोपत सिंह : सुन लीजिये साहब, मंत्री रहे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय दाऊदयाल जी....

श्री दाऊदयाल जोशी : सुखाड़िया जी की सरकार ने बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार में जो गोलियां चलाई थीं, उस समय तीन दिन तक इस सदन ने विचार किया था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप सुनिये। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप के....

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहिये जरा आप संक्षेप में बता दीजिये अपनी बात।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसमें आगे लिखा है, "इस पाईन्ट पर अनेक व्यवस्थायें लोक सभा एवम् अन्य विधान सभाओं में समय समय पर दी जाती रही हैं और सब की इस बात पर सिद्धान्त रूप से सहमति है कि सब जुडिस मामलों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

यहां स्पीकर फ्रेड्रिक व्हाइट का यह कथन भी उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने कहा है कि—

"It is the duty of the Speaker to protect any person being tried or about to be put on trial against any prejudice which might arise through debate in the Assembly."

और ऐसी व्यवस्थायें भी देखने को मिली हैं जिनमें यहां तक कहा गया है—

"Although it may be unanimous desire of the House to discuss a matter which is sub-judice, the Speaker is bound to forbid it."

ऐसे मामलों में सब-जुडिस के आधार पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में आसन पर किस प्रकार की जिम्मेदारी आती है और इन व्यवस्थाओं में किस तरह उसके हाथ बंधे हुए हैं इसका अन्दाजा माननीय सदस्यों को इन उद्धरणों से हो गया होगा।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : पहले दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अपनी यह व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है–"ऐसी स्थिति में मैं न तो सरकार से यह कह सकता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें और न ही इस विषय की मैरिट्स पर सदन में कोई चर्चा उठाई जा सकती है। इसलिये कि दोनों ही हालतों में इसका असर सीधा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले की जांच पर पड़ सकता है। अतः मेरी राय में इस विषय को प्रस्तावों के द्वारा सदन में उठाना ठीक नहीं होगा।"

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब आप इस पर निर्णय दें तो इस बात का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

माननीय सदस्य, यह बात प्रातःकाल स्पष्ट हो चुकी थी। उसके बाद इसका ध्यान रखते हुए कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठे जिससे आगे की कार्यवाही पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े।

इस विषय पर चर्चा होगी, मैंने इसकी अनुमति दी है। चर्चा जारी रखें।

शासकीय वक्तव्य
राजा मानसिंह की कथित हत्या

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वह सरकार जो उस वक्त थी, और उसके तमाम अधिकारी किस तरह एक झूठी कहानी गढ़ कर फैला रहे थे जिससे हमारे दिल में, सारी जनता के दिल में दर्द हुआ। जो सरकारी विज्ञप्ति निकली, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उससे आप समझ जायेंगे कि किस हद तक यह प्रशासन नीचे उतर आया है। राजस्थान पत्रिका का 22 तारीख का समाचार है, जन सम्पर्क विभाग की विज्ञप्ति को अविचल रूप से उन्होंने छापा है। सरकारी विज्ञप्ति अविकल रूप से इस प्रकार है—

"मानसिंह डीग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के विरुद्ध कल दिनांक 20/2/85 को हत्या का प्रयास करने के अपराध का अभियोग दर्ज किया गया था। आज दोपहर में यह सूचना मिलने पर कि मानसिंह डीग के मण्डी बाजार में हैं, कानसिंह, उप अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व में पुलिस पार्टी उन्हें गिरफ्तार करने गई। उन्हें आता देखकर मानसिंह और उसके साथियों ने जो एक भारी वैपिन केरियर गाड़ी में सवार थे और हथियारों से लैस थे, अपनी भारी गाड़ी से उप अधीक्षक की गाड़ी के टक्कर मारी, बम्फर फंसा कर पुलिस को गाड़ी को काफी दूर तक खींचा। इस स्थिति में पुलिस की गाड़ी उलट नहीं जाय और कोई हादसा नहीं होने पाये इसलिये पुलिस ने बन्दूक की संगीन भौंक कर मानसिंह की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी तथा उन्हें शांतिपूर्वक अपने आपको कानून के हवाले कर देने के लिये बार बार कहा। इस पर मानसिंह की ओर से पुलिस पर गोलियां चलाई गईं जिससे बाजार में सामान्य जन-जीवन एवं पुलिस पार्टी की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस को विवश होकर आत्मरक्षा एवं बाजार में उपस्थित सामान्य लोगों की जीवन रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी जिससे मानसिंह और उनके दो साथियों को गोली लगी। मानसिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। उनके दो साथियों, हरिसिंह और सुमेर सिंह की भी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।"

यह रिपोर्ट है, विज्ञप्ति है। भरतपुर के किसी पुलिस अधिकारी की नहीं, राजस्थान सरकार की। उसकी जानकारी के बारे में लोग गये। इन्डिपेन्डेन्ट उन्होंने जांच की। कितना इनका आपस में अन्तर्विरोध है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इस मामले

(श्री नत्थी सिंह)

में थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कहते हैं, हथियारों से लैस थे और हमारे डी. जी. साहब को बड़ी चिन्ता थी। क्यों चिन्ता थी? उनका यह कार्नसिंह भाटी बड़ा प्यारा है, बड़ा प्रिय है, जब कोटपूतली काण्ड हो रहा था, खैरथल में गोलियां चल रही थीं तब भी कार्नसिंह भाटी उप अधीक्षक थे सी. आर. पी. में। तब भी एस. पी. वही रामसिंहजी राठौड़ थे। जो आज भरतपुर में डी. एस. पी. डीग में लगाये हैं कार्नसिंह भाटी तो भरतपुर के एस. पी. भी वहीं हैं। जब प्रदीप चौधरी हत्या काण्ड हुआ, अजमेर में, तब भी उनका इसी तरह संरक्षण था। कार्नसिंह भाटी कभी भी अकेले राजा मानसिंह पर गोली चलाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकते जब तक उनको ऊपर से प्रभावशाली लोगों, अधिकारियों, राजनेताओं का पूरा संरक्षण नहीं मिले। और पूरा संरक्षण मिला। उसको बचाने के लिये ऐसी विज्ञप्ति निकाली गयी और तभी यह हत्या की गई। और इसीलिये इसमें कहा गया है। हमारे डी. जी. साहब ने एकदम अफसर भेजे। रोजनामचा खाली डीग का। रिपोर्ट ऐसी हो भाटी फंस नहीं जाय, कोई फंस नहीं जाय, मुठभेड़ ही साबित हो। किसको भेजा? एक हैं श्री मदन मोहन महर्षि। वह क्या कहते हैं?

"शुक्रवार को डीग डाक बंगले में अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक मदन मोहन महर्षि ने संवाददाताओं को बताया कि राजा मानसिंह के पास कोई हथियार नहीं था। एक भागते हुए व्यक्ति से जरूर एक देशी तमंचा बरामद हुआ। कोई हथियार नहीं था। वह लैस गाड़ी बता रहे हैं। राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति बता रही है, हथियारों से लैस थे। और वहां एक देशी तमंचा मिला है वह भी भागते हुए से। कलेक्टर हैं एस. अहमद, वह क्या कहते हैं? नहीं, भागते हुए से नहीं, उनकी गाड़ी में से। एक देशी तमन्चा बरामद हुआ है। इसके साथ साथ एक और हैं उप महा निरीक्षक, अमिताभ गुप्ता, उनसे पूछा। वे धूप सेक रहे थे वहां, उनसे पूछा, वह कह रहे थे, नहीं, कोई मुठभेड़ नहीं हुई। फिर जब दिल्ली से आई. बी. आई. इंटेलीजेंस ब्यूरो के लोग आये भरतपुर और डीग में, दिल्ली को उन्होंने खबर भेजी कि नहीं, मुठभेड़ नहीं यह तो सीधा सादा कतल का मामला है। तब भी डायरेक्टर जनरल और उनके दूसरे अधिकारी, जो दत्ता साहब और दूसरे हैं, तत्कालीन मुख्य मन्त्री को कहा, नहीं, हमने पूरा पूरा पता लगा लिया है, मुठभेड़ हुई है, मर जाते पुलिस वाले अगर यह नहीं करते तो। उन्होंने ऊपर भी यही कह दिया, मैंने मालूम कर लिया है। नतीजा भी भुगता। वह तो कहते हैं, आत्मा जागी। पर साढ़े ग्यारह बजे दिल्ली जागी और कहा जाओ और इस्तीफा दो। यह अपराध दिल्ली ने भी माना, मुठभेड़ नहीं हुई कतल हुआ है। तब तत्कालीन मुख्य मन्त्री को जाना पड़ा। यह परिस्थितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी बोल रहे थे, उसके बाद क्या स्थिति हुई गोलियां चलाने के सम्बन्ध में? कितनी गोलियां चलीं? इन सब के बयानों में मतभेद हैं। मैं एक एक पढ़कर सुनाऊं तो आप कहेंगे टाइम ज्यादा हो जायेगा। पर बहुत जरूरी है। क्या है? ये कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मुद्दे रख दीजिये संक्षेप में थोड़ा।

श्री नत्थी सिंह : संक्षेप में ही रखूंगा, साहब।

हरी दूब पर धूप सेंक रहे अमिताभ गुप्ता ने कहा, गोलियां कितनी चलीं, दस। उनके अनुसार दो गोलियां मानसिंह को लगीं, एक हरिसिंह को और एक सुमेर सिंह को, एक गोली हवा में चलाई गई। बाकी चार कहां चलीं, पता नहीं। दूसरों ने कहा राजा साहब के शव पर 6 गोलियों के निशान देखे गये हैं। तो उन्होंने कहा, छः नहीं चार निशान रहे होंगे, दो गोलियां आर-पार हो गई होंगी उनके चार निशान बन सकते हैं। कानसिंह भाटी कहते हैं कि थ्री नाट थ्री की गोलियां चलाई थी। दूसरे कहते हैं एस. अहमद कहते हैं, 6 गोलियां चलीं थी सिर्फ। वह कलक्टर हैं भरतपुर के। पोस्ट मार्टम में कहते है, तीन गोलियां, वह भी नहीं देखीं। सारी बातों में मतभेद। आप तो कहते हैं, यह रिपोर्ट जो मैं बता रहा था, यह रिपोर्ट कहती है कि कानसिंह भाटी को गिरफ्तार करने गये थे। लेकिन कानसिंह भाटी क्या कहते हैं? अजी वाह! कानसिंह भाटी की फैमिली एक दिन पहले रवाना कर दी गई डीग से। क्यों? क्या कारण थे? क्या डर था? और कानसिंह भाटी को 21 तारीख को रवाना कर दिया गया वहां से। वह खुद क्या कहते है वह भी जरा देखिये। उनसे पूछा गया, मानसिंह को गिरफ्तार करने के लिये भेजी गई पुलिस पार्टी के साथ जाने का आदेश आपको किसने दिया था? यह है दिनमान पेज है 31, तारीख है 10-16 मार्च। उसमें लिखा है, मानसिंह को गिरफ्तार करने के लिये भेजी गई पुलिस पार्टी के साथ जाने के आदेश आपको किसने दिये थे? वे कहते हैं, मैं किसी पुलिस पार्टी को लेकर नहीं गया। मैं तो सदर थाने में थानाध्यक्ष से कुछ सूचना लेने गया था। क्या सूचना लेने गये थे? उन्होंने कहा, गिरफ्तारी का वारन्ट 24 घंटे पहले जारी किये गये थे। मगर इस पर अमल नहीं हो पाया था। मुख्य मन्त्री की ओर से सख्त कार्यवाही के आदेश जारी किये जा चुके थे, इसी सिलसिले में जयपुर से मुख्य सचिव ने यह जानना चाहा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इसलिये ताजा स्थिति की जानकारी करने चला गया, वैसे ही चला गया। वह नहीं गये हैं गिरफ्तार करने के लिये। किसको सच मानोगे? यह सारा झूठ का प्रचार आखिर क्यों है? यह सबका सब इसलिये है कि चुनाव से पहले परिस्थिति पैदा हुई जिसमें वहां के सांसद ने कहा था, हम इनको ठिकाने लगा देंगे, यह असली राजा नहीं, नकली राजा हैं। ठिकाने लगाने का यह तरीका है? चुनाव में नहीं हरा सकते तो आप गोली से मार देंगे? यह सारी बात हुई। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, कह दिया हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने सी. बी. आई को इन्क्वायरी दे दी है। ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सी. बी. आई. को इन्क्वायरी तो जब दो जब पता नहीं हो किसने गोली चलाई, कहां गोली चलाई। चौड़े धाड़े मामला हुआ है, सी. बी. आई. को इन्क्वायरी किस बात के लिये दे रहे हैं? कहेंगे कि साहब, उनकी रानी साहिबा ने चिट्ठी लिखी थी। यह बहाने टालने के हम भी

(श्री नत्थी सिंह)

जानते हैं मुख्य मन्त्री महोदय। वह तब टालना चाहते थे, अब मैं इसको ज्यादा तो यों नहीं कहूंगा तब मुख्य मन्त्री कौन थे, पता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं सी. बी. आई. और सी. आई. डी. में थोड़ा भेद करें तो अच्छा है, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : सी. बी. आई. की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : There is a differ-ance between the two.

श्री नत्थी सिंह : सी. बी. आई. को भेजा गया है सी. बी. आई. को यहां से आप रिकमन्ड करते हैं तभी सेन्टर देता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिये कहा है कि सी. बी. आई. को....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री नहीं थे, मुख्य मतलबी थे।

श्री अध्यक्ष : कोई खोज-बीन नहीं करनी, तफतीश के लिए....

श्री नत्थी सिंह : वह मैं मानता हूं, जब तक राज्य सरकार नहीं कहे तब तक सेन्टर कभी नहीं देती सी. बी. आई. को। इतना तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

(व्यवधान)

उस वक्त शायद आपके हाथ में आ गई होगी वह कलम क्योंकि हालात बदल गये थे। जब सारा मामला जाहिर था तो फिर क्या बात थी? सारे मामले को डिफ्यूज करना था। देर लगे, सारा मामला ठण्डा हो। तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय जो चले गये, कोई नये नहीं हैं भरतपुर के लिये। अखबार वाले तो लिखते हैं कि मुख्य मन्त्री बने तो बाढ़ लेकर आये, गये तो खून की बाढ़ लेकर गये। भरतपुर को तो अनुभव है, जब मुख्य मन्त्री बने थे तब भरतपुर के घना के जंगल के लिये अभी एक माननीय सदस्य जो पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे थे, जो उस वक्त वन मन्त्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि चराई नहीं रुकेगी लेकिन चराई के अधिकार को लेने गये भरतपुर के किसानों पर गोली चलायी गयी और 7 लोगों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया। तब नहीं बोले, जुबान नहीं खुली तब भी वही मुख्य मन्त्री थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भरतपुर के गरीब और मजलूम किसानों को सांत्वना के दो शब्द कहने के लिए भरतपुर जायें। गये थे वह, हम सबने उनका बहिष्कार किया था तमाम विरोधी दलों के लोगों ने। गये थे नटवर सिंह जी के अभिनन्दन के लिए भूमिका निभाने कि राजनीति में आ जायें, तब विरोधी दलों ने बहिष्कार किया था। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां जो बनीं जानबूझकर इरादे से उच्च स्तरीय षड़यन्त्र के अन्तर्गत उनकी हत्या करायी गयी है। आपने उनको सस्पैन्ड कर दिया। इससे काम होता है? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हमारे दलित मजदूर किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंहजी ने एक तारीख को भरतपुर जिले की 5 सभाओं में साफ

(श्री नत्थी सिंह)

तौर पर कहा, क्यों मामले को टरकाना चाहते हो, सी. बी. आई. की जांच की बात धोखा है, लोग कतल कर रहे हैं, कतल करने वाले और कतल में साजिश करने वालों को सीधा अदालत में ले जाओ, सच झूठ का फैसला हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई और नहीं लोगों ने टेप किया है बयान। मोची, नाई, व्यापारी, छोटे आदमी नौजवान, प्रधान, म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर, एक स्वर से सैकड़ों लोग कहते हैं, हमारे सामने दिन दहाड़े हत्या की गयी। उसके बाद इतना संरक्षण, इतने दिमाग बढ़ा दिये गये। आज डी. जी. यहां हैं, जांच वहां है, कोशिश हो रही है सी. बी. आई को भी सारी बातें पता नहीं लगें, कागजों को बदला जा रहा है, मैसेजों को छुपाया जा रहा है। भरतपुर में वही डी. आई. जी. है, वही जिलाधीश है, वही एस पी. है जो इस साजिश में शामिल थे। आज कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सही जांच नहीं हो। मुख्य मन्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह भी सी. बी. आई. ने मना कर दिया था। यह जो आपने मध्य प्रदेश के कोई जज साहब को नियुक्त करने की बात कही है उसने मना कर दिया था कि जिन अफसरों की साजिश रही है उन अफसरों को कम से कम दूर करो, मुअत्तिल करो उनके खिलाफ अपनी विभागीय जांच तो करो कि इनका कितना हाथ है। नहीं, सब बैठे रहो, सब मामले पर पर्दा डालो, सच्चाई सामने आये नहीं। फिर हमसे कहा जाय कि हम इस सदन में भी अपनी बात कहें नहीं।

अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ था 21 तारीख को? हमने साफ कहा था। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, मेरे बड़े मित्र हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वह बोल रहे थे, उन्हें मालूम है जब उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे तो कोई और नहीं था उन सबको रोकने वाला, आज जो बोल रहा हूं मैं ही था। पहाड़ियाजी के खिलाफ जब लोगों ने प्रदर्शन किया, अकेला मैं ही था कि नहीं, कांग्रेस वालों से आप इस्तीफे की मांग कर रहे हो, करो लेकिन यह उनका खुद का मामला है। उनकी नैतिकता का क्या तकाजा है? आप करते हो भूख हड़ताल, गिरफ्तार होते नहीं हैं हत्यारे और भूख हड़ताल तोड़ देते हो फिर भी यहां बोलने की हिमाकत करते हो। हमने हजारों आदमियों के बीच में कहा, पहाड़ियाजी को आपने कहा है कि अगर तुम जांच करा कर गिरफ्तारी नहीं करा सकते हत्यारों की, इस्तीफा दो कांग्रेस से। हमने कहा, नहीं, यह इनके सोचने का सवाल है। आपने अपनी भावना कही है और हमारी भावना यह है कि इन्हें सोचने दो। जिस दिन आपके हुक्कामों ने भरतपुर में शव यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देनी चाही तब हमने कहा शव यात्रा निकलेगी। राजा मानसिंह जन जन का नेता था। जितनी बड़ी उनकी शव यात्रा भरतपुर में निकली, आज तक कभी दशहरे की सवारी भी नहीं निकली। हमने एक बात कही थी अधिकारियों से, तुम हट जाओ बीच से पुलिस सामने नहीं आये, कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं हुआ कोई झगड़ा। आपको यह एक आदमी याद आ रहा है जो चुनाव में लड़ लिया और जीत गया कैसे जीते यह आज नहीं कहूंगा फिर कहूंगा दुबारा कहोगे तो। आज नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

(श्री नत्थी सिंह)

नहीं, मैं तो हराना ही चाहता था। ना, मैं तो हराना चाहता था, जीत गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : इसीलिये मैं कहता हूं। मैं कहना चाहता हूं तब हमने कहा था, पुलिस को सामने मत लाओ। बाजार में पुलिस नहीं आयी लेकिन कुम्हेर दरवाजे पर पुलिस आयी। पुलिस के आने के बाद वहां दोनों तरफ से पत्थर वर्षा हुई तब भी हमने बीच बचाव किया। पत्थर मुझे ही लगा था आपको नहीं। टांके भी मेरे आये, सात दिन तक जख्म रहा हमने हमेशा शान्ति कायम रखने की कोशिश की, भरतपुर के वातावरण को अशान्त नहीं होने देने की कोशिश की।

कलशों की बात कहते हो। राजा मानसिंह के कलश गोवर्धन नहीं जायं, बड़ासरा नहीं जायं, मानसिंह सिनसिनि के पैतृक स्थानों पर नहीं जायं। इसका आपको दर्द है। गये। कलश मुझे दुख है, अध्यक्ष महोदय, वह कलश पुष्कर जाने के लिए भी आया और जयपुर में तीन घण्टे तक रोका गया कलश ले जाने वालों को। क्या डर लगा था आपके डायरेक्टर जनरल को और आपके मुख्य मंत्री को, आपके मुख्य सचिव महोदय को? पीटा गया उन लड़कों को। तीन घण्टों बाद जयपुर से वह कलश पुष्कर में प्रवाहित होने के लिए जाने दिया गया। क्या मानस था? इसके बाद क्या हुआ 23-24 तारीख को डीग में? कलशों के लिए ही तो आये थे लोग। कलशों के दर्शन करने के लिए आये थे लेकिन वहां गोलियां चलायी गयीं। पचासों आदमी घायल हुए कितने मरे किसी ने बताया नहीं, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है। मैंने कोशिश की आपको सम्पर्क करने की उस वक्त, आप दौरे पर थे। पूरे डेढ़ दिन तक लोग तड़प रहे हैं, हमारे घर पर आ रहे हैं, मेरा लड़का मारा गया 15 वर्ष का, मैट्रिक में पढ़ता था, मेरा भाई मारा गया है, मेरा रिश्तेदार मारा गया है, मर तो गये, लाश दिला दो हम उनका दाह संस्कार कर दें। हम भरतपुर के अधिकारियों, जिनको आज तक संरक्षण दिया जा रहा है, से पूछते हैं, लाश कहां है, कौन कौन मारे गये हैं उनकी लाश दे दो यह घर वाले उनके अन्तिम दर्शन कर लें, उनका दाह संस्कार उनको अपनी हिन्दू विधि से करने दो। बोले, नहीं। इनके पास भी गये थे जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। असहाय, अक्षम, आ गये, बेचारों की कोई सुनता ही नहीं था। और नहीं मिले....

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : आपने खरीद रखी है ना बेचारगी।

(व्यवधान)

डीग में राजनारायणजी आये थे, क्या हुआ था?

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : गोली से मारे गये डीग और भरतपुर में। 23 तारीख को डीग....

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : राजनारायण ने वहां क्या किया था। आपके बाद में इसने भड़काई।

श्री नत्थी सिंह : और भरतपुर में गोली से जो लोग मारे गये उनके शव डीग वालों को नहीं दिये गये, अध्यक्ष महोदय, जब हमारे लोग उस अस्थिकलश को लेकर बयाना से जा रहे थे तब उन्हें पता पड़ा, आपके पैतृक गांव के पास भील के बाड़े के जंगल में तीन लाशों को एक साथ जला दिया गया, वह आधी कच्ची थीं। हमारे लोग पहुंचे उन्होंने फोटो लिये। फोटो लेने के बाद—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : जब हमने कहा कि क्या बात है, यहां हमारे पास फोटो हैं, 3–3 आदमी तुमने जला दिये, उनकी लाशें उनके घर वालों को नहीं दीं, हम मांगते रहे, क्या बात है? तो फिर बताया कि हमने तो उनको जला दिया। यह हालत थी आपके उन अधिकारियों की जिनको, मुख्य मंत्री महोदय, आज भी आप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए, भरतपुर में सबूत खत्म हों इसलिए बैठाये हुए हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सदन में भी बैठे हैं।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक माली के लड़के को उसी 23 तारीख को भरतपुर में गोली से मारा पुलिस ने। उसके बाप ने लाश को ले जाना चाहा तो उसके घर वालों को पीटा गया, लाश बाजार में डाल दी गयी। घण्टों के बाद वह लाश ले जाने पाये। उस बाजार में चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे बुड्ढा हो दुकानों में से निकाल-निकाल कर डण्डे लगाये गये, क्लेक्टर, एस. पी. और डी. आई. जी. की मौजूदगी में लोगों को पीटा गया और कोतवाली में बन्द किया गया। इस तरह का बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं? और आप कहते हैं, हमने तो वहां दे दिया। आज तक 8 आदमी कतल हो गये भरतपुर में इस काण्ड में। तीन उस दिन, चार मारे थे और एक बाद में मर गया गोली से। अनेक घायल पड़े हैं। इस तरह का बर्बरतापूर्ण कृत्य हुआ हो उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, एक कानसिंह भाटी आपने सस्पेण्ड कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। वह तो कर गये पहले ही। वह कैसे हुआ, क्यों हुआ इस बात को जाने दीजिये। क्यों यह सब कुछ किया है उन्होंने, देखिये, इस्तीफा देकर चले आये कि आत्मा की आवाज आ रही है। आत्मा की आवाज थी तो शपथ लेने क्यों नहीं आ रहे। आत्मा की आवाज नहीं थी, मजबूरी थी।

मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन, उन मुख्य मंत्री महोदय, कि उन्होंने तो शुरूआत की थी बाढ़ से और खात्मा किया खून की बाढ़ से। आप क्या टालने से शुरूआत करना चाहते हैं और टालते चले जाना चाहते हैं? जमाना बड़ा नाजुक है। पता नहीं लगता सुबह से शाम तक। अर्जुनसिंह जी गये थे मंत्रिमण्डल की लिस्ट बताने और चले गये पंजाब के गवर्नर बन कर। अगर यही हाल रहा तो ऐसा नहीं हो कि हम तो बाट देखें, मुख्य मंत्री महोदय हमारी सुनवाई करेंगे। और वहां कुछ से कुछ और हो जाय। इसलिए टालने की नीति छोड़ो, सक्षम और कारगर कदम उठाने की हिम्मत करो। बहुत राज भोग लिया आपने, बहुत नेतागिरि भी कर ली आपने। राजस्थान की जनता,

(श्री नत्थी सिंह)

हिन्दुस्तान की जनता जिन्होंने राजा मानसिंह को याद किया है, मैंने कहा था कि भरतपुर के इतिहास में महाराणा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह के बाद अगर किसी का नाम है जनतन्त्र के प्रहरी के रूप में, जनतन्त्र की रक्षा करते हुये शहीद होने के रूप में तो राजा मानसिंह का नाम है । आप बहुत कहते हो, हिंसा की राजनीति नहीं हो, किसी तरह हिंसा की राजनीति चले नहीं । हिंसा की राजनीति के लिये यह कहते हो, आतंकवादी चला रहे हैं. यहां तो सरकार हिंसा की राजनीति चला रही है । राजा मानसिंह की हत्या सरकारी हिंसा के जरिये सरकार के द्वारा करायी गयी है । क्या आप उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते ? आज तक कदम नहीं उठाना चाहते कदम नहीं उठायेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे । आप यहां कदम नहीं उठायेंगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी । अगर आप सदन में सुनवाई नहीं करोगे तो इस सदन के बाद सड़कों और गलियों में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे लेकिन राजा मानसिंह की हत्या को इस तरह से नहीं जाने देंगे । सरकार की आज भी चाल है कि इसको लम्बा कर दो, देर लगा दो, लोग भूल जायेंगे । यह चाल कामयाब नहीं होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त कारगर कदम उठाइये, हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए । जो कोई भी हों, बड़े नेता हों या बड़े अफसर हों, हिम्मत के साथ उनके खिलाफ एक्शन लीजिये तब तो, जोशीजी, यह माना जायेगा कि भीलों के इलाके से आने वाले मुख्य मंत्री में कुछ दम निकला । नहीं तो, रोज आते हैं, रोज जाते हैं नाम को याद भी नहीं रखते । मुझे आशा है, आप अपने जवाब में निश्चित रूप से कारगर कदम उठाने की घोषणा करेंगे । इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं....

श्री यदुनाथ सिंह : मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर आप बोल चुके हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं इस पर नहीं बोला हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : वह मेरा संशोधन प्रस्ताव था । इस पर नहीं बोला हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं मुख्य मंत्रीजी ने, उससे कोई बात सामने आई नहीं है । वह कुछ बातें तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कुछ बातें बताना नहीं चाहते हैं, न बतायें ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लेकिन तीन एफ. आई. आर. हुई हैं जो पब्लिक डाकूमेंट हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चर्चा प्रारम्भ हो आगे चले उससे पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो रिपोर्ट श्री मानसिंहजी के दामाद ने दर्ज करवाई है थाने में, वह पब्लिक डाकूमेंट है, कोई सीक्रेट डाकूमेंट नहीं है, वह आप पढ़ कर सुना दें हाउस में, तब यह चर्चा सार्थक होगी, हमारे सब तथ्य सामने आ जायेंगे। आपने न तो अपना वर्शन दिया, न हमारा वर्शन रखा। इसलिए आपसे निवेदन है कि एफ. आई. आर. पढ़ दीजिए, वह बातें सामने आ जायेंगी फिर हाउस उस पर चर्चा करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी जब उत्तर देंगे तब उसके बारे में बता देंगे। उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एफ. आई. आर. के लिए कह रहा हूं। F.I.R. is not a private document.

श्री अध्यक्ष : I do not say

श्री भंवरलाल शर्मा : It is a public document. यह पब्लिक डाकूमेंट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर भी बाध्य नहीं किया जा सकता....

(व्यवधान)

मैं बाध्य नहीं कर सकता, आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब बता देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : एफ. आई. आर. पढ़ दें आप पहले। एफ. आई. आर. क्या है वह बता दें। What is the FIR

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको संकेत दे चुका हूं। श्री शोपतसिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा हो रही थी, जब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब मुझे याद आ रहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : वह बड़े घमण्ड के साथ कह रहे थे कि हमने यह कामयाबी हासिल की, हमने इतनी सीटें लीं, हमने इतनी सीटें ली। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जालिम से जालिम लोगों की हुकूमत रही है और इस तरह के लोग—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : हां, मैं राजा मानसिंह के बारे में बोल रहा हूं। शायद तुम्हें इतना दर्द प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की मौत से

(श्री शोपत सिंह)

नहीं हुआ जितना खुशी का मौका मिला जीतने से। शायद यही बात है। उस बात पर ज्यादा खुश हुए थे आप, मगर मैं उन लोगों में नहीं हूँ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चेयर की तरफ मुखातिब हों।

श्री शोपत सिंह : क्या करूं ? छेड़ते हैं तो जवाब नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालिमों के नाम इतिहास में इस तरह से नहीं लिये जायेंगे कभी भी।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है। तुम तुम कह करके यह बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठिये। स्थान ग्रहण करिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : जिस तरह से यह बोल रहे हैं, लकड़ी से लड़ेंगे क्या हमारे साथ यह क्या तरीका हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : हम कोई मानसिंह के हत्यारे हैं क्या ? हत्यारे तो यह हो सकते हैं। हम उनकी हत्या करने वाले हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये....आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप किस तरह से बोल रहे हैं ?

श्री शोपत सिंह : इतिहास में चंगेज खां का भी नाम है मगर वह और तरह से पढ़ा जाता है। अगर आप यह सोचते हैं और अलग अलग मापदण्ड रखते हैं हत्याओं के बारे में तो यह सिलसिला कोई आपसे शुरू नहीं हुआ। यह बदनसीबी है मेरे मुल्क की, भिण्डरावाला की तरह यह सारी जगह भिण्डरावाला पैदा करना चाहते हैं। यह आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब। इधर कौन सी मुठभेड़ हुई थी ? क्या हुआ था ? अभी जो स्टेटमेंट दिया मुख्य मंत्री महोदय ने राजा मानसिंह के सम्बन्ध में, उसमें यह नहीं कहा है कि राजा मानसिंह की तरफ से गोलियां चलायी गयीं या पुलिस पर हमला किया गया। अगर अटवाल, तुम्हारे डी. आई जी. को मार दे तो क्या पूरे हिन्दुस्तान की पुलिस और फौज चुप रह जावे ? हेलीकॉप्टर की टांग तोड़ दी गई और उस आदमी, जो सदन का सदस्य था, जो लगातार इस सदन का सदस्य रहा है, को एक पुलिस का हाकिम सरे आम बाजार में कतल कर दे इससे बड़े शर्म की बात और हो नहीं सकती। आप किसको बचाना चाहते हैं ? क्या करना चाहते हैं आप ? राजा मानसिंह ने बार-बार इस बात को बताने की कोशिश की कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुण्डे व्यवधान डाल रहे हैं चुनाव प्रचार में, सारे पोस्टर्स फाड़ दिये। आपने कोई कदम नहीं उठाया। आपने कुछ नहीं किया। इसके जवाब में अगर महाराजा

(श्री शोपत सिंह)

मानसिंह ने आपके हैलीकोप्टर की टांग तोड़ दी तो उसके लिए कानून है, उस कानून में जाना चाहिये । 307 का मुकदमा किस आधार पर आपने बनाया ? वह मैं आपसे पूछना चाहूंगा । कौन से ऐसे कारण थे....

(व्यवधान)

चोट लगी थी ड्राईवर के ? नहीं लगी चोट ड्राईवर के ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री शोपतसिंह : मुझे आपके कारनामे पता हैं । यह तो हैलीकॉप्टर की टांग ही तोड़ी, तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हारी फौज ने, नागपुर में क्या किया, पूछना चाहता हूं, बहुत से लोग होंगे ? नागपुर में तुम लोगों ने क्या नहीं किया ? उन पर कोई एक्शन नहीं होगा । तुमने बहिन-बेटियों की इज्जत नीलाम की नागपुर में जाकर । तुमने कोई एक्शन नहीं लिया ।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। बैठिये प्लीज ।

श्री शोपतसिंह : कोई एक्शन नहीं लिया । गर्ल्स होस्टल में गये तुम । तुमने तहस नहस कर दिया सारे देश को । तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय शोपतसिंहजी कृपया तुम और तुम्हारे शब्दों का उपयोग नहीं करें । आप शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा शब्द है ।

(व्यवधान)

श्री अश्क अली टांक (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह साबित करें अपनी बात को । आप गये हैं क्या ? यह क्या तरीका है ? यह ग्राम सभा नहीं है । विधान सभा है ।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य को जो बात कहनी है उसी बात को नहीं हुई करें । जो सब्जैक्ट अभी नहीं है उस पर बात नहीं करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर, आडर । सुनिये ।

(4.00 म. प.)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : हमने सारे अखबार पढ़े हैं ।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबार में कुछ भी छपवाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं ।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो इस केस की सच्चाई है वह सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि माननीय सदस्यों का कोई अपमान करने का मेरा इरादा है । मैंने एक घटना का जिक्र किया इस दौरान कि इन माननीय सदस्यों में से बहुत से नौजवान उस फौज के सिपाही हो सकते हैं जो नागपुर में गये थे क्योंकि यूथ्स को दिये हैं ना टिकट हमारे राजीव गांधीजी ने । हमारे माननीय प्रधान मन्त्री देश के....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह क्या तरीका है, अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य । विषयान्तर नहीं हो, जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उसी विषय पर आप बात करें । दूसरों को उत्तेजित न करें ।

श्री शोपतसिंह : मैंने चर्चा की थी कि देश में कानून और व्यवस्था की हालत कैसी है । राजा मानसिंह को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये । आप स्वयं भी व्यवधान डाल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : सी. पी. जोशी भी विषय के अन्तर्गत नहीं बोल रहे थे । वह भी डावली गा रहे थे इस कांग्रेस की ।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, यह विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कई बार कहा है, व्यवस्था में सहयोग दीजिए । माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दी है, उत्तेजित न होइये, एक साथ मत खड़े होइये । आपत्ति है तो कोई भी माननीय सदस्य एक खड़े होकर मुझे बताइये लेकिन यह नहीं कि सभी एक साथ खड़े हो जायेंगे । सदन की कार्यवाही चल नहीं पायेगी । व्यवधान मत लाइये, माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीरता से इस प्रकरण को शुरू किया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि वह गंभीरता अब इसमें रह नहीं पायी है । माननीय सदस्य जिस ढंग से इसको ले रहे हैं उससे

(श्री हरिदेव जोशी)

विषय की गंभीरता मर रही है और विषय से इधर उधर हो कर के एक तरह से सारे विषय को ही ग्रोझल किया जा रहा है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने इस बारे में व्यवस्था दे दी है। विषयान्तर न हों. माननीय सदस्य, विषय पर बोलें।

श्री शोपत सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने कोई विषयान्तर बात नहीं कही थी। मैंने कहा कि देश के ग्रन्दर....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजस्थान तक सीमित रखिये।

श्री शोपत सिंह : राजस्थान भी देश का हिस्सा है इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ा।

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, ग्रध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं ग्राता।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी, ग्रावश्यक नहीं कि हर विषय पर ग्राप बोलें पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य मन्त्री के भरतपुर में राजा मानसिंह की हत्या के ऊपर स्टेटमेंट पर, वक्तव्य पर बहस चल रही है। मेरा ग्रापसे निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर डिबेट हो रही हो तब माननीय सदस्य बोलें तो ठीक है लेकिन राजा मानसिंह की हत्या के बारे में इस तरह की बात कहते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

माननीय दाऊदयाल जी बैठिये। स्थान ग्रहण करिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : दूसरों को सीख देने जा रहे हो।

श्री शोपत सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, नागपुर का जिक्र मैं राज्यपाल के ग्रभिभाषण पर चर्चा के समय ही करूंगा, ग्रभी नहीं करूंगा। इस हत्याकाण्ड में एक तो मुद्दा-307 का केस कैसे बना, यह बता दें। कोई भी ग्रनपढ़ से ग्रनपढ़ ग्रादमी जानता है कि 307 की डेफिनेशन यह होती है कि किसी को मारने के इरादे से चोट मारी जाय। वह चोट भी शरीर के ग्रन्य किसी हिस्से पर नहीं, ऐसी जगह मारी जाय जिससे ग्रादमी मर जाय। उस ग्रादमी के ग्रगर लाठी से चोट सिर पर मारेंगे तो 307 का केस नहीं लग सकता। पर गंडासे की चोट सिर में मारेंगे तो 307 का केस होगा। इसलिए 307 की ग्रौर मिट्टी पलीत कर रहे हैं। ग्रापके ग्रधिकारी यह मजाक उड़ायेंगे ग्रापकी पुलिस का। ग्रापकी इस पुलिस का मजाक उड़ाया जायेगा कि

(श्री शोपत सिंह)

आपकी पुलिस ने 307 का मुकदमा इसीलिए बनाया कि राजा मानसिंह को तंग किया जाय, पकड़ा जाय। उस दौरान जब ऊपर से आदेश आया तब हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री को यह कैसे इतनी दया आ गई, कैसे इतने पवित्र आदमी बन गये, उन्होंने कहा कि मेरे से रहा नहीं गया, मैं तो बस बैठा बैठा सकते में आ गया, अन्तरात्मा की आवाज ने मुझे बहुत कचोटा। अन्तरात्मा की बात नहीं थी उनको डांट पड़ी सेंटर से इसीलिए डाँट पड़ी कि भरतपुर के राजघराने का व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है। श्री नटवर सिंह जी ऊपर हैं और केन्द्र में मन्त्री हैं, उनकी नाराजगी को बरदाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे मुख्य मन्त्री की गिल्टी कांशियस थी ! दो तरह से आदमी इस्तीफा देता है। एक तो अन्तरात्मा की आवाज होती है तब देता है या जब गिल्टी कांशियस हो तब आदमी उस पर पश्चाताप करता है या इस्तीफा देता है। यह इस्तीफा मैं नहीं समझता कि हमारे माथुर साहब ने कोई अन्तरात्मा की आवाज पर दिया। आत्मा तो थी ही नहीं इनके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : आत्मा नाम की चीज तो हमारे माथुर साहब में थी नहीं। आत्मा नाम की चीज हमारे मुख्य मन्त्री में थी नहीं, कभी नहीं रही। सारे कीर्तिमान तोड़ दिये, अब तक के। किसानों को मारा। बलात्कार काण्ड का जब विरोध करने के लिए गये तो उन लोगों का शिकार किया है हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने। इसलिए आत्मा की बात तो मैं नहीं मानूंगा कि उनमें आत्मा नाम की कोई चीज होगी। मगर यह गिल्टी कांशियस थे। इनको डर था कि यह भाण्डाफोड़ होगा तब मेरा नाम आयेगा इसलिए इससे पहले ही इस्तीफा दे दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हम उस गंभीरता को तोड़ना नहीं चाहते। आप अभी कह रहे थे कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से आपकी सरकार ले रही है ? हम गंभीरता से ले रहे हैं इस बात को। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं पकड़ा गया कानसिंह को ? जब यह साबित हो गया कि राजा मानसिंह ने कोई गोली नहीं चलायी तो who is culprit ? आप पकड़िये कानसिंह डी. वाई. एस. पी. को, सारे के सारे मुकदमे का भेद बता देगा। क्या बात करते हैं आप। रोज लोगों को पीट-पीट कर पैर सुजा देते हो, लोगों का सारा शरीर सुजा देते हो, आज आप पकड़ कर देखें तो सही, सारे भेद खुल जायेंगे। आप सी. बी. आई. के नाम से, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के नाम से इस मामले को शान्त करना चाहते हैं। यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी सन् 85 है, सन् 80 नहीं है। सन् 85 में से गुजर रहे हैं। हिन्दुस्तान की जनता अब जानती है कि न्याय किस तरह से लिया जा सकता है। हम जन-आन्दोलन करेंगे, इसके खिलाफ बगावत करेंगे आपकी सरकार के खिलाफ, आपके प्रशासन के खिलाफ अगर इसी प्रकार की बातें होती रहीं और इन पर काबू नहीं पाया गया तो। सवाल इस बात का नहीं है, पुलिस प्रशासन को अपने काबू में नहीं किया तो किस की गारण्टी है कि इस प्रदेश में कोई भी अपनी

(श्री शोपत सिंह)

बात कह सकेगा। यह कोई पहला मौका नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो फैक्ट्स हैं, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय नत्थीसिंहजी ने बहुत कुछ बता दिया इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर एक ही बात कहता हूं कि यह 307 का मुकदमा नहीं है। जिन लोगों को मारा है, शिकार किया है उनको मारा नहीं है। एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह किया है, बहुत गुनाह किये हैं और इन गुनाहों का प्रायश्चित एक ही तरीके से हो सकता है कि जो असली मुलजिम है उनको पकड़ कर नंगा कीजिये, उनको बताइए ताकि आपकी भी छवि सुधरे और इस देश में शांत वातावरण बने, लॉ एण्ड आर्डर की सिच्युएशन भी ठीक रहे।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में सूचना 34/85 और 35/85 का उल्लेख किया था, और यह बताया कि उनके आधार पर 147, 427 और 307 का केस रजिस्टर किया गया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 288 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्राथमिक सूचना के कन्टेन्ट्स थे, किस आधार पर यह 307 का केस बना? मैं श्रीमान् से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी प्रतियाँ सदन की मेज पर रखी जायं ताकि सभी माननीय सदस्य देख सकें, और जानकारी कर सकें कि किस आधार पर यह 307 का केस बनाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी चर्चा का यह विषय नहीं है। चर्चा का विषय है मानसिंह हत्या काण्ड में जो कुछ भी बातें हुई हैं जिस पर स्थगन प्रस्ताव आया था जिस पर व्यवस्था दी गई है, उस पर चर्चा हो रही है। स्टेटमेन्ट आया है, स्टेटमेन्ट पर विचार चल रहा है। इसमें अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी किसी चीज का उल्लेख या स्पष्ट करना उचित समझें तो जवाब के वक्त स्पष्ट कर देंगे। इसको सदन की मेज पर रखना मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। व्यवधान न डालें।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं नियमों को पढ़ना चाहता हूं। 288 में प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वसुन्धरा राजे। मैं बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा धौलपुर क्षेत्र जो है वह कुछ ही दिन पहले से जिला बना हुआ है। उसके पहले भरतपुर का ही एक अंग था और आज भी हम यह समझते हैं कि हमारा धौलपुर आज भी भरतपुर से बहुत ही निकट सम्बन्ध रखता है। हम ही जानते हैं कि राजा मानसिंह जी की हत्या के बाद

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमारे दिल पर क्या बीती है। एक महीने से हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। हम यह देखने के बाद यह सोचने लगे हैं कि शायद आप इतनी गंभीरता से इस विषय को नहीं देख रहे हैं जिस तरह से भरतपुर और धौलपुर के लोग इसे देख रहे हैं। मैंने धौलपुर में भी और भरतपुर में भी दौरा किया था और मैं जानती हूं कि उनके दिलों में क्या आग लगी है। हां, ठीक है राजस्थान में लोग बहुत दुखी हैं और देश की निगाह भी इस घटना पर लगी हुई है। परन्तु हम डायरेक्टली इन्वाल्वड हैं। हम ही जानते हैं, हमारे दिल में कितनी आग लगी है। आधे घण्टे से मैं देख रही हूं, कि हमारे वरिष्ठ नेतागण ने पूरा केस आपके सामने रखा हुआ है। आधे घण्टे से मैं सामने बैठे कई माननीय सदस्य महोदयों को देख रही हूं, कोई झपकियां मार रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, किसी ने भी गम्भीरता से इस विषय पर ध्यान दिया नहीं है। मैं समझती हूं इन सभी का इस समस्या के प्रति माइन्ड क्लोज्ड है। ऊपर से यह संकेत पर मौन लिए बैठे हुए हैं, इनमें से तो कोई इस घटना पर ध्यान देने वाला नहीं है। ऊपर से संकेत यहां नहीं मिलता। मैं इतना कहना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में बस्तर काण्ड हुआ था, अलवर में वहां के महाराजा का हत्या काण्ड हुआ था। कहीं ऐसा न हो वैसे ही यह काण्ड भी आपकी फाइलों में बन्द हो जाय जिस तरह से अन्य काण्ड बन्द हुए हैं। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो इस पर आप आश्वासन ही नहीं दें कुछ एक्शन लेकर हमको दिखायें और क्षेत्र के लोगों के दिलों को शान्ति दिलायें। ऐसा न हो कि जो आग भरतपुर में आज लगी है उस आग की लपेट में आकर पूरा राजस्थान जल जाय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमने सदन की सूचना मिलने के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : और स्थगन प्रस्ताव दिये। उसके पश्चात् काफी बहस के बाद आपने आज मुख्य मन्त्री जी से एक वक्तव्य देने को कहा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य को सुन कर ऐसा लगा, मैं तो इसको कोई वक्तव्य ही नहीं मानता क्योंकि इन्होंने मात्र छोटे रूप में, जैसे समाचार पत्रों में आता रहा है उसका एक छोटा रूप बना कर, सरकार का जो वर्णन आता रहा है अब तक उसको सूक्ष्म रूप में बना कर विधान सभा में बोल दिया।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो दो-तीन बातें कही हैं, वहां पर गोली चली पुलिस के द्वारा, वो, मारे गये और मामले को जांच के लिए दे दिया गया। अब उसके बाद कुछ कार्यवाही करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। आपने यह नहीं कहा। आपने यह नहीं बताया, मुख्य मंत्री जी, गोली चलाने के दोषी कौन-कौन हैं। आपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि किस के आदेश से गोली चलायी गयी। एफ. आई. आर. जो दर्ज हुई है उसकी प्रतियां

(श्री नाथूसिंह)

सदन की मेज पर नहीं रखीं। आपने यह भी नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में हत्या की गई। आपने यह भी नहीं बताया कि अब तक सरकार का वर्शन यह रहा, पुलिस का वर्शन यह रहा और जनता का वर्शन क्या रहा। अध्यक्ष महोदय, मामला अत्यन्त गम्भीर है। इसकी गम्भीरता को आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि यह मामला गम्भीर है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए चुनावों के बीच में मुख्य मंत्री को जाना पड़ा और कुछ दिन के लिए आप भी उस कुर्सी पर बिराजे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस काण्ड के बाद बड़े-बड़े वकीलों के शिष्ट मण्डल वहां पर गये, उन्होंने इस मामले की जांच की। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि वहां पर गये, उन्होंने इस मामले की जांच की। जनता के प्रतिनिधि वहां पर गये, उन्होंने इस मामले की जांच की। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि वहां पर गये? अध्यक्ष महोदय, वकीलों के वर्शन को सरकार सच नहीं मानती। जो वकीलों ने कहा है, पत्रकारों ने जो कहा है उसको सच्चा नहीं मानती और जो जन प्रतिनिधि ने कहा है सरकार उस पर भी विश्वास नहीं करती। सरकार विश्वास किस बात पर कर रही है? सरकार विश्वास कर रही है उन लोगों की बात पर जो लोग इस केस के अन्दर इन्वोल्व हैं, जो लोग दोषी हैं। वे लोग क्या कहते हैं, सरकर उस बात को बोलना चाहती है। लोकतंत्र में, अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधि के जो चुनाव लड़ रहे थे, दिन दहाडे गोली मार कर उनकी हत्या कर दी है। उसके पश्चात् छोटा सा एक स्टेटमेन्ट लेकर मुख्य मंत्री विधान सभा में आ गये, इसका मुझे दुःख है।

माननीय कई सदस्य, जो भरतपुर से जीतकर आने वाले, चुने हुए माननीय सदस्य थे, इस समय मौजूद नहीं हैं, वे चले गये हैं। कई माननीय सदस्य जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे थे वे भी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, वे कितनी गम्भीरता से इस विषय को ले रहे हैं इस बात का इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि ज्युडिशियल मामला है इसलिये सदन के अन्दर इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, इस पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मुख्य मंत्रीजी यह बात कहेंगे कि हम किसी को गिरफ्तार कैसे करेंगे जब तक जांच पूरी नहीं होगी। उस जांच के परिणाम नहीं आयेंगे तब तक हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई, उस हत्या के बाद उस मामले को ज्युडिशियल इन्क्वायरी के लिए दे दिया गया लेकिन उसके जो मुल्जिम थे उनको गिरफ्तार किया गया, तत्काल गिरफ्तार किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कानसिंह भाटी और इस मामले में, कांग्रेस में राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर, उनके सेक्रेटरी आदर्श किशोर सक्सेना और और लोग संबधित हैं उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सवाल करना चाहता हूं।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उस दिन जब मुख्य मंत्री जी भरतपुर गये वहां पर मंच को तोड़ा गया उससे उद्वेलित हो गये, मुख्य मंत्री जी को गुस्सा आ गया। विधान सभा के पिछले सत्रों में हम लोगों ने कहा था, माननीय शिवचरणजी माथुर हो सकता है अनुभवी आदमी हों, पुराने हों मगर मुख्य मंत्री के लायक नहीं हैं। यह बात हमने एक बार नहीं कही, कई बार विधान सभा के इस सदन में कहीं। क्योंकि ये ऊपर से थोपे गये थे। यदि इनका चुनाव करते माननीय सदस्य, हो सकता है ये अपना मत योग्य व्यक्ति को देते लेकिन वह ऊपर से थोप दिये गये। हमने यह कहा था, ये मुख्य मंत्री अयोग्य साबित होंगे और वही हुआ। एक इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद, उनके मंच को तोड़ दिया गया इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे आदेश दे दिये कि उनसे निपटो, इनको देख लो। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी जब वहां से आये, आने के बाद डी० आई० जी०, भरतपुर और क्लेक्टर भरतपुर दोनों के सस्पेन्शन आर्डर तैयार कर लिये। इन दोनों को सस्पेण्ड करने के आदेश तैयार कर लिये गये लेकिन उसके बाद दूसरे दिन फोन पर भरतपुर क्लेक्टर ने श्री आदर्श किशोर सक्सेना से बातचीत की और उनसे बात करके उन्होंने कहा, एक झूठी सूचना उनको फोन पर दी, वह फोन 12 बज कर पांच या दस मिनट पर हुआ, फोन पर उन्होंने बताया कि दो आर. ए. सी. के जवान राजा मानसिंह के साथ मुठभेड़ में मारे गये। यह उनको सूचना दी गयी। सूचना के बाद आदर्श किशोर जी ने मुख्य मंत्री से बात की। मुख्य मंत्री जी गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद कहा, राजा मानसिंह की यह हिम्मत कि मेरा मंच तोड़ दे, आर. ए. सी. के जवान मार दे, फायर कर दे, जवान मार दे, घायल कर दे, मार दे, आप लोग क्या कर रहे हैं, निपटो, सबक सिखाओ। उसके बाद जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वायरलेस मैसेज भेजा और उनको गोली मार दी गयी। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी सर्वोच्च स्थान पर हो, राजस्थान का मुख्य मंत्री हो उसके दिमाग में सहनशीलता नहीं हो, वह विचार नहीं कर सके संकट के समय कि क्या उचित है क्या अनुचित, उस व्यक्ति के आदेश से और कुछ लोगों की कान्सप्रेसी से उनको गोली मार दी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हू, उस क्लेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जिसने फोन पर गलत सूचना दी कि दो आर.ए.सी. के जवान मारे गये हैं? क्या आपने उनके विरुद्ध कार्यवाही की? आपने कार्यवाही नहीं की। क्या आपने पुलिस के ऊपर और उस जिला प्रशासन के ऊपर कोई कार्यवाही की, जिससे कि इतनी बड़ी घटना हुयी? यदि राजा मानसिहजी के पोस्टर नहीं फाड़े जाते, यदि उनके झण्डे नहीं जलाये जाते, यदि उनको चुनाव के अन्दर प्रचार करने की सही ढंग से इजाजत दे देते तो यह काण्ड नहीं होता, राजा मानसिंह आज हमारे बीच में होते, इस सदन के सदस्य होते, आज उठ कर नहीं चले जाते। यह पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात के लिये उत्तरदायी है जिसने कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को उनके पोस्टर फाड़ने की और उनके झण्डे जलाने की इजाजत दी,

(श्री नाथूसिंह)

और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, परिणामतः राजा मानसिंह को गुस्सा आया। प्रजातंत्र में सब को प्रचार का अधिकार है। उन्होंने प्रचार में बाधा डाली। राजा मानसिंह ने कहा, ठीक है। यह हमारे पोस्टर और झण्डे जलाते हैं, हमारी मीटिंग्स नहीं होने देते हैं तो हम भी बाधा डालेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में ही। यह घटना इसलिये बताना जरूरी है, जैसा मैंने कहा, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं उनको पता लगे कि प्रशासन ने क्या किया।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उन्होंने मंच तोड़ा। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा, उन्होंने उन पर 307 की धारा लगायी, 307 की धारा कोई मंच तोड़ने में नहीं लगती, कार के टक्कर मारने या हेलीकोप्टर के टक्कर मारने पर भी नहीं लगती, उन पर 307 का मुकदमा नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दायर कर सकते हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि कलेक्टर ने जो गलत सूचना दी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? कलेक्टर ने चुनावों में गड़बड़ी को नहीं रोका, अक्षम रहा, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें यही मामला नहीं है, जो सामान बरामद हुआ है, यह कहते हैं, न्यायिक जांच हुई है। जो स्टेटमेंट जारी किया है सरकार ने माननीय नत्थीसिंह जी ने जिसके बारे में कहा और जिसे कोट किया, मैं उसकी दो लाइनें कोट करना चाहूंगा। जो सरकार की विज्ञप्ति है उसके बीच में कोट कर रहा हूं कि :

"आज दोपहर में सूचना मिलने पर कि मानसिंह डीग की मंडी बाजार में कानसिंह भाटी अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी उन्हें गिरफ्तार करने गयी। उन्हें आते देख कर मानसिंह और उनके साथियों ने जो भारी वैपन कैरियर गाड़ी में सवार थे और हथियारों से लैस थे, अपनी भारी गाड़ी से उप अधीक्षक की गाड़ी के टक्कर मारी और बम्पर फंसा कर पुलिस की गाड़ी को काफी दूर तक खींचा।"

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय यदि वह गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे तो भाग सकते थे, उनके पास जीप थी, वे गाड़ी को लेकर भाग सकते थे, वे डी. वाई. एस. पी. की गाड़ी को टक्कर नहीं मारते। यदि उनका डी. वाई. एस. पी. को मारने का इरादा होता तो जैसा यह लोग कह रहे हैं कि वह हथियारों से लैस थे यह गोली से मार सकते थे लेकिन इस बात में कोई तुक नहीं है। बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने गाड़ी के टक्कर मारी, गाड़ी को बम्फर में फंसा कर घसीट कर ले गये। वे ऐसा क्यों करना चाहते थे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या वह डी. वाई. एस. पी. को मारना चाहते

(श्री नाथूसिंह)

थे, क्या वह भागना चाहते थे ? इन दोनों बातों में, कोई बात समझ में नहीं आती है। बम्फर में फंसा करके गाड़ी को घसीट ले गये और फिर छोड़ा क्यों। चारों तरफ पुलिस थी, पुलिस ने घेरा डाल रखा था वहां पुलिस के पास आर. ए. सी. के जवान खड़े थे हथियार लेकर। राजा मानसिंह, ऐसा कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही थाने में जाकर आये थे कि भाई, मुझे गिरफ्तार करलो, किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया; चेतावनी भी नहीं दी। पुलिस ने इतना किया, केस दर्ज किया। माननीय सदस्य ने अभी नोट करके बताया है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं उनके पास से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। देशी कट्टे में कितनी गोलियां आती हैं, अध्यक्ष महोदय, देशी कट्टे में एक गोली आती है। उन्होंने कहा कि फायर किया। फायर करने के बाद तो देशी कट्टा खाली हो गया। उस देशी कट्टे से, मुझे समझा दीजिये, किस को मारना चाहते थे। पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है एक राजा होकर एक देशी कट्टा रखें, वे रिवाल्वर नहीं रख सकते थे ? क्या वह पिस्तोल नहीं रख सकते थे ? उनके पास लायसेंस के हथियार होंगे। अध्यक्ष महोदय, वह देशी कट्टा रखें, राजा होकर जनप्रतिनिधि होकर देशी कट्टे को रखें, समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, जब डाकू को भी पकड़ा जाता है तो पुलिस को हिदायत होती है, पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि डाकू को जिन्दा पकड़ने की कोशिश करो, गोली भी मारो तो उसके पांव में मारो, हाथ में मारो। लेकिन गोलियां कहां लगीं ? कनपटी में लगीं, पसलियों में लगीं। इससे इन्टेंशन का पता लगता है कि पुलिस का उनको पकड़ने का इरादा नहीं था। राजा मानसिंह को मारने का इरादा था। वह क्यों मारे गये ? इसके पीछे भी कहानी है, अध्यक्ष महोदय। यह सारी बात तय करती है कि राजा मानसिंह को पकड़ना नहीं चाहते थे। यदि पकड़ना चाहते तो घेराबन्दी करके पकड़ भी सकते थे। लेकिन पकड़ने की कोशिश नहीं की। गोली मारने की कोशिश की और गोली मार दी। उनको ही नहीं उनके साथियों को भी गोली मार दी। यह तो समझ में आता है कि राजा मानसिंह भाग रहे थे लेकिन उनके साथी क्या कर रहे थे उनको क्यों गोली मारी गयी, उनको भी गोली मारी गयी।

अध्यक्ष महोदय, वकीलों का वहां पर शिष्ट मण्डल गया। उन्होंने जाकर जांच की। उन्होंने लोगों से पूछा। पूछने पर सारे वकीलों ने, इसमें शायद सभी पार्टियों के वकील थे, वर्णन दिया कि धारा 307 में मुकदमा उनके खिलाफ नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं जो कहता हो कि राजा मानसिंह ने भागने की कोशिश की हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहता हो कि राजा मानसिंह ने गोली चलाने की कोशिश की। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कह रहा हो कि पुलिस निर्दोष है। सारे लोग यह कह रहे हैं कि पत्रकारों का दल गया, उन्होंने सब के वर्णन छापे हैं, सारे लोगों के बयान लिये जो वहां पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय पुलिस ने गवाहों को भी मिटाने की चेष्टा की। वहां पर एक मोची है जो कि जूते गांठ रहा था जिसने उस

(श्री नाथूसिंह)

घटना को देखा है । पुलिस ने सोचा कि यह जिन्दा रह गया तो सब सच बतायेगा । पुलिस ने बूटों की ठोकर मारी, रायफल की बटों से उसको मारा और कुछ ही दिनों पहले उसकी मृत्यु हो गयी । अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जानबूझ कर के सुबूत मिटाने की कोशिश की । पुलिस ने जानबूझ करके राज्य सरकार से गलत बयान दिलाया, सरकारी विज्ञप्ति दिलायी ताकि जांच हो, उस जांच में पुलिस बच सके । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्रीजी, आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आज तक उन हथियारों को बरामद क्यों नहीं किया गया जिनसे राजा मानसिंह की हत्या हुई ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट में आप यह बात तो बता सकते हैं । आप कह रहे हैं कि बाकी बातें बताऊंगा तो उससे जांच पर इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा । लेकिन इस बात से जांच पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि आपने हथियार बरामद किये कि नहीं किये ? आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? कौनसे हथियार थे जिनसे, रायफल से गोली चलायी ? कितने डिसटेंस से गोली मारी गई ? कितनी गोलियां चलायी गयीं ? आज तक कहीं पता नहीं है । कभी कहते हैं इतनी गोली चली कोई कहता है इतनी गोलियां लगीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में । आप वही सब दोहरा रहे हैं जो पहले कहा जा चुका है ।

श्री नाथूसिंह : मैं नयी बात कह रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में ।

श्री नाथूसिंह : इतना ही नहीं लाश अन्दर पड़ी हुयी थी उनकी, लाश से जो सामान बरामद किया पुलिस ने, तीन चीजें बरामद हुई तो बता दी लेकिन चौथी चीज नहीं बताई । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पर्स बता दिया, जेब की घड़ी बता दी और एक छल्ला बताया लेकिन सोने की एक अंगूठी नहीं बतायी जिस पर हनुमानजी का निशान था, 1944 में जब राजा मानसिंह इंगलैंड से आये थे उनके पास तब से वह अंगूठी थी, मिसेज मानसिंह जब अन्दर लाश लेने गयी तो उन्होंने कहा कि वह अंगूठी है क्या । देखा, वह अंगूठी नहीं मिली । पुलिस ने उस अंगूठी को भी गायब कर दिया । मैं पूछना चाहता हूँ, अंगूठी कहां है ? क्या आपने जांच की, वह अंगूठी कहां है ? उनको मार दिया और उनकी जो प्रतीक थी, अंगूठी, पुलिस ने सोने की उस अंगूठी को गायब कर दिया । अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है ।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ, आज यह लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो जांच के बाद कार्यवाही करेंगे इसके पहले कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ मुख्य मन्त्री जी यह मामला मामूली नहीं है । कान्सप्रेसी है । नटवरसिंह जी आने वाले थे, राजीव जी का स्टेटमेंट आया कि उनके प्रतिनिधि हो करके वे आयेंगे । वे क्यों नहीं आये ? रेडियो बोला, अखबार बोला, उसके बाद भी वे नहीं आये क्योंकि उनके दिल में डर था । इसके पीछे कान्सप्रेसी थी ।

आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इसमें दोषी कौन-कौन

(श्री नाथूसिंह)

लोग हैं, उनके पीछे का कैरियर क्या रहा है। कानसिंह भाटी का कैरियर क्या है, और जो अधिकारी इस मामले को डील कर रहे थे मुख्य मन्त्री जी के सैक्रेटरी, उनका क्या है। राजा प्रतापसिंह की मौखिक आदेशों से हत्या करवायी, राजा मानसिंह की मौखिक आदेशों से हत्या करवायी। इस तरह के मौखिक आदेशों के आधार पर ये हत्याएं होती रहीं तो किस आधार पर लोकतंत्र चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मौखिक आदेशों के आधार पर हत्या हुई है, इसका आप कैसे प्रमाण जुटा पायेंगे? लेकिन ये हत्या हुई है इसलिये, मुख्य मन्त्री जी, जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, कान्सप्रेसी जिन लोगों ने की है उनको गिरफ्तार किया जाय। आप कहते हैं कि शिवचरण जी को गिरफ्तार करेंगे तो न मालूम क्या हो जायगा। आप डरते हैं कि आई.ए.एस. ऑफिसर्स को गिरफ्तार करेंगे तो कोई आसमान टूट जायगा। आप सोच रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी जो दोषी है उनको गिरफ्तार करेंगे तो पुलिस प्रशासन के अंदर कोई हंगामा खड़ा हो जायगा। लेकिन, मुख्य मंत्री जी, आप डरिये मत। यदि इन चीजों के अन्दर पुलिस से आप डरने लग गये, इन अधिकारियों से आप डरने लग गये तो जनता की बहुत बड़ी ताकत है जो इन, आई. ए. एस. ऑफिसरों को भी देख लेगी, पुलिस को भी देख लेगी और जो आप लोग सत्ता में बैठे हो और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हो, उनको भी जनता देख लेगी। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में, संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : ये कह रहे हैं कि हमने सी. बी. आई. को जांच के लिये दे दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोहरायें नहीं, कोई नयी बात हो तो बता दीजिये। आप तो दोहरा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : सी. बी. आई. को जांच के लिये दे दिया........सी. बी. आई. कैसे जांच कर....

(व्यवधान)

सी. बी. आई. भरतपुर के डाक बंगले में बैठी है, बन्द है। वहां बन्द है। कैसे जांच कर रही है? एक-एक आदमी को पकड़ कर बुलाते हैं, डाक बंगले में बुला करके चार पांच ऑफिसर चारों तरफ हो जाते हैं, उसको धमकाते हैं, बताओ। इस तरह से उनका बयान ले रहे हैं। बयानों की गति धीमी कितनी है। कितने दिन जांच की घोषणा किये हुए हो गये, आज तक केवल 15-20 लोगों के बयान लिये गये हैं। यह कितनी धीमी गति से जांच हो रही है। जानबूझ करके इस जांच को धीमा कराया जा रहा है। सरकार का यह रवैया आज नया नहीं है रवैया पुराना है। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, हमने इस विधान सभा के अन्दर दो मामले उठाये थे। कोटपुतली के अन्दर गोलीकांड हुआ उस मामले को हमने उठाया। सरकार ने कहा कि हम कार्यवाही नहीं करेंगे, इसकी जांच करवायेंगे। वह जांच आज तक पूरी हो रही है। उस जांच को बार-बार अवधि बढ़ायी जाती है। वह जांच पूरी नहीं हुई। धना के अन्दर गोलीकांड हुआ। अभी गोविन्दसिंह जी खोज कर रहे थे, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे थे मैं इनसे

(श्री नाथूसिंह)

ही कहना चाहता हूं यही दन मंत्री थे, यही होम मिनिस्टर थे उस समय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : माननीय यदुनाथसिंह जी ने और मैंने वह सवाल विधान सभा में उठाया था । इन्होंने कहा था कि बन्दूक की नोक पर चराई नहीं रोकी जायगी । उस घोषणा के आधार पर वहां के किसानों ने वहां पर गायें चराई । वहां पर लोगों को गोली से भून दिया गया । उसकी जांच का दो बार पीरियड बढ़ा दिया गया । आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें । कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : समाप्त कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय ।

सरकार का मन साफ नहीं है । सरकार जानबूझ कर इस मामले को लम्बा करना चाहती है ताकि इसके बाद लोगों की भावनाएं समाप्त हो जाय और मामले को दबा दिया जायें । मुख्य मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है आप सरकार में हों, सरकार के सहारे और पुलिस के सहारे आप राजा मानसिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर सकते हैं लेकिन इतनी कमजोर जनता को और जनता के प्रतिनिधियों को मत समझो । यदि आपने कानून की रक्षा नहीं की, लोकतंत्र की रक्षा नहीं की तो आपकी यह पुलिस की बन्दूकें काम नहीं करेंगी । यदि आपने कानून के अनुसार पुलिस को सजा नहीं दी, लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं की तो ये बन्दूकें, जो पुलिस के हाथ में हैं, जनता के हाथ में होंगी । उसके बाद आप लोगों की क्या गति होगी इसका भगवान् ही मालिक है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : जनता हाथ में बन्दूकें उठायेगी । आप किसी को कमजोर मत समझिये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : समाप्त कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले में आप इन्क्वायरी की, जांच हो रही है उसका इन्तजार नहीं करें, जो दोषी व्यक्ति हैं शिवचरण माथुर, वहां के कंसर्न्ड ऑफिसर हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : उनको गिरफ्तार कीजिये । गिरफ्तार करने के बाद जो झूठे मुकदमे बनाये गये हैं बाकी लोगों पर उनको समाप्त करें । पूरा प्रकरण जल्दी से जल्दी पूरा हो इसके लिये कार्यवाही करें····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वह हमारी डिबेट के

(श्री केदारनाथ शर्मा)

दायरे को बड़ा लिमिट करता है। मैं उसी मर्यादा को बांधते हुए जो उस प्रसंग इससे पैदा हुए हैं, जो इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। स्टेटमेंट वैसे अपने आप में बहुत वेग है, बहुत इन कम्पलीट है। तो उसमें कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना ही नैरेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। उस आधार पर हम अपनी कोई राय बना दें मेरा ख्याल है, यह एक भूल होगी। आपने अपने स्टेटमेंट में कुछ हवाला दिया एफ. आई. आर. का। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपने व्यवस्था दे दी है, रूल 288 के तहत आपने व्यवस्था दे दी, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। उस रूल की साफ मन्शा है, स्टेटमेंट के अन्दर जिन एफ. आई. आर. का हवाला हो जाये उससे संबंधित जितने भी रेलेवेंट पेपर्स हैं वे मेज पर रखे जाने चाहिये। उसकी मन्शा यही है। इसलिये जितनी भी एफ. आई. आर. हैं, चार एफ. आई. आर. हैं जब तक उनकी कॉपीज हमारे सामने नहीं आयें, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आये, जो वेपिन कैरियर सीज किया है स्वर्गीय मानसिंह जी का जब तक उनका पंचनामा हमारे सामने नहीं आये तो, मान्यवर, आप भी वकील रहे हैं, मुख्य मन्त्री भी रहे हैं, बहुत एक्सपीरियेंस आपने हासिल किया है यहां पर बतौर विधायक के, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या आप कोई राय बना सकते हैं? आज सारे ऑफिसर्स वहां पर हैं। दो केसेज हैं, एक तो मर्डर का केस क्लीयर है। माननीय सदस्य यहां जो हम बैठते हैं, मैं इन्वेस्टीगेट यदि यह कर देता और उसके खिलाफ 302 के तहत दर्ज होता आई. पी. एस. के तहत उसका कर्तव्य क्या है। फौरन अरेस्ट कर लें, और अगर अरेस्ट नहीं करें हिरासत में ले लें, जब नामजद हो जाय पर्चा, फलां व्यक्ति ने मेरे आदमी को गोली मारकर मार दिया तो कोई गुन्जाइश नहीं रहती, कोई सस्पीशन नहीं, सिवाय इसके पुलिस के ऑफिसर के लिये कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे अरेस्ट करे फौरन। दो दिन क्या करती रही पुलिस? एक तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है, एक कान्सप्रेसी का है। कान्सप्रेसी के बारे में आज नहीं कह सकता, यह लम्बा चलेगा, यह इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसमें कई फैक्टर्स इन्वोल्व्ड हैं, उसमें टाइम लग सकता है। मौजूदा जो ऑफिसर वहां बैठे हैं 20, 21, 22 और 23 जिनके सामने ये सारे इवेंट्स हुए थे, ट्रेजेडी हुई हैं क्या आप सोचते हैं उनके होते हुए कोई आदमी अपनी सही एविडेंस दे पायेगा? क्या पैनल केसेज नहीं बनाये गये? अफसोस की बात है क्या केस में उनको इन्वाल्व इन्क्वायर नहीं किया जो आई विटनेस थे राजा मानसिंह जी की हत्या के, आई विटनेस हैं, क्या उनको इन्वाल्व झूठे केसेज में नहीं किया? क्या उनकी हिम्मत होगी, सही बात कह पायेंगे? उनके अन्दर डर है, दहशत है, उनके अन्दर भय है, 307 के केसेज उनके ऊपर आप लगा दें। फिर आप यह कहो कि सही एविडेंस दे पायेंगे, मेरा ख्याल है नहीं। इसलिये फौरन आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो वहां अफसर हैं, उनको हटाइये मैं यह नहीं कहता कौन-कौन उसमें शामिल हैं, नहीं शामिल है, मैं पहले कह चुका यह उनके आज ही तबादले यहां पूरे हो जायं। जो श्री कानसिंह जी है,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मैन इन द स्ट्रीट लॉ के सामने एक से हुआ करते हैं। 302 के तहत जो आज तक आपका फर्ज है, उत्तरदायित्व है पुलिस ऑफिसर्स का वैसा ही ट्रीट कीजिये कार्नसिंह जी को, वहां यह नहीं ली जाय आड़ कि आर. पी. एस. अफसर हैं। कानून की आंख के सामने सारे बराबर हैं। इक्वलिटी ऑफ लॉ। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं, उसको सस्पेंड फिर क्यों किया आपने? सस्पेंशन किस बात का? कोई सस्पेंशन मत कराइये। कोई कुछ नहीं कह रहा है सिवाय इसके कि उसको 302 में अरेस्ट कर लीजिये। अगर वह सेल्फ डिफेंस में अपना केस प्लीड करते हैं तो यह कोर्ट का काम है, यह हमारा आपका काम नहीं है, यह पुलिस का काम नहीं है मार्जिन देना, डाउट का मार्जिन देना पुलिस का काम नहीं है, यह कोर्ट का काम है, कान्सप्रेसी का केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन आपने एन्ट्रस्ट कर दिया। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को टाल दिया। अफसोस मुझे इस बात का है कि उन्हें दो दिनों का वक्त मिला। फौरन गिरफ्तार कर लेते सारे अफसरों का तबादला हो जाता तब हम मानते, ज्युडिशियल इन्क्वायरी ऑपरेट करेगी। और ईमानदारी से काम कर पायेंगे। मैं यहां पर न सी. बी. आई. के बारे में कहना चाहता हूं, न ज्युडिशियल इन्क्वायरी के बारे में कहना चाहता हूं, उसका फ़ेट क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, मगर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप से यह निवेदन है, इस डिबेट को लम्बा न करते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी, क्योंकि आपको पहला मौका मिला है कई दिनों के बाद, जैसे हमें मौका मिला, मैं आपके अनुभव पर, खुद के आपके एक्सपीरियेंस पर, आपकी नॉलेज पर विश्वास करता हूं, आप राजस्थान में काफी समय से, पहले भी मुख्य मंत्री रहे हो अब फिर मौका मिला है, आपकी इम्पार्शलिटी, बतौर चीफ मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारी टैस्ट पर है। यह पहला ही केस आपके सामने आया है। हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी गलत आदमी को पकड़ा जाय। कभी नहीं चाहेंगे। मगर सही आदमी जब नामजद हो गया पर्चे में, उसको फौरन गिरफ्तार किया जाय। वहां पर जो ऑफिशियल थे उनका तबादला किया जाय। जो लोग आई-विटनेस थे उनको मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं किया जाय। उनको इन्वॉल्व कर लिया आपने, राजा मानसिंह के साथ जितने भी आदमी थे आई-विटनेस के तौर पर, सारा मर्डर केस, सारी कान्सप्रेसी तहस-नहस हो जायगी। सारी इन्क्वायरी आपकी फाइल हो जायेगी। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, जिन हालात में यह चीज सामने आयी है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी के सामने तो केवल एक ही है, पुलिस की फायरिंग के पीछे जस्टिफिकेशन है क्या? वह ज्यादा ठीक है कार्यवाही चलेगी, लम्बी चलेगी। सी बी आई. का इन्वेस्टिगेशन भी लम्बा चलेगा फाइण्डिंग्स बाद में आ सकती हैं, लम्बी चल सकती हैं लेकिन इसके दौरान में ऑफिशियल का वहां स्टे करना ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं, मैं हाउस के सामने यही निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, आज भी इस बात को समझते हुए उनके तबादले के आदेश, उनके अरेस्ट के आदेश दें। इसमें कोई इम्पेयर

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नहीं होगी, कोई प्रिजुडिस हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन को और ज्युडिशियल इन्क्वायरी की फाइण्डिंग्स को किसी प्रकार का प्रिजुडिसियल, हमारा इण्ट्रप्ट नहीं होगा। एक सही भूमिका पैदा हो जाय, फ्रेम वर्क पैदा हो जाय ताकि वह अपनी इम्पार्शल इन्क्वायरी कर पाये। इतने ही शब्द कहते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम जी।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष जी, मेरी राय में यह मामला सारे प्रान्त के लिये गम्भीर है। इस बारे में जितने वक्तव्य आपने दिये, अब किस स्टेज पर क्या चीज है उसका तो हमको कोई अन्दाजा ही नहीं है। आपने कहा है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी भी है, सी. बी. आई. भी इन्क्वायरी कर रही है। अब किस स्टेज पर क्या चीज हो रही है इसका मुझे तो कोई भी ज्ञान पड़ा नहीं आपके स्टेटमेंण्ट से। जहां तक फैक्ट्स का सवाल है, फैक्ट्स के बारे में भी अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है एफ. आई. आर. में? उधर से कुछ कहा गया, या काफी जानकारियां अखबारों में आयीं, बहुत सी बातों का पर्सनल ज्ञान था वह भी माननीय सदस्यों ने रखा। इसी क्षेत्र में शायद अगले महीने की 24 तारीख को फिर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के अन्दर तो सभी लोग जायेंगे, उस वक्त में भी इस तरह के केस का मामला अगर ठीक तरह से लोगों के सामने नहीं आता है तो उसके भी कई तरह के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं और बातों को कई तरह से उलझाया जा सकता है। अपने-अपने भाषणों में, अपनी-अपनी बातों में लोग कुछ की कुछ बातें कह सकते हैं।

अब इसमें मुख्य मन्त्री जी का इस्तीफा हुआ, जो पहले थे उनका, किन कारणों से हुआ, क्या हुआ इसका हमको भी बहुत ज्यादा तो ज्ञान है नहीं, लेकिन आम तौर से लोगों के अन्दर इस बात को उस बात से जोड़ा जाता है। जो कुछ भी एक्चुअल ट्रुथ है अब उसके ऊपर जो कुछ यह सरकार जांच कराना चाहती है वह जल्दी की जानी चाहिए। जांच की ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए कि जिससे लोगों को लगे कि सत्यता के ऊपर सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं।

भाई केदार जी ने कुछ सुझाव दिये। मैं उनकी कुछ बातों से तो सहमत हूं। उस वक्त मौके पर जो लोग थे जब आगे चुनाव आयें तो कम से कम वे न रहें तो अच्छा होगा। उन्होंने क्या हिस्सा लिया, क्या नहीं लिया, कैसे हुआ, किसकी क्या कान्सप्रेसी थी, किसकी क्या जानकारी थी, इस बारे में तो मैं यहां पर सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं। पर मैं सोचता हूं कि इस मामले में एक तो कार्यवाही आपकी तरफ से जल्दी होनी चाहिए। जो कुछ भी आप इसके बारे में कहें ऑथोरिटेटिवली इस बात को कहें, सदन में भी बतायें और कार्यवाही के अन्दर भी इस काम को आप जल्दी करें। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी वहां पर हैं, जिनकी वजह से यह वातावरण को ठीक करने के लिए अच्छे दूसरे अधिकारियों को वहां लगाने की जरूरत है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो कुछ भी मेरी समझ में आता है, जो कुछ भी छोटी सी कानूनी बुद्धि है उसके हिसाब से 307 का मामला मानसिंह जी के खिलाफ किसी तरीके से नहीं बनता है। उस से क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, जो कुछ भी बात हो, अब उसके बारे में जिस तरह से यह कदम उठाया गया, जो कुछ भी बातें हुई, वह हुई, यह एक गम्भीर मामला जरूर है। इस सरकार के जरिये ठीक तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्युशन हो, लोगों को भी आम तौर से सन्तोष हो, यह लगे भी सरकार ने इन्साफ किया है, यह भावना तुरन्त लोगों में पैदा होना जरूरी है। वह भी हमारे काफी सम्माननीय सदस्य थे। बहुत लम्बे अरसे से चुने आते जा रहे थे लगातार निर्दलीय की हैसियत से। तो कुछ न कुछ उनके अन्दर एक शक्ति थी जिस से लोगों के ऊपर वह आत्मा की दृष्टि से छाये रहते थे। ऐसे आदमी के इस सारे मामले के अन्दर मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में जल्दी कार्यवाही करके लोगों को सन्तोष दिलायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस विषय पर आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं इस विषय पर नहीं बोला हूं। मैंने दिया है संशोधन प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव पर। यह प्रश्न है एडजॉर्नमैण्ट मोशन का।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया बैठिये। कृपया बैठिये माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का मलिन चेहरा और दबी हुई जबान मैंने आज मेरे पूज्य मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी की देखी, आज तक नहीं देखी। जब यह काण्ड हुआ था, जब यह षडयन्त्र रचा गया था तब पुलिस को बनाया गया था सरकार का टूल। आज मुझे दुःख है कि मुख्य मन्त्री जी बयान दे रहे हैं सरकार बयान दे रही है, सरकार पुलिस की रखैल बनी है। उल्टी गंगा बह रही है। अध्यक्ष महोदय, किस तरह की कहानी बनायी जा रही है। उस आदमी को, उस आत्मा को दुख पहुंचाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय। कहा गया, एक कट्टा था। राजा मानसिंह जी को पता था कि कारबाइन से, राइफल से, पिस्तौल से, रिवॉल्वर से पुलिस की राइफलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वह चल कर मथुरा या आगरा से 120 रुपये का बारह बोर का कट्टा पुलिस से संघर्ष करने के लिए लेकर आये। कितनी शर्मनाक बात है। हया आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें करने वाले लोगों को। अध्यक्ष महोदय, क्या होगा? आप दे दीजिए कानसिंह जी को सजा, दे दीजिए।

(श्री यदुनाथ सिंह)

शिवचरण जी माथुर को सजा, सजा नहीं, मैं तो कहता हूं, शिवचरण जी माथुर को बनाइये प्रधान मन्त्री और कानसिंह भाटी को बनाइये यहां का डी. जी.। मगर हमारा राजा मानसिंह हमको दे दीजिए। है आपके पास, ला सकते हैं आप उसको वापस ? आप उस घर की हालत जाकर देखिये, उसके परिवार की हालत देखिये। रानी बिलख रही है। उसकी एक बेचारी बेटी है, अपाहिज बेटी है। उसका क्या होगा, यह सोचा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी सीमा रखें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, तबाह कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं। मुझे पता नहीं, खरे उतरेंगे कि नहीं। हरिदेव जी जोशी में मेरा बहुत सम्मान है। राजस्थान की जनता में इनके प्रति बहुत सम्मान और आस्था है। पता नहीं, यह इनके लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा में खरे उतरेंगे या नहीं।

राजा मानसिंह जी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि राजा मानसिंह को गिरफ्तार करना जरूरी था ? क्या वह कोई डकैत थे ? क्या वह कोई ऐसे फरारी व्यक्ति थे कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी था ? गिरफ्तार करना जरूरी था तो क्या बीच बाजार में गिरफ्तार करना जरूरी था ? चौबीस घण्टे तक आप क्या कर रहे थे ? उनकी लाश के साथ भी, अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार की बेइज्जती की गयी। ढूंढते फिरे हम। लाश कहां है राजा मानसिंह की, ढूंढते फिर रहे हैं। अस्पताल भाग रहे हैं। पुलिस लाइन में लाश को पटक रखा है। ××× अध्यक्ष महोदय, शेर की लाश को ××× पुलिस लाइन में पटक रखा था इन कातिलों के षडयंत्र की मार्फत। अध्यक्ष महोदय, दिन भर मिन्नत करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लाश दे दो। मार दिया कोई बात नहीं। अगर हम जनता को साथ लेकर पुलिस लाइन को नहीं घेरते तो लाश देने को ये लोग तैयार नहीं थे। जब पूरे शहर से भीड़ को ले जाकर पुलिस लाइन को घेरा तो बड़े दबाव में रात होने पर लाश दी।

इनके दामाद को किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से लात-घूंसों से मारा गया बेइज्जती से, हया और शर्म आनी चाहिए। वह तो दामाद था भरतपुर का, वह तो दामाद था राजस्थान का। बूट की ठोकरों से, राइफल के कुन्दों से मारने का काम किया गया। रात को दो बजे हाथ जोड़ रहे हैं कि घर में बुरी हालत है, घर में एक-आध आदमी और मर जायेगा, उनके दामाद को छोड़ दीजिए। तब दो बजे उनको लाकर छोड़ा। शक्तावत साहब, बहुत खुशी हो रही है आपको मेरे ख्याल से, आप हंस सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई जांच की जरूरत नहीं है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है, सी. बी. आई. से जांच की जरूरत नहीं है। मैं, माननीय मुख्य मन्त्री

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह)

जी, आप में पूरा विश्वास करता हूं। आप डीग के बाजार में किसी को साथ मत ले जाइये, हमको मत साथ ले जाइये, हम सरासर झूंठ बोल रहे हैं यह मानकर, आप बीच बाजार में खड़े होकर स्वयं जांच कर लीजिये, आपकी जांच पर हमको पूरा भरोसा है, अध्यक्ष महोदय। मुख्य मन्त्रीजी स्वयं न्यायाधीश के रूप में खड़े होकर जांच करें। ज्युडिशियल इन्क्वायरी की तो शायद अभी बहस नहीं होगी, यह सदन स्वयं सर्वभौम सत्ता सम्पन्न है, सर्वशक्तिमान है, इस सदन का फैसला हो, और मैं चाहूंगा कि एक नजीर पैदा हो। इस प्रकार के आदमी को मार देने के मामले में यह सदन स्वयं अदालत का काम करे, जो भी अपराधी हों उनको यहां सुनने का काम यह सदन करे, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप सुनवाई करते रहिये, सी. बी. आई. को दीजिये, आई. बी. को दीजिये, किसी को दीजिये, वह आदमी तो वापस आने वाला नहीं है लेकिन उसके साथ न्याय हो इसलिये मैं अपनी विनती इस मौके पर पूरे सदन से करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

एक माननीय सदस्य : विधायकों की एक कमेटी बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक दो बातें ही कहनी हैं, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : सब कुछ कह दिया गया फिर दुबारा कहा जायेगा। माननीय सदस्या, कृपया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बहुत लम्बा बोलेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं एक मिनट देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों को अवसर देने में मेरी मजबूरी है। माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भय रहित वातावरण में चुनाव कराया जाय यह सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने उस जिम्मेदारी को वहन नहीं किया। उसके बावजूद अभी भी 302 का केस इसलिये बना कि पुलिस के लोग बच जायं। इसलिये गलत केस बनाया गया। मेरा कहना यह है कि उन अपराधियों को वहां से हटाइये। जब तक उन अपराधियों को नहीं हटायेंगे, जिन्होंने उनको मारा है गोली से, वह पुलिस अधिकारी जब तक हटा नहीं लिये जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह बात सदन में कही जा चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तब तक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सारी इन्क्वायरी प्रभावित होगी और इन्क्वायरी से कोई तन्त नहीं निकलेगा। यहां पर रामगंज के थाने में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विषयान्तर न हों।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक व्यक्ति को मारा गया और यह कहा गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विषयान्तर न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां की पुलिस बिगड़ती जा रही है, पुलिस का रवैया बिगड़ता जा रहा है। सड़कों पर किसी को मार दे, थाने में किसी को मार दे

श्री डूंगरराम पंवार : ऐसे पुलिस अफसरों का ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुधारिये इनको, बरात ये पीटे, आदमी ये पीटे, डकैत ये पीटे और राजा जैसे सौम्य प्रकृति के व्यक्ति, जो हमारे साथ निरन्तर विधान सभा समिति में रहे, हमारे साथ यहां माननीय सदस्य रहे....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन जैसे व्यक्ति को मारा तो अन्य साधारण व्यक्ति को कैसे छोड़ेंगे। मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, ऐसे अपराधियों को पकड़िये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें,

माननीय मुख्य मन्त्री जी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ताली किस बात की पीटते हैं बार बार। हर मौके पर ताली पीटते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। माननीय सदस्यगण।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह की....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों का व्यवहार इस पर कितना गम्भीर है उसका परिणाम है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को पूरी तरह से सुना है। अगर यह विश्वास करें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पिछले वर्षों में राजा मान सिंह जी का मुझसे निकट का सम्बन्ध रहा है। शुरू शुरू में मैं एम. एल. एज. क्वार्टर्स नम्बर 4 में रहता था और वे नम्बर 2 में

(138)

(श्री हरिदेव जोशी)

रहते थे, हम पड़ौसी रहे और पिछले 5 वर्षों से हम दोनों एक कमेटी के सदस्य रहे। कमेटी के सदस्य रहने के कारण कितनी घनिष्ठता पैदा होती है इसको माननीय सदस्य जानते हैं। इसीलिये जब मैंने राजा साहब की मृत्यु की खबर बांसवाड़ा में टेलीफोन से अपने पुत्र द्वारा सुनी तो मैं स्तब्ध रह गया। जो तार मैंने रानी साहिबा को दिया वह भी यही था कि मैं स्तब्ध हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो स्थितियां यहां पर कही गई हैं मैं किसी को भी कंटेस्ट करने की इच्छा नहीं रखता। 307 सही था या गलत था, क्या था क्या नहीं था, पुलिस ने ज्यादती की या नहीं की, पर यह तो एक तथ्य है कि राजा मानसिंह मारे गये। इसको मैंने स्वीकार किया है और सार्वजनिक जनसम्पर्क विभाग का जो नोटिफिकेशन था या जो था उन सब को मैंने एवाइड किया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय माननीय नेता महोदय के उत्तर तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सहमति है।

अनेक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इनके उत्तर का मतलब है कि कोई बात होगी तो पूछ लेंगे।

सहमति है?

(स्वीकृति)

समय बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

राजा मानसिंह की कथित हत्या

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी पुलिस के केस को यहां नहीं रखा है, पुलिस के किसी अधिकारी के केस को यहां नहीं रखा है। इसलिये आप कह सकते हैं कि मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह बहुत ही शोर्ट है, सीमित है। वेग है, यह भी आप कह सकते हैं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर पुलिस के पैरोकार की तरह से खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हुआ हूं।

राजा मानसिंह जिस श्रेणी के कार्यकर्ता थे, मैं भी उसी श्रेणी का कार्यकर्ता हूं। अपने आपको उस श्रेणी में रखना अपने लिये जायज मानता हूं, गौरव मानता हूं, मुख्य मंत्री की श्रेणी में अथवा अधिकारियों की श्रेणी में मेरा स्थान नहीं है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अब जो तथ्य आपने कहे हैं मैं उनको किसी को भी कन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं जब परिस्थितियां भिन्न प्रकार की हैं। मुझे जो जानकारी मिली है और मेरे सामने जो फेक्ट्स हैं उसके अनुसार श्रीमती रानी साहिबा ने स्वयं देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को पत्र लिखा और यह चाहा कि आई. बी. से यह इन्क्वायरी होने के बाद

(श्री हरिदेव जोशी)

में वे इस केस को सी. बी. आई. को सुपुर्द कर दें। यह पत्र अखबारों में प्रकाशित हो चुका है इसलिये मुझे उसे यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास में इसके कोई लिखित प्रमाण तो नहीं हैं मगर तारीखों को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री ने शायद रानी साहिबा की रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके इस केस को सी. बी. आई. को सौंपा है।

रानी साहिबा ने बहुत ही गम्भीर शब्दों में लिखा है कि मैं एक एल्डरली लेडी हूं, मैं एक माता की तरह पुत्र को यह चिट्ठी लिख रही हूं। उसका असर हुआ है और इन्वेस्टीगेशन सी. बी. आई. को सौंपा गया है। अब जब इन्वेस्टीगेशन सी. बी. आई. को सौंपा गया है तब राजस्थान राज्य की पुलिस इसके ऊपर क्या कार्यवाही करेगी ? इन्वेस्टीगेशन की एजेन्सी सी. बी. आई. है, उसके सामने दोनों ही पक्ष जो राजस्थान की पुलिस ने एफ. आई. आर. दर्ज करवाई थी वह और राजा मानसिंह जी के जंवाई साहब ने जो एफ. आई. आर. दर्ज करवायी थी वह दोनों ही उनको सौंप दी गई हैं। दोनों ही एफ. आई. आर. उनके सामने हैं और उन दोनों को ही वे इन्वेस्टीगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी की क्या स्थिति है, मुझे मालूम नहीं है। जो इन्फोर्मल इन्फोर्मेशन हमें मिलती है इसके अनुसार वह करीब-करीब कम्पलीशन के ऊपर है। अब यह कान्सप्रेसी थी अथवा नहीं थी, यह अविवेक था अथवा विवेकशून्य था या विवेकपूर्ण था एक्शन, इस पर फैसला आज मैं कैसे दूं और क्या कहूं। और एक बात माननीय सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिये कि इन्वेस्टीगेशन के दरमियान में कोई दूसरी एजेन्सी उसमें इन्टरफियर नहीं कर सकती....

(5·00 म. प.)

क्योंकि उनको सौंपा गया है. इन्वेस्टीगेशन को प्रिजुडिस भी नहीं कर सकते। इसलिए आज जो कई बातें माननीय सदस्य ने यहां कही हैं उनसे मान लिया जाय, मैं सहमत भी हूं तो मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। रहा सवाल किसी को गिरफ्तार करने का, अगर कांग्रेसी हैं, सी. बी. आई. काम्सपिरेटर्स के बाबत में बात कहेंगी। कानसिंह और उनके साथी अथवा दूसरे लोग गुनहगार हैं तो अरेस्ट भी वही करेंगे, चालान भी वही करेंगे, प्रोसीक्यूसन भी वही करेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार, माननीय सदस्यगण, अब कहीं बीच में नहीं आती है। फिर जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स ज्युडिशियल इन्क्वायरी का दिया गया है उसमें भी यह सारी चीजें आ जाती हैं कि क्या दरअसल में सरकम्स्टान्सेज थे कि गोली चलानी जरूरी थी। इसलिए मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। मेरे भाई जो भरतपुर जिले से आ रहे हैं, अथवा नदबई से आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी पीड़ा को। मैं कुछ सौ मील दूर हूं, आप बिल्कुल घर के आंगन में रहते हैं, मगर कितनी ही दूर रहने के ऊपर भी, 37 साल जो एम. एल. ए. रहा हो वह कार्यकर्ता मारा जाय पुलिस की गोली से, इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिये। आप में से कई अच्छे वकील हैं। मेरे साथ बैठ जाइये, मैं आपसे

(श्री हरिदेव जोशी)

बातचीत करने के लिए तैयार हूं। मेरे पद के ऊपर रहते हुए मैं जो भी एक्शन ले सकता हूं, उस एक्शन को लेने में मुझे कहीं झिझक नहीं होगी, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरा कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो भी अधिकारी यहां पर हैं, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे हों, उनकी मुझसे कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी प्रकार का साथ नहीं है, इसलिए मेरा कोई दुराग्रह भी नहीं है। मैं किसी को शील्ड नहीं करना चाहता। मगर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिये, केस भारत सरकार की एक एजेन्सी को मिसेज की, रिलेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर ट्रान्सफर कर दिया गया है। पहले ही राज्य सरकार के ऊपर अमुक प्रकार के या मशीनरी के ऊपर अमुक प्रकार के जो इल्जाम लगाये जा रहे हैं। तब फिर उसके दूसरे किस रूप में बात करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए यह कहना कि मैं शैथिल्य बरत रहा हूं, मुझसे पहले, अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मन्त्री थे, उससे पहले शिवचरणजी थे, हमने जो कुछ भी ठीक समझा, कागजों के ऊपर, आपने भी वह कोशिश की है, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं और मैं यह प्रयत्न करूंगा। कौन पालिटिकल पार्टी यह चाहती है कि उसकी इमेज खराब हो, हममें इतनी समझ नहीं है कि इस सबके क्या परिणाम होते हैं। राजनीति में जीवन के पचास वर्ष निकाल देने के बाद इतनी सूझबूझ तो हम में हैं, किन चीजों के क्या परिणाम निकलते हैं इसको समझें। और अगर अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं तो उन चीजों को दूर करें, उन स्थितियों को दूर करें। मगर उत्तेजना से कोई काम नहीं चलता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए विगत में नहीं जाना चाहता कि मुझ पर कभी भी यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि मैं इन्वेस्टीगेशन को प्रभावित करना चाहता हूं, अथवा जुडिशियल इन्क्वायरी को प्रभावित करना चाहता हूं। चाहे मैं यहां पर यह कहूं मगर मेरा एक एक शब्द ज्युडिशियल इन्क्वायरी के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको हमने देखा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ वहां हुई जब पूरी कांग्रेस को मर्डर्स के रूप में यहां पर दिखाने की कोशिश की गई। हम कांग्रेसमेन वह लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में, राजाओं के जमाने में, जागीरदारों के जमाने में जूते खाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य!

श्री बाऊदयाल जोशी : नागपुर ब्राण्ड हैं।

श्री शीशराम ओला : नागपुर ब्राण्ड आप हो।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लिए कहा गया कि कांग्रेस खून पर जिन्दा रहना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य—

(141)

श्री हरिदेव जोशी : और वह भी कहा गया सी. पी. आई. एम. के आने वाले माननीय सदस्य से। आज हिन्दुस्तान में वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर्स, केरल में पालिटिकल मर्डर्स कांग्रेस के द्वारा हुए हैं—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केरल में बहुत मर्डर कराये हैं आपने। केरल में बहुत कराये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं केरल में आर. एस. एस. वर्सेज सी. पी. आई. एम. जो झगड़ा है वह सर्वविदित है, पूरा हिन्दुस्तान जानता है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस वर्सेज सी. पी. आई. एम. जो झगड़े हैं वह भी।

श्री शोपतसिंह : कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस लड़ रही है वहां पर तो, सही बात यह है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है, जब एक कुलक समाजवाद की बात कहता है तो थोड़ी मन में हंसी आती है। इसलिये आपको हमारे....

श्री शोपतसिंह : और एक गरीब पूंजीपतियों की पैरवी करता है जब हंसी नहीं आती? एक गरीब पूंजीपतियों की पैरवी कर रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं जो बातें यहां कही गयी हैं उनके बिगत में थोड़ा नहीं जा कर के यह कहना चाहता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यह फरमा दो, आप क्या करने वाले हो, नहीं करने वाले हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो करने वाला हूं, वह मैंने कह दिया। अगर मुझे यह मालूम पड़ेगा, आप में से भी कोई बतला सकते हैं, मैंने कहा कि आप में से कोई भी मेरे साथ बैठ जाये, मैं सारी डिटेल्स को डिस्कस करने को तैयार हूं। अगर मुझे कोई भी रिलेवेन्ट एक्शन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सुनने की क्षमता रखें।

श्री हरिदेव जोशी : सही मालूम पड़ता है, उस एक्शन को मैं लूंगा चाहे आफिसर्स के ट्रान्सफर की बात हो, चाहे कहीं एक्शन लेने की बात हो, चाहे कुछ भी हो; उससे मुझे कोई झिझक नहीं होगी, यही बात मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ट्रान्सफर नहीं टर्मिनेट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में और व्यक्तव्य के बाद अपने दुवारा दिये गये सफाई के वक्तव्य में इस प्रकार का भावावेश का वातावरण बनाने की कोशिश की है कि शायद वह आदमी बहुत दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि सारे स्टेटमेन्ट में, मुख्य मन्त्रीजी के जवाब में एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी बात ऐसी नहीं आई जिसमें मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा हो कि घटना के बारे में वह कार्यवाही क्या करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्रीजी ने नहीं बताया उन अधिकारियों के ट्रान्सफर की मांग जो नाथूरामजी की थी उसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्रीजी ने नहीं बताया कि जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए साक्ष्य को नष्ट कर रहे हैं उस साक्ष्य को बचाने के लिये राज्य सरकार क्या करना चाहती है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि वहां की इस जनता के मन में तनाव है लोगों पर फर्जी केस रजिस्टर किये गये हैं और लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा वातावरण भावावेश में बना कर माननीय मुख्य मन्त्रीजी चुपके से निकलना चाहते हैं आज भी सारी डिबेट हुई है उसका सारा अर्थ निकला है वह जीरो के बराबर है। राज्य सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं करना चाहती है, इसका रिजल्ट जीरो है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बेचारों को थाने में ले जा रहे हैं। लोगों को मार मार कर क्या कर रहे हैं आप।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि एजेन्सी भी गई हैं अध्यक्ष महोदय लोग कह रहे हैं, लोगों की शिकायत है कि साक्ष्य को नष्ट किया जा रहा है। मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं कि एजेन्सी करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सीधा, साधा सवाल है, मेरा कि साक्ष्य को दबाया जा रहा है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ट्रान्सफर के लिये इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर की कोई जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साक्ष्य को नष्ट किया जा रहा है। मुख्य मंत्रीजी अधिकारियों के ट्रांसफर की बात भी नहीं करते इसका मतलब यह है कि सारी बहस का रिजल्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जीरो है। सरकार बचाना चाहती है, यह बिल्कुल साफ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। एक एक माननीय सदस्य बोले वन बाई वन। आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पोइन्टेड सवाल है। क्या आपने....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्टेड सवाल है। जिन हथियारों से राजा मानसिंह की हत्या हो गई, इसलिये ही खड़ा हूं मैं क्या आपने उन हथियारो को बरामद कर लिया है? वह हथियार, जिनसे राजा मानसिंह की हत्या हुई है, क्या आपने उनको बरामद कर लिया है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : क्या जो कनसर्न्ड अधिकारी हैं उनका आपने वहां से स्थानान्तरण कर दिया है? क्या किया आपने? कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपको बता दिया है स्पष्ट कि इन्वेस्टीगेशन सारा सी. बी. आई. के पास है तो राजस्थान पुलिस या मुख्य मन्त्रीजी न तो हथियार बरामद करा सकते हैं न कुछ और बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य शान्त रहें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य : जिला प्रशासन का वहां से स्थानान्तरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह जी। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया शान्त रहे माननीय सदस्य श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता मुख्य मन्त्रीजी ने जो सारगर्भित उत्तर दिया जो कुछ बात कही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : हम उसको स्वीकार भी करलें। मैं इतना ही इनसे जानना चाहूंगा कि उनकी ऐसी अड़चन क्या है कि वहां पर जो अधिकारीगण लगे हुए हैं उनका स्थानान्तरण करने में दिक्कत क्या है। इनवेस्टीगेशन एजेन्सी के कोई उसके आड़े नहीं आती और न इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी किसी स्तर पर बात कहेगी। इसलिये सदन के बाहर बात करके करना चाहें उसके बजाय सदन इस बात को कह दे कि जो भी होंगे उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी मुझे यह उत्तर देंगे कि माननीन मानसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् जो अनेक घटनायें घटी और उसके पश्चात् जो लोग मरे उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । माननीय मुख्य मन्त्री जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी कहूंगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी, एक सवाल और ले लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और सुन लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह निवेदन किया था प्रारम्भ में कि जो एफ. आई. आर. जांच हुई है या आपने रैफर की है They become the property of the House. इसलिये टेबल पर रखना चाहिए ताकि सदन के सब लोगों को मालूम पड़े कि आखिर बात क्या है । नहीं नहीं, मैं वह नहीं कहता आपने उसको नहीं रखा । यह बात इस बात की द्योतक है, मनस्थिति द्योतक है यह ।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. के बारे में जब स्पष्ट कह दिया गया तो यह तो ओपन टू आल है इसमें क्या दिक्कत है ? आप जब चाहें तब देख सकते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : It should be laid on the Table.

श्री अध्यक्ष : मैं मेरे चेम्बर में मंगवा लूंगा । मेरे चेम्बर में आकर देख लें मेरे चेम्बर में देख लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो मंगवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैं मंगवा लूंगा । मेरे चेम्बर में आप देख लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो निष्पक्ष हैं, आप तो मंगवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह ओपन टू आल है । छिपी हुई बात कहां रह गई है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एफ. आई. आर. टेबल पर रखने में अथवा आपको देने में मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको प्रेस नहीं कर रहा ।

श्री हरिदेव जोशी : अब रहा सवाल । आपने एक सवाल उठाया था····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । आप सुनने की कोशिश नहीं करते मुख्य मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं । आप सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : Let me comple first. Why do not you allow me.

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एफ. आई. आर. को पेश नहीं करना, यह आप की मनःस्थिति का परिणाम है ।

श्री अध्यक्ष : पेश नहीं करने का प्रश्न ही कहां है, प्रश्न कह दिया कि जब यह कह दिया कि वह रख देते हैं। और मैंने कह दिया that is open so all तो प्रश्न कहां रह गया । आप इसको घुमा फिराकर क्यों कह रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये । माननीय आपके सदस्य बोल रहे हैं कृपया बैठिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपने यह कहा बताया हमको कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वह भी नहीं कर सकता वह भी नहीं कर सकता । सदन की यह मांग थी ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोल रहे हैं । कृपया आप शान्त रहें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सदन की मांग है, और सदन के माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है कि जो इनवेस्टीगेशन हो रहा है उसमें जो गवाह है, निष्पक्ष गवाह है उनको विभिन्न प्रकार से डराया धमकाया सताया जा रहा है । उसकी रोकथाम करना यह आपका दायित्व है यह सी. बी. आई. नहीं कर रही है जो लोकल पुलिस है वह करती रही है उसकी रोकथाम करना या तो आपका काम है इससे आप बच नहीं सकते है एक बात, दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी उससे संबंधित जगहों पर थे उनके स्थानान्तरण के किये माननीय मिर्धा साहब ने भी आपको निवेदन किया और हमने भी कहा उसके लिये भी आप हां भरने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे । समझ में नहीं आता । यह तो करिये आप ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । श्री गंगाराम जी ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में अब तक केवल एक अधिकारी को सस्पेण्ड किया है उस अधिकारी के खिलाफ कोई प्राइमेफसी एलीगेशन हो सकते हैं और भी कई अधिकारियों के खिलाफ ऐसे ही प्राइमेफिसी एलीगेशन होंगे । एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट इनके पास आयी होगी तो जिन अधिकारियों को इन्होंने प्रशासनिक तौर पर दोषी पाया हो उन अधिकारियों को वहां से हटाना या सस्पेन्ड करना ऐसा मुख्य मन्त्री जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री मोहन प्रकाश : दो चीजे इसमें साफ-साफ आ रही हैं । एक तो श्री मानसिंह जी की हत्या करना और मानकीय मुख्य मन्त्री जी ने यह साफ कहा है कि जो न्यायिक जांच बैठी है, टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स इसकी यह है कि क्या पुलिस को गोली

(श्री मोहन प्रकाश)

चलाना आवश्यक था लेकिन उस घटना के बाद भी पुलिस ने गोली चलायी है जिससे कि 7-8 आदमी मरे हैं उनके बारे में भी क्या न्यायिक जांच या कमीशन जो बैठाया है एक व्यक्ति का वह जांच करेगा। नम्बर दो बात हमारी जो आपसे निवेदन है कि धौलपुर और भरतपुर का जो प्रशासन है वह प्रशासन आजाद हिन्दुस्तान का प्रशासन नहीं है। जो वहां के कलेक्टर और एस. पी. रहे हैं वह आज से ही नहीं लोकसभा के चुनावों के पहले से ही विवादास्पद रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी के निजी सचिवालय में जो लोग रहे हैं वह अलवर काण्ड से इस प्रदेश में हमेशा से ही विवादास्पद रहे हैं तो जो लोग जिला प्रशासन में विवादास्पद रहे हैं रिपोर्ट में जो कि नहीं है उस हत्या काण्ड में नहीं है तो उनके बारे में सरकार क्या काम करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, एफ. आई. आर. की कापी किसी को भी अवेलेबल हो सकती है मंच हाउस की टेबल पर रख देता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने उसका इसलिये नहीं कहा उस समय कि एक पब्लिक डाक्यूमेन्ट है। रहा सवाल दूसरे केस के ऊपर जो ज्युडिशियल इन्क्वायरी का सी. बी. आई. इन्क्वायरी कर रही है। अगर ज्युडिशियल इन्क्वायरी दूसरे की भी करवानी हो तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मानसिंह जी अकेले नहीं मरे आठ आदमी और मारे गये हैं। क्या वह आदमी नहीं थे।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप मेहरबानी करके मुझे सुनेंगे या अपनी बात कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज नहीं है। फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : तीसरा सवाल रहता है अधिकारियों के बारे में जहां तक डाइरेक्टली इनवोल्वड लोग हैं डी. एस. पी. को सस्पेन्ड किया जा चुका है और कान्सटेबल्स सारे हटाये जा चुके हैं अब रह जाता है सवाल डिस्ट्रिक्ट लेबल आफिसर्स का मैं ऐसा समझता हूं। अभी तक इन्वेस्टीगेटिंग अथोरिटीज ने हमें कहीं कोई कम्पलेन्ट नहीं की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई कहते हैं क्या ? आज तक इसका है क्या ?

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : Please listen me.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सुनिये।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मगर मुझे किसी से कहीं कोई चाह नहीं है उनमें से हर एक को मैं बदल सकता हूं इसमें मुझे कहीं कोई रोक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप कहिये, मैं बदल दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । चर्चा समाप्त हुई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 5.20 बजे, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

——